सीसीआई
CCi

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर



60th

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2023-2024

2024



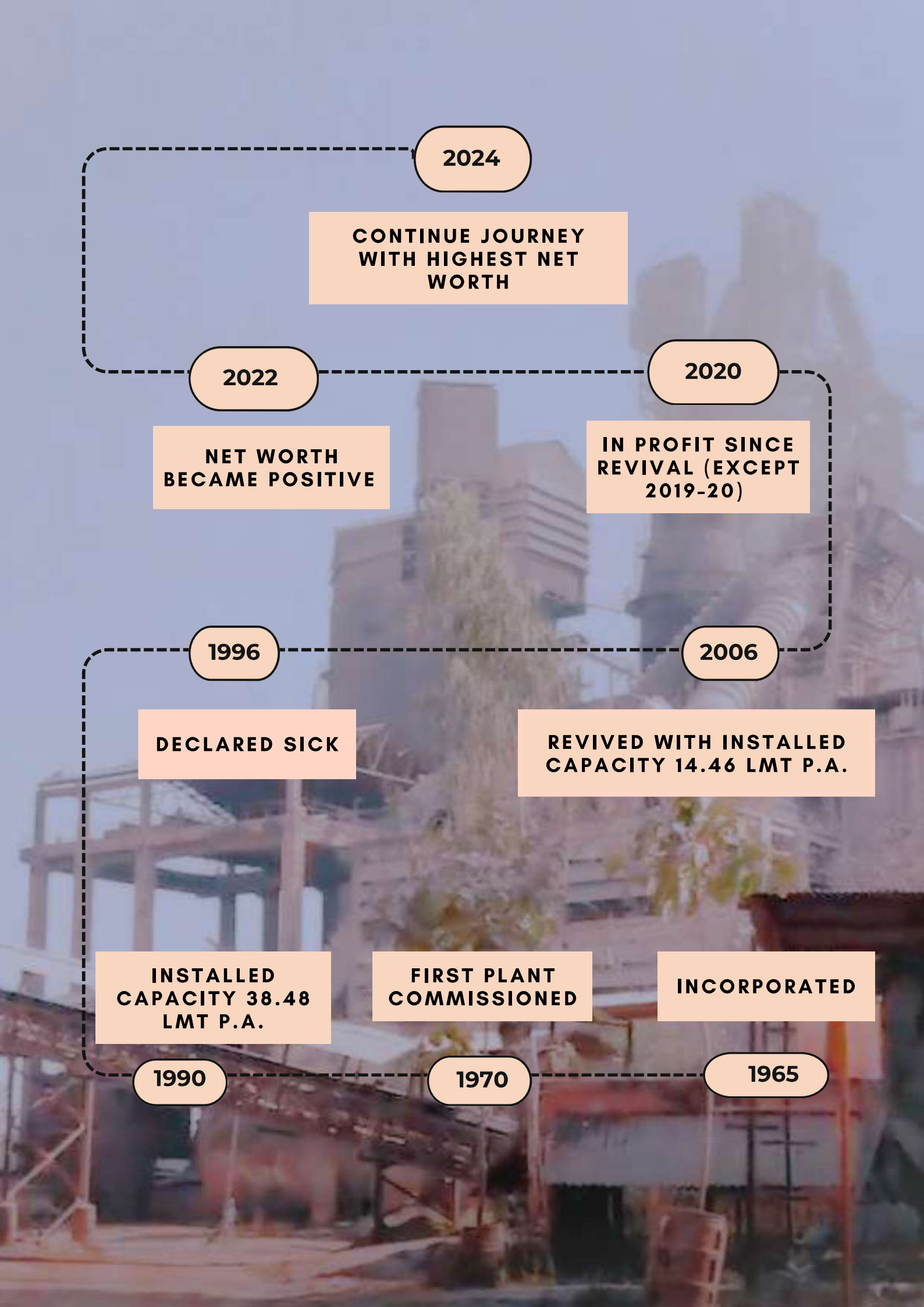
सीसीआई
CCi

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Limited

(A Govt. of India Enterprise)


2024
CONTINUE JOURNEY WITH HIGHEST NET WORTH
2022
NET WORTH BECAME POSITIVE
2020
IN PROFIT SINCE REVIVAL (EXCEPT 2019-20)
1996
DECLARED SICK
2006
REVIVED WITH INSTALLED CAPACITY 14.46 LMT P.A.
INSTALLED CAPACITY 38.48 LMT P.A.
1990
FIRST PLANT COMMISSIONED
1970
INCORPORATED
1965



Shri H.D. Kumaraswamy

Hon'ble Minister
Ministry of Heavy Industries



Shri Bhupathi Raju Srinivasa varma

Hon'ble Minister of State
Ministry of Heavy Industries



Shri Kamran Rizvi

Secretary
Ministry of Heavy Industries



Dr. Renuka Mishra

Economic Adviser
Ministry of Heavy Industries



Table of Contents

01.

CORPORATE OVERVIEW

A. Board of Directors 5
B. Year At Glance 2023 -24 7

02.

STATUTORY REPORTS

A. Chairman Speech 11
B. Directors' Report 13
C. Management Discussion & Analysis 57
D. Corporate Governance 62
E. Secretarial Audit report 71
F. Auditors' Report 75

03.

FINANCIAL STATEMENT

A. Financial Statements 2023-24 89
B. Cash Flow Statement 91
C. C&AG Comments 137

04.

ADDITIONAL INFORMATION

A. Our Employees - Our Greatest Asset 139
B. Salient Features of Our Units 144

REFRENCE INFORMATION

Audit Committee

01

Dr. Ravindra Shivshankar Arali - Chairman

Dr. Manju Baghel - Member

Shri Joseph Atul T. Barla - Member

CSR Committee

02

Dr. Ravindra Shivshankar Arali - Chairman

Dr. Manju Baghel - Member

Shri Joseph Atul T. Barla - Member

Remuneration Committee

03

Dr. Manju Baghel - Chairman

Dr. Ravindra Shivshankar Arali - Member

Shri Joseph Atul T. Barla - Member

Statutory Auditors

04

M/s PVRN & CO. - Statutory & Principal Auditor

M/s Karvy & Co. - Branch Auditor (Tandur Unit)

M/s K P Sarda & Co. - Branch Auditor (Bokajan Unit)

M/s Amit Agrawal & Associates – Secretarial Auditor

Cost Auditors

05

M/s HMVN & Associates (Principal Auditor)

M/s PKR & Associates LLP. - Tandur Unit

M/s Bandyopadhyaya Bhaumik & Co. – Bokajan Unit

Bankers:- SBI, बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda, ICICI Bank

BOARD OF DIRECTORS



Shri Sanjay Banga
Chairman & Managing Director



Dr. Renuka Mishra
Govt. Nominee Director
Economic Advisor, MHI



Shri Arun Kumar Sarkar
Govt. Nominee Director,
Deputy Secretary, MHI



Shri Pradeep Kumar Chand
Director (Finance)



Dr. Ravindra Shivshankar Arali
Independent Director



Dr. Manju Baghel
Independent Director



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

as on date of AGM

KEY FUNCTIONARIES



Shri Nijamuddin, ITS
Chief Vigilance Officer



Shri Vivek Kumar
Executive Director



Shri B.M. Mahana
General Manager



Shri Vipul Kumar
General Manager



Shri Sharad Kumar
General Manager



Dr. S. K. Sudhanshu
Addl. GM (HR)

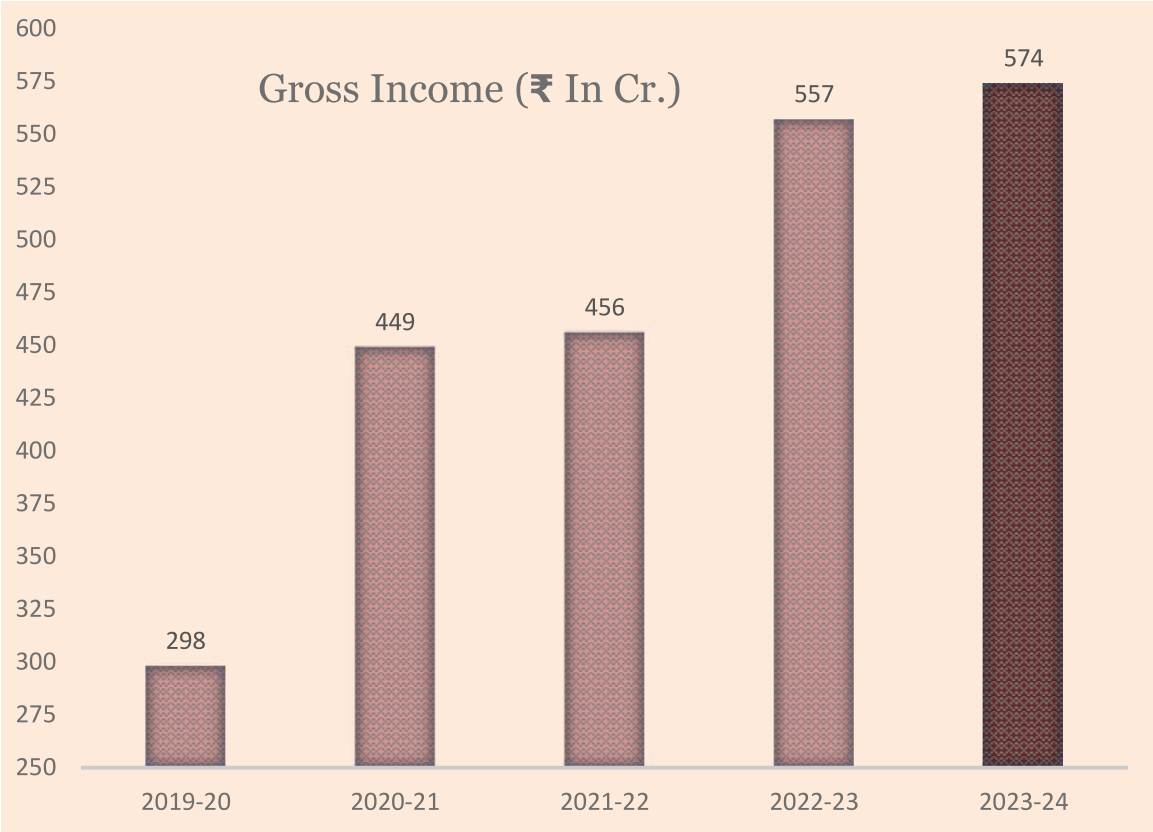


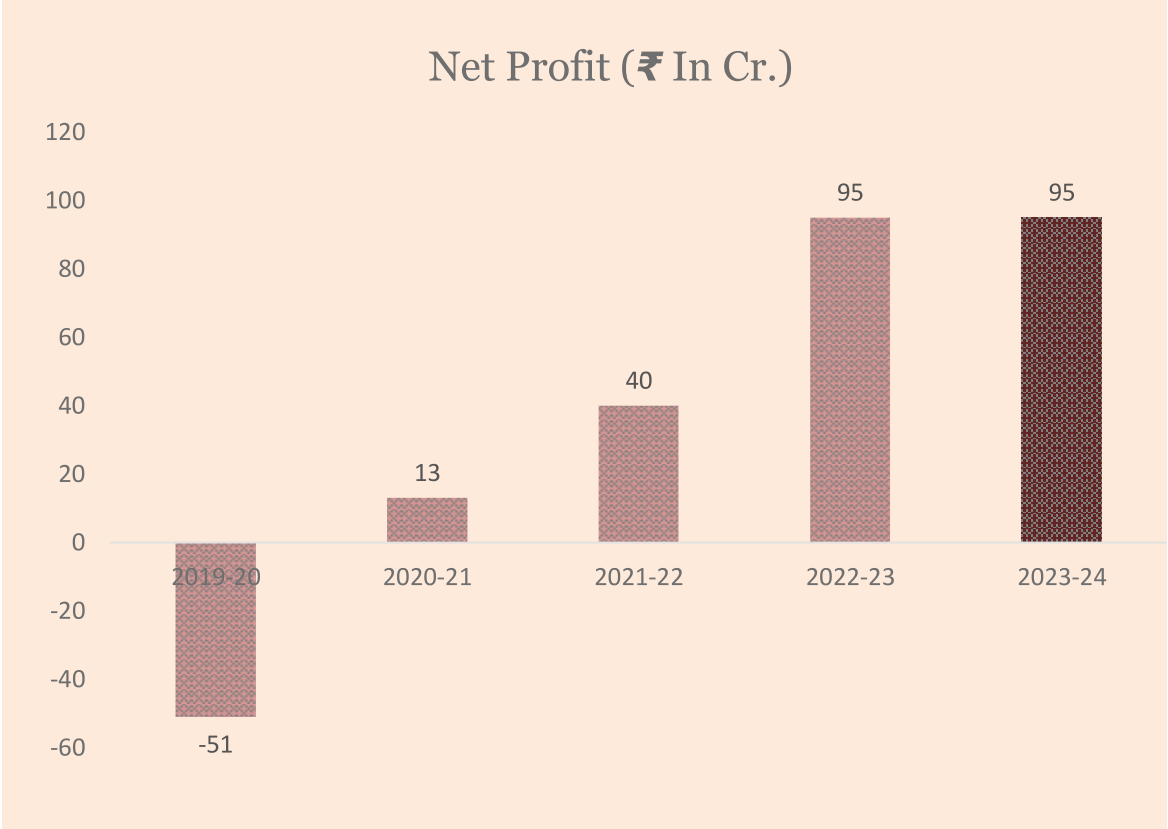
Shri Alok Shukla
Addl. GM (Mktg.)



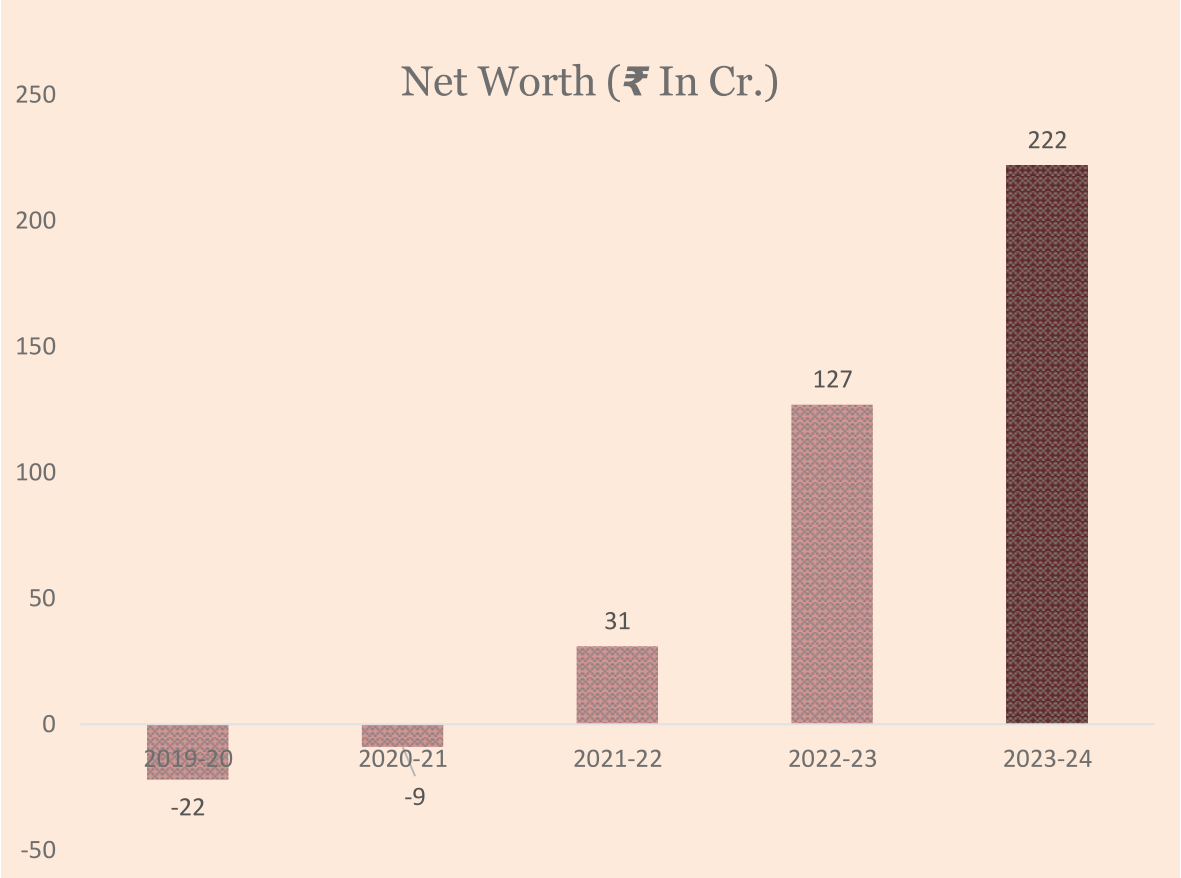
Shri Syed Shariq Hussain
Senior Manager (Fin.)

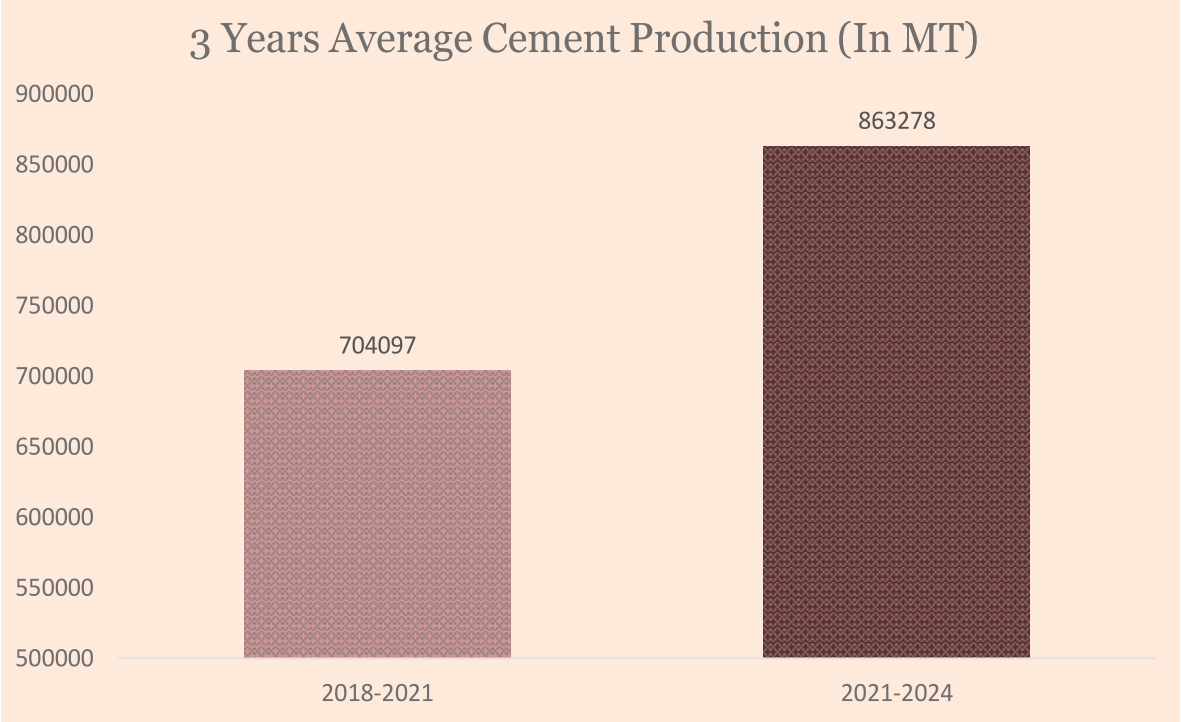
YEAR AT A GLANCE 2023-24



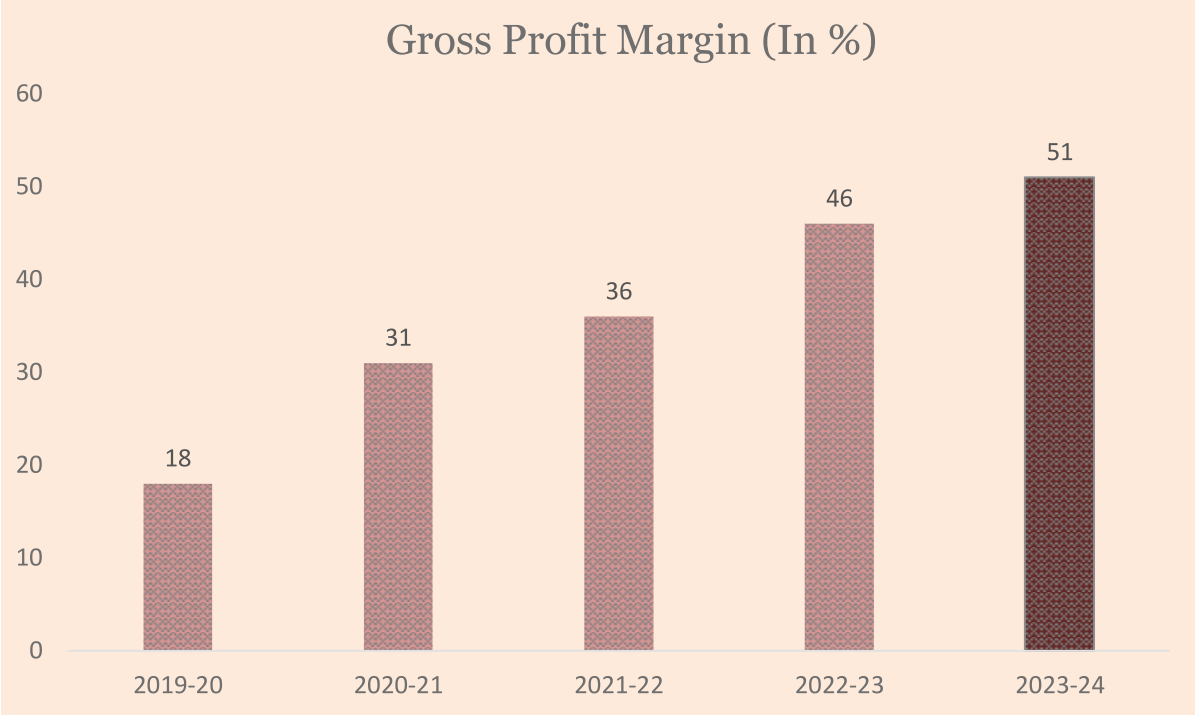


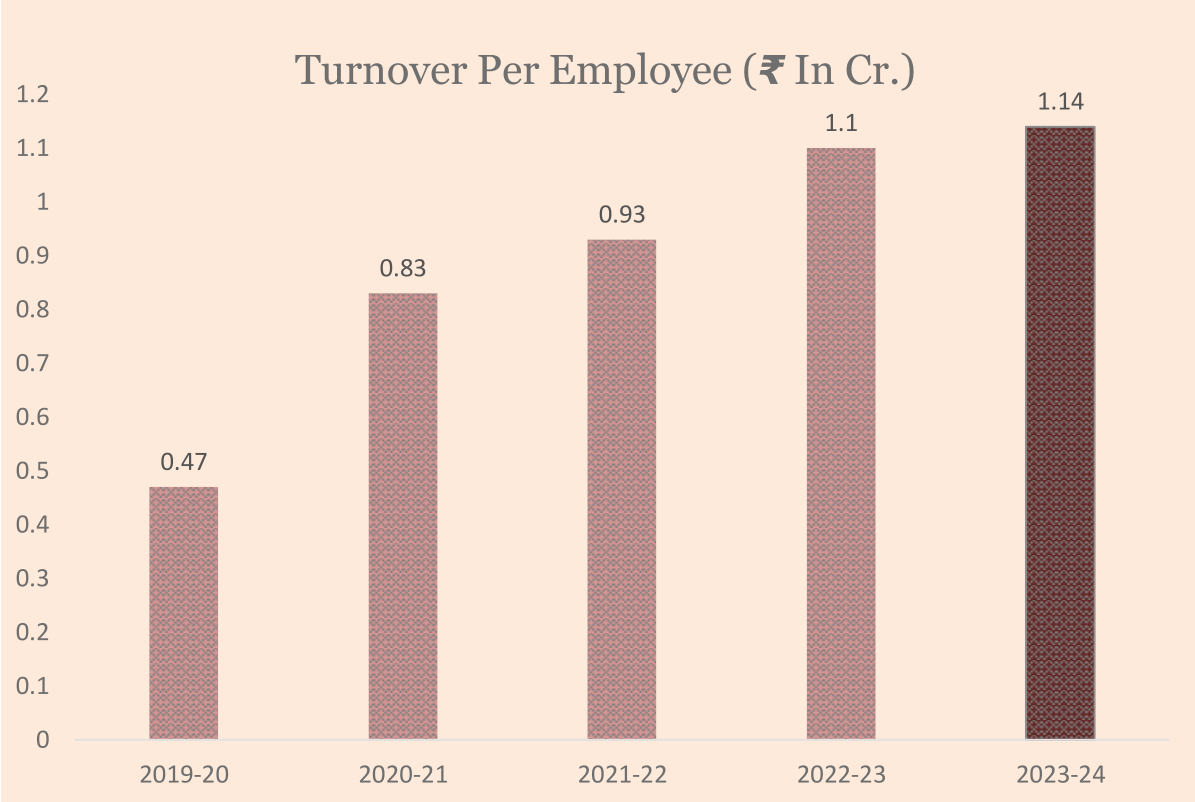
YEAR AT A GLANCE 2023-24



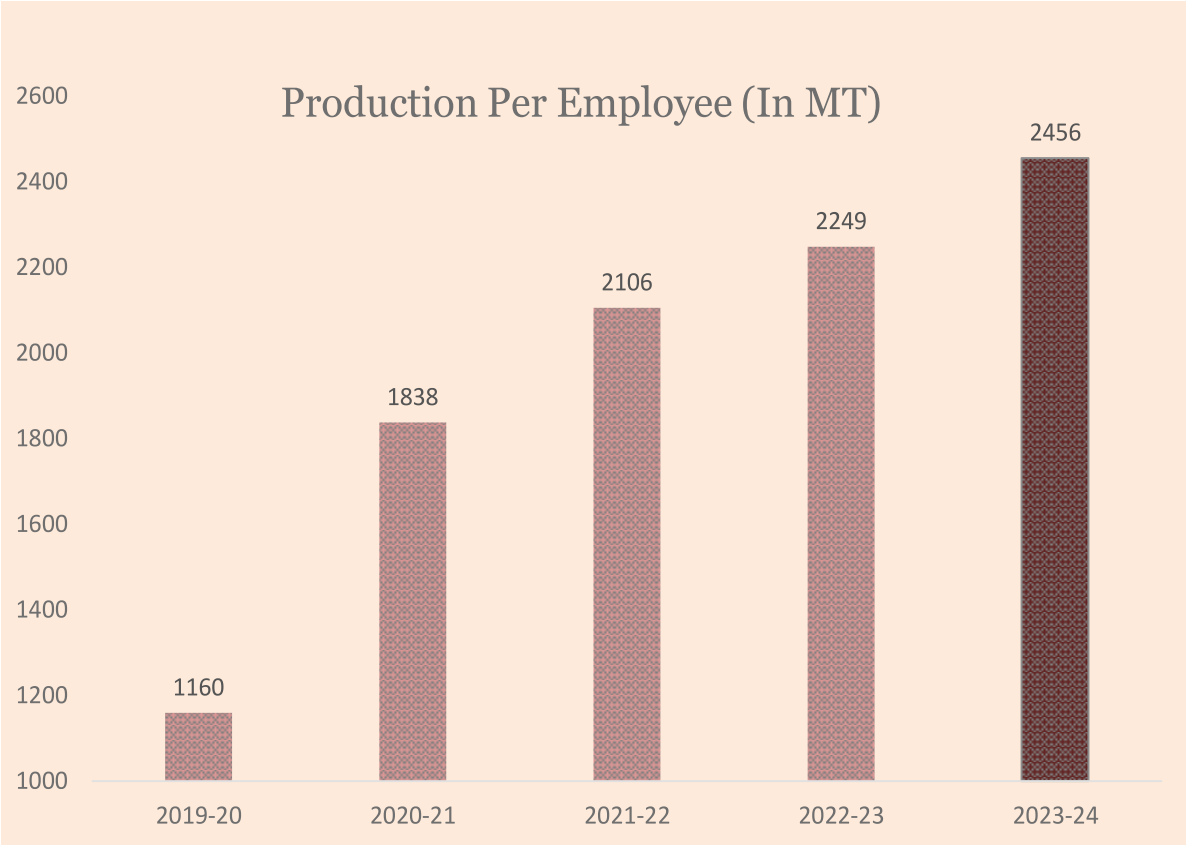


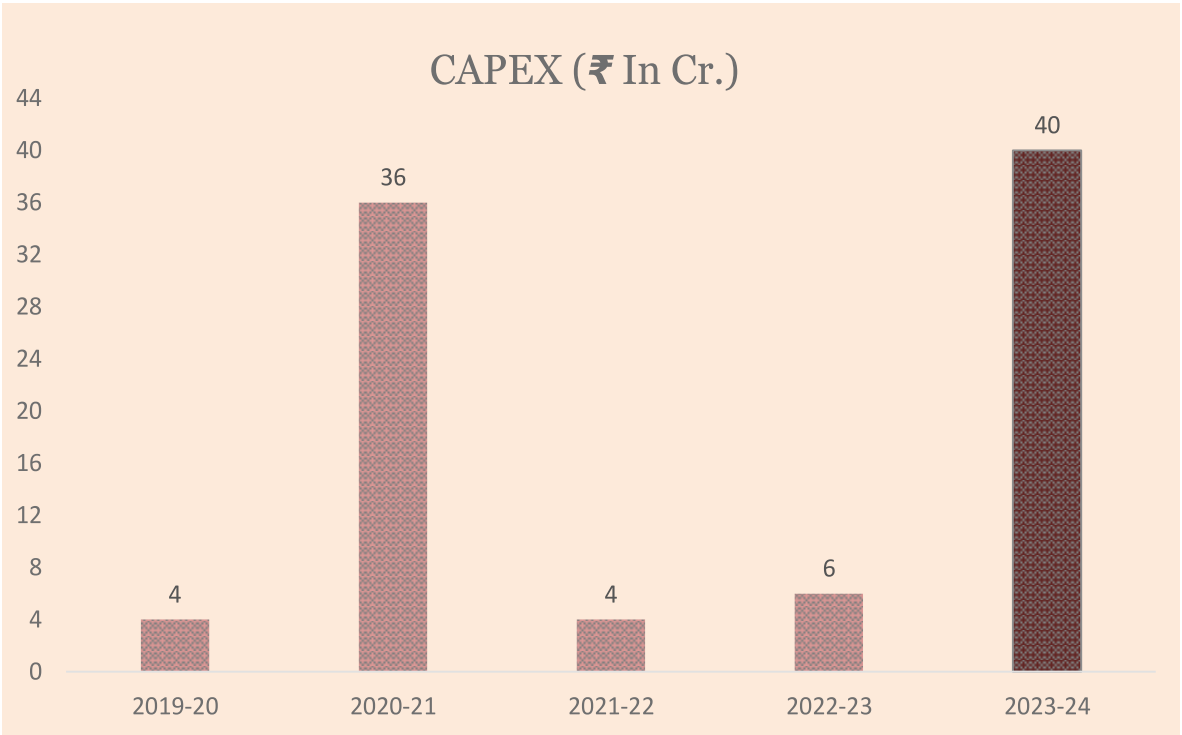
YEAR AT A GLANCE 2023-24





YEAR AT A GLANCE 2023-24





CHAIRMAN SPEECH AT THE 60th ANNUAL GENERAL MEETING



Dear Share holders,

I have the pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors to the 60th Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your august presence in this meeting goes on to underline your support and interest in the Company's endeavour; and l am thankful to everyone.

The Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2024 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance Highlights

CCI is the only Central Public Sector Undertaking involved in the manufacture and sale of cement in an otherwise highly competitive industry. Your company worked on its inherent strengths to mitigate the challenges.

i) The Clinker production during the FY 2023-24 was 829980 MT as against 793985 MT for the FY 2022-23, with an increase of 35995 MT. Though the overall Clinker production during the FY 2023-24 was higher as compared to FY 2022-23, the sluggish cement demand put pressure on the production of cement and the Cement production during the FY 2023-24 was 849670 MT as against 868195 MT for the FY 2022-23.

ii) The Company achieved the turnover of Rs 418.04 crores during FY 2023-24 with a Net Profit After Tax (PAT) of Rs 95.05 crore during FY 2023-24.

Human Resource Development

Human Resource Development of Cement Corporation of India has played a pivotal role to create impactful employee experience strategies to better engage, motivate employees to maintain healthy & transparent work culture and to achieve higher productivity keeping in view the Mission and Vision of the Corporation as well as to intercept any unpredictable challenge.



With an objective to assimilate Swachhata and minimize pendency in the Government, Special Campaign 3.0 was launched by various administrative ministries. In alignment with the goals of Garbage Free India, CCI undertook several initiative with focus on cleanliness, sanitation, health, scrap disposal and space utilization.

Green Initiative and Energy Sustainability:

CCI has installed 1 MW Solar Power Plant in Rajban Unit on RESCO Model. Further, 1 MW Solar Power Plant at Bokajan and 6 MW Solar Power Plant at Tandur is under finalisation stage, making a significant step towards sustainable energy.

Hot Air Diversion System Harnessing waste heat from preheater outlet to coal mill operation at CCI, Rajban was installed. It is also under execution in Bokajan Unit for Raw Mill.

Your company has installed PJBH at CCI- Rajban Unit. The installation of PJBH at the CCI-Bokajan unit is under progress. This shall reduce the pollution of suspended particles in the atmosphere and also collect the emitted dust in the atmosphere.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board and the policy is being implemented at the Corporation in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Government from time to time.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you, that your Company is consistent in achieving "Excellent Rating" in respect of Corporate Governance. Independent External Monitors (IEM) has been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than prescribed limit. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance is included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Ministry of Heavy Industries for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful for the overwhelming support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director of Audit, Industry and Corporate Affairs and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again,
Jai Hind,

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
Date 25-10-2024
Place: New Delhi

DIRECTORS' REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 60th Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2024, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year 2023-24 along with previous year's figures are given below:

2. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2023-24.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year 2023-24:-

Sl. No.	PARTICULARS	For the year ended 2023-24	For the year ended 2022-23
1	Net Income from Operations	418.04	440.72
2	Other Income	56.32	34.72
3	Total Expenses other than depreciation and interest	465.58	451.87
4	Exceptional Income/ (Expenses)	99.42	81.75
5	PBDIT	108.20	105.32
6	Less: Finance Cost	0.00	0.00
7	PBDT	108.20	105.32
8	Less: Depreciation	13.15	10.03
9	Profit/ (Loss) before Tax	95.05	95.29
10	Less: Income Tax	16.61	3.69
11	Add: MAT Credit Entitlement	16.61	3.69
12	Net Profit after Tax	95.05	95.29

1.1 Corporation has earned a net profit of Rs. 95.05 crores during the year 2023-24 as against net profit of Rs. 95.29 crores during the previous year.



A. OPERATIONS

(i) Performance of Units –

The Capacity utilization for Cement Production (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

Description	UOM	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		TOTAL OPERATING PLANTS	
		23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23
Capacity Utilization of Cement	%	59.72	65.57	57.02	63.19	59.00	58.16	58.76	60.04
Clinker Production	MT	121250	120730	127370	132425	581360	540830	829980	793985
Cement Production	MT	118250	129830	141420	156725	590000	581640	849670	868195
Dispatch	MT	112652	129030	140047	153615	589720	581948	842419	864593

The overall clinker production of CCI for the year 2023-24 from April' 23 to March' 2024 was 829980 MT as against 793985 MT of last year i.e. 2022-23 with an increase of 35995 MT.

Due to sluggish demand, the inventory level of clinker went up from 92817 MT as on 31.03.2023 to 149270 MT as on 31.03.2024. The sluggish demand also put pressure on cement production as most of the times the grinding of cement was controlled due to Cement Silo remaining full. Due to the above constraint even though the production of clinker increased but the cement production decreased. The cement production during the year 2023-24 from April'23 to March' 2024 was 849670 MT as against 868195 MT of last year i.e. 2022-23.

(ii) Quality:

CCI manufactures various types of cements like Portland Pozzolana Cement (PPC), Ordinary Portland Cement (OPC) of varying grades viz 43, 53 and 53S (special grade cement for manufacture of sleepers for Indian Railways) grades, under strict quality control with the brand name of CCI Cement.

The status of projects are mentioned below:

a) Status of Bokajan Expansion Project

A Work Order for expansion of Bokajan unit to 1200 TPD on 24.09.2010 was placed on M/s Promac Engineering Industries Ltd. Bangalore vide Work

Order No. 46/10/6(6)/10-MMO/196 dated 30.09.2010 at value of Rs.142.40 crores with the completion period of 18 months. The Project languished for about 7 years. On 06.03.2019, CCI terminated the Contract with M/s Promac Engineering Industries Ltd.

The matter is in arbitration with Arbitral Tribunal.

b) Status of Silchar Grinding Unit

A Work Order No.47/10/6(7)/10-MMO/206 dated 30.09.2010 was issued to M/s Promac Engineering Industries Ltd. Bangalore for setting up of 50 TPH Cement Grinding Unit at Silchar (Assam) on Turnkey Basis at value of Rs.39.68 crores with the completion period of 12 months.

On breach of contractual obligations, the W.O. was terminated by CCI on 06.03.2019.

The matter is subjudice.

c) Technology Upgradation

i) Installed fine tune GR panels for Raw Mill fan main drive, Pre-Heater fans - I & II.
ii) Installed Electronic Over Current Relays (EOCR) in place of thermal relays.
iii) Replaced the HOT to EOT crane in the Cement Mill section.
iv) Upgradation of packing plant logic control system to DCS.
v) Auto change over panel installed for Kiln auxiliary drive.
vi) Replaced 6.6 KV MOCB's with VCB's

(iii) Land Data of Non-Operating Units:

Total Land area of Non-operating Units including CCI's Pvt Land, Govt Lease Land, Pvt Lease Land & other is as under:

Remarks: The data has been verified with the available land records. However, the actual area of the land may vary as the same is subject to up-dation of land records and demarcation by Revenue Department of the State Government as per the local Land Revenue laws and outcome of court cases.

SI	Unit	Free Hold	Lease Hold			Other	Total (Acres)
			Govt.	Pvt.	Total		
1	**Mandhar**	656.060	290.010	00.0	290.010	39.340	985.410
2	**Nayagaon**	568.656	789.687	00.0	789.687	65.738	1424.081
3	**Adilabad**	772.970	36.330	1513.560	1549.890	0.00	2322.860
4	**Akaltara**	212.000	385.500	462.120	847.620	433.850	1493.470
5	**Kurkunta**	460.740	360.350	0.00	360.350	105.700	926.790
6	**Charkhi Dadri**	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	205.03
7	**Bhatinda**	20.240	0.00	0.00	0.00	10.120	30.360
	Total	**2895.696**	**1861.877**	**1975.680**	**3837.557**	**654.748**	**7388.001**

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of Rs. 95.05 Crores during the year 2023-24 as against the net profit of Rs. 95.29 crores in the previous year.

Review of CPSEs Annual Performance for FY 2023-24 by Shri. H.D. Kumaraswamy, Hon'ble Minister (Heavy Industries), and Shri. Kamran Rizvi, Secretary (Heavy Industries) at Vigyan Bhawan, New Delhi:





4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Government of India during the Financial year and company's share capital at the end of the year stood at Rs. 811.41 crore; consisting of paid up Equity share capital of Rs. 455.98 crores and paid up Non-cumulative redeemable preference shares of Rs. 355.43 crores.

5. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Cement Corporation of India Limited is an equal opportunity employer, manning around 346 regular employees and 1173 contractual staff. CCI's growth is attributed to the presence of diversified employees possessing a variety of skills, qualifications and competencies. The company has made persistent efforts to help in nurturing human talent, boost morale, support career progression, upskill employees through training, provide an inclusive and fair workplace and ensure health, safety and wellbeing of all employees irrespective of the cadre or level.

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

Industrial Relations climate was conducive and amicable during the FY 2023-24. All the applicable labour laws were complied in line with the government guidelines. There was no such industrial unrest leading to zero man-days loss. Officers and Workers Association regularly conducted meetings so as to ensure a positive and motivated work atmosphere resulting in improved performance and productivity. CCI has a sound practice of resolving issues in a structured manner which has helped maintain an atmosphere of trust and cooperation.

Safety Awareness:





Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director, CCI and Sh. Joseph Atul T. Barla, Government Nominee Director, CCI inspected the Tandur Cement Factory, Reviewed the operations and discussed the plant matters with senior officials of the plant:







7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

The current pace of technological advancement and market competitiveness demands future-proofing of our workplace. Business is experiencing converging trends and shifting talent expectations. In this type of landscape, the role of HR is redefined and becomes more critical, aligning talent strategy with overall business goals and driving organizational success. Human Resource Development of Cement Corporation of India has played a pivotal role to create impactful employee experience strategies to better engage, motivate employees to maintain healthy & transparent work culture and to achieve higher productivity keeping in view the Mission and Vision of the Corporation as well as to intercept any unpredictable challenge. The enhancement in the performance is recognized and the 3rd PRC is implemented at CCI.

CCI has advanced tremendously in the sphere of technology with the perspective of adapting to changing job scenarios by leaving behind decade old ways of managing and leading the workforce. In this era of Artificial Intelligence, CCI has balanced technology and human intervention. To ensure that the teams remain competitive and adaptable, CCI has prioritized continuous upskilling and reskilling initiatives. CCI has streamlined various processes such as Recruitment and Online Performance Management System with the objective to ease out the process of reaching out to candidates rapidly, as compared to the tedious physical recruitment process as well as to eliminate the time consuming manual appraisal letters.

Company's ultimate goal is to keep employees happy, healthy and productive. Therefore, HR professionals of CCI have been incessantly making efforts to cultivate a jovial workplace, improve focus & energy and boost productivity across offices/ units of CCI. The Human Resource Department of CCI has been organizing various Team building activities, health awareness sessions, medical camp, blood donation camp, cleanliness drive (Swachhta Pakhwada), sports activities, Yoga Day, National Unity Day, Constitution Day, Safety week, World Environment Day etc.

Rajban Cement Factory, Himachal Pradesh organized Blood donation camp in association with the Rotary Club, Poanta Sahib in Unit premises:





A free health check-up organized by Rajban Cement Factory, Himachal Pradesh in Chhachetti Village Panchayat, of Manal Limestone Mines of Rajban:





CCI celebrated Ambedkar Jayanti by distributing sweets and notebooks to underprivileged children:





Celebrated Kargil Vijay to honor the bravery of our army and air warriors who fought valiantly in the Kargil War:





Pledge for Nasha Mukt Bharat Abhiyaan to combat substance abuse and promote a healthier future for our youth:





CCI Celebrated New Year and its Foundation Day in the month of January:













CCI Rajban Unit organized a BCG vaccination campaign against TB at the unit, supported by Civil Hospital in Paonta Sahib:





Observance of International Yoga Day, CCI organized Yoga sessions at units and Corporate Office with the aimed at developing the habit of Yoga:













The Tandur Cement Factory celebrated International Youth Day by organizing awareness sessions & games aimed at empowering the youth and to provide them with an opportunity to learn, grow, and have fun in a safe and supportive environment:





Observance of Swachhata Pakhwada at Corporation by conduction various competition like essay writing Competition with a themed "Roadmap of Vikshit Bharat", Drawing Competition, workshop on improving personal Health etc.:





Health Talk at Corporate Office





Essay Writing Competition

Pledge for Swachhata Pakhwada





Prize distribution on Swachhata Pakhwada

Special Campaign 3.0

With an objective to assimilate Swachhata and minimize pendency in the Government, Special Campaign 3.0 was launched by various administrative ministries. The Special Campaign 3.0 commenced with the identification of activities in the Preparatory Phase followed by administering those activities during the Main Phase of the campaign. In alignment with the goals of Garbage Free India, CCI undertook several initiative under guidance of honorable CMD, Shri Sanjay Banga with focus on cleanliness, sanitation, health, scrap disposal and space utilization.



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

8. TRAINING AND DEVELOPMENT:

The Training and Development Policy of CCI is reviewed and restructured constantly as per changing business environment. In order to thrive in this competitive business environment, Training is provided for better understanding of professional requirements as well as to sensitize employees about the socio-economic environment in which the company operates. As part of Human Resource Development, Cement Corporation of India has always fostered a culture of continuous training and development across levels and HR professionals of CCI have shaped workplaces that empower individuals to thrive, leading to both personal upliftment and organizational prosperity. During the FY 2023-24, employees were nominated for various online/ offline training programmes, workshops and seminars organized inhouse or by any external agency to hone their skills in their respective function of work.

Apart from the day to day training, CCI has initiated a culture of organized Knowledge Sharing Sessions wherein employees across units and offices participated. These sessions enhance collective knowledge and employees can gain access to valuable information and deliver better productivity.

Knowledge Sharing Session:



9. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

To encourage the use of Hindi in official work, Cement Corporation of India has consistently adhered to the provisions and guidelines issued by the Department of Official language, Government of India. Hindi Pakhwada was organized at Corporate Office from September 14-28, 2023, wherein various competitions like Hindi Dictation, Rajbhasha Quiz and poetry competitions were organized. Winners were awarded prizes, to motivate the employees to increase the use of Hindi in their day to day work.

An Official Language Conference "Rajbhasha Takniki Sangoshthi" was organized on 9th August, 2023 by CCI, Corporate Office for 50 Narakas members under the Chairmanship of Shri Sanjay Banga, CCI, Chairman & Managing Director to give hands on exposure and to guide the members for use of Hindi. CCI has also actively participated in all the Narakas meetings.

During the financial year use of Hindi was also promoted by the Company in Social media platforms such as Twitter. Company has adopted a policy to create bilinguals in the e-office.

Hindi library across all operating units including Corporate Office was also established, consisting of Hindi books to promote culture of reading and learning, fostering cultural and social interaction and access to a wide range of information to keep oneself updated.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

Apart from the business of manufacturing cement, the core value of CCI is to give back to the society by providing social, environmental and economic benefits to the community it operates. The company has been undertaking its CSR activities in conformity with the Companies Act, 2013. CCI carries out CSR projects in and around the areas where units are situated. CSR initiatives have been undertaken in the field of sanitation, hygiene and promotion of healthcare facilities and skill development.

In view of the guidelines issued by DPE for the year 2023-24, CPSE were required to spend 60% of their CSR budget on the theme of "Health & Nutrition", preferably in aspirational districts. During the Financial Year 2023-24, CCI has contributed in different thematic areas including:

Installation of 1KL RO Plant each at the Community Centre of village Kando, at secondary school in Manal village and in Primary School in CCI Rajban township so as to ensure safe & purified drinking water to local residents and school children:





Distribution of Dry Fruits at DAV High School in CCI Tandur Township, Karankote:





Installation of Reverse Osmosis (RO) system at the primary school in village Muglawala Kartarpur:





Distribution of Sanitary Napkins to Girl students at DAV High School in CCI Tandur Township, Karankote:





A Free Pediatric Medical Camp was organized in collaboration with OMNI Hospital, Hyderabad at DAV High School, CCI Tandur Township, Karankote:





A Medical Camp was organized in Chhachetti Village Panchayat by CCI Rajban Cement Factory, wherein free health check-up was done for local residents:





Installation of Water Geyser at Bokajan Community Health Centre, Dillai State Dispensary, Hidipi primary Health Centre and Diphu Medical College, Diphu:





Installation of ECG Machine at Bokajan Community Health Centre, Bokajan.

Refrigerator installation at Bokajan Community Health Centre, Dillai State Dispensary and Hidipi primary Health Centre.

For CSR 2023-24, the company has also contributed towards Skill development programme through Apparel Made-ups & Home Furnishing Sector Skill Council (AMHSSC).

11. WELFARE OF WOMEN:

The Company has invariably tried to create a culture of equitability which has encouraged women to proactively participate in all domains in the organization. This culture has brought about an internal shift in their thinking so their actions can be different and better, which has helped them and the organization to grow. Women employees are given all statutory and other benefits across Units/Offices of the Corporation.

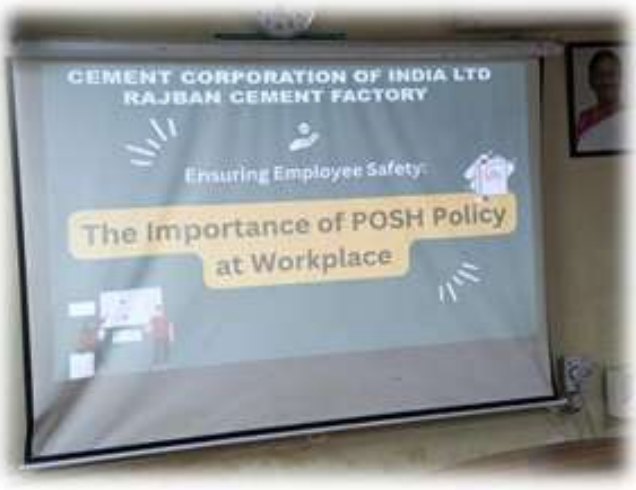
In order to protect & safeguard the interests of women employees and build a safe workplace, a committee has been established in conformity with Prevention of Sexual Harassment (PoSH) Act. The committee addresses any issue related to sexual harassment policy, reviews the company sexual harassment policy time to time and has sensitised the employees with the provisions of the Act.

During the FY 2023-24, the committee has not received any complaint under Sexual Harassment of Woman at Workplace.

The International Women's Day 2024 was celebrated with active participation from all women employees. On the occasion of International Women's Day, a session on PoSH Act was conducted as well as a lecture on the "Constitution and Legal provisions & Rights of Women in India" was delivered. The Ladies Club, formed across all the units of CCI, organizes various social and recreation activities for women and addresses any women related issue. Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to Ladies Club to conduct Vocational and Computer literacy programmes to promote women as well as to take care of Mother & Child Health care.

As a part of the observance of the Sexual Harassment at Workplace, a Session was organized about the PoSH Act, 2013 to equip. everyone with the knowledge & tools to foster a respectful environment:





International Women's Day was celebrated with fervor & renewed commitment at Corporate Office. An Awareness Session on the POSH Act Was held during the day& inspiring stories were shared by Ms.Bhayana, POSH Expert:





In celebration of Women's Equality Day in the Month of August, organized special events to honor the achievements of women and promote gender equality:





12. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

In adherence to the guidelines issued by Government of India, Cement Corporation of India has constituted an effective Grievance Redressal mechanism for its employees in Corporate office and Units so as to ensure timely resolution of grievances.

Employees can raise grievances at any point of time related to wage matters, working conditions, leave, work assignments and welfare amenities etc. Depending on the nature of grievance, the committee ensures that all grievances are addressed and resolved informally in good thought. CCI's Grievance system is extensive, simplified and flexible which has manifested effectiveness in promoting pleasant relationships between employees and management leading to better productivity.

13. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industries and Department of Public Enterprises,

As per guidelines issued by DPE vide OM No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017, OM No W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIV/17 dated 04.08.2017 and OM No. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XVI/17 dated 07.09.2017 on Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, MHI has issued presidential directives on 01.09.2023 to implement pay revision notionally effective from 01.01.2017 and actually with effect from 01.04.2023. The said order (Presidential Directives) has been implemented.

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

Green Initiative and Energy saving projects taken up by Corporation is provided below:

- **Installed 1 MW Solar Power Plant in Rajban Unit on RESCO Model and also under finalisation stage in Bokajan and Tandur unit, making a significant step towards sustainable energy :**



Quality With No Compromise





- **Fly Ash handling system installed in Tandur unit which will resulting into rise in addition of Fly Ash in production cement by uses a carbon-negative process of manufacturing:**



- **Foundation Stone Laying of Coal shade space frame structure at Tandur unit by Sh. Sanjay Banga, CMD, a significant milestone in our journey towards modernization and effective utilization of Coal:**



- **Sh. Sanjay Banga, CMD, unveils Hot Air Diversion System Harnessing waste heat from preheater outlet to coal mill operation at CCI, Rajban. It is also under execution in Bokajan Unit for Raw Mill:**







- **Sh. Sanjay Banga, CMD, inaugurated a cutting-edge Pulse Jet Bag House (PJBH) at CCI, Rajban to combat air pollution:**







15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.

17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

1. The CVC, as the apex integrity organization in India, adopts different initiatives to strive towards ensuring integrity in Public Administration. This year, as per CVC guidelines in prelude to Vigilance Awareness Week 2023, a three months campaign (from 16th August 2023 till 15th November 2023) was organized in CCI.

During the campaign various training programs were conducted on Preventive Vigilance measures, Capacity building, IOs/POs, Ethics and Governance, Systems and Procedures of the organization, Cyber hygiene and Security, procurement etc. All the officers from CO & Units were trained during these trainings and were encouraged to train other employees to sensitize about the need for transparency and Integrity in public Governance.

2. As per the CVC guidelines, three month campaign was organized in CCI with the following Preventive Vigilance measures as focus areas:

(a) Awareness building about Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Resolution.
(b) Capacity Building programs.
(c) Identification and implementation of Systemic Improvement measures.
(d) Leveraging of IT for complaint disposal.
(e) Updation of Circulars / Guidelines / Manuals.
(f) Disposal of complaints received before 30.06.23.

3. Vigilance Awareness Week was observed from 30th October to 5th November 2023 with the following theme:

"भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"

"Say no to corruption; commit to the Nation"

4. Different Competitions like Essay writing, Poster making and Debate Competitions were organized in all the three Units and Corporate office during the week to create awareness among the masses. Workshops were organized in nearby Villages, Institutes and Schools of Rajban, Bokajan and Tandur Plant.

5. Regular preventive vigilance activities were performed in CCI such as identification of areas prone to corruption, identification of sensitive posts & carrying periodic rotation of officers/staff in sensitive posts, surprise inspections, scrutiny of Immovable Property Returns and preparation of Agreed & ODI lists etc.

6. As per the CVC guidelines our Organization used to send Quarterly Performance Reports, CTE Reports and Quarterly Progress Reports to Central Vigilance Commission (CVC) periodically.

Sh. Nizamuddin, (CVO), visited Tandur Unit and inspected the limestone mines & factory area to discuss the operations and important plant matters with senior officials:





CVO graced the Vigilance Awareness Week closing ceremony at Corporate Office in Presence of Sh. Sanjay Banga, CMD, and Sh. P.K. Chand, Dir. (F), were prizes awarded to the winners of various competitive events organized:





18. E-PROCUREMENT / INTEGRITY PACT

The e-procurement facility has been in place in the organization. M/s. NIC (National Informatics Center), New Delhi is the service provider for e-procurement portal.

Tenders above Rs. 50000.0 (Fifty Thousand) are being invited through e-tender, through NIC/GeM portal.

The Integrity Pact has been implemented. The IEM has been appointed to oversee the implementation of Integrity Pact, for all tenders above Rs. 10.0 (Ten) Lakhs.

19. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds, accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance. The company has the following internal audit system mainly :–

- Internal Audit by Independent Chartered Accountant firms

Outside Internal auditors are appointed on the basis of Open Tender/ Empanelment after due recommendation by Audit Committee and approval from Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor, corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated and management has taken steps to update all other manuals time to time for better check and control.

20. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2023-24.

21. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

23. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

24. ANNUAL RETURN

The Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed on the website of the company. The URL for the Annual Return is https://www.cciltd.in/page.php?id=29

25. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The company has conducted five (5) Board

Meetings i.e. on 28.06.2023, 31.08.2023, 27.09.2023, 09.01.2024 and 17.01.2024 during the financial year 2023-24.

26. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

27. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.

(f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

28. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

29. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2023-24

30. DIRECTORS

The following directors were appointed/ ceased during the year 2023-24:

- Ms. Mukta Shekhar, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 12.04.2023.

- Dr. Renuka Mishra, ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of the Company w.e.f. 12.04.2023. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.

31. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel, Non-official Independent Directors of CCI have given their respective Declaration of Independence under the provisions of Section 149 (7) of the Companies Act, 2013.

32. DIGITALIZATION, E-PRCOUREMENT,

BILL TRACKING, ERP, ONLINE SALES MODULE, ONLINE PROVIDENT FUND MODULE, ONLINE PERFORMANCE APPRAISAL PORTAL, CYBER SECURITY AUDIT ETC.

Digitalization at CCI:

· CCI has taken up several initiatives to enhance transparency and improve efficiency such as e-Procurement of Works, Goods and Services, e-Office, Video Conferencing Solution, to name a few.

· The latest updates and information made by the company can be accessed at Company's website: https://www.cciltd.in which includes the Company Profile/ Organizational History of CCI, Vision & Mission, Annual Reports, latest Tenders, Photo Gallery, Plants/CCI Offices, HRM/HRD etc.

E-Procurement Portal:

The CCI is using the GeM (Government e-Market Place) portal for procurement of Goods, Services and Works. However, GePNIC CPP e-procurement portal of Govt. of India is used in case of non-availability in GeM portal. The e-procurement portal GePNIC is a secure and transparent procurement system.

E-mail:

The CCI has migrated mail servers to NIC (Govt. of India) for better security of electronic mail. Now the email.gov.in portal is being used for accessing emails, which is having the dual authentication facility.

Digitalization of Records:

The exercise for digitalization of records has been initiated for better record management of official documents.

Bill Tracking System for Vendor:

CCI has provided a link at CCI's official website for "Online Bill Tracking System" to help the Vendors.

ERP:

The project for moving from Tally ERP 9 to SAP Business One ERP system has been initiated for better management of information systems and data security. The system is in trial stage.

The "Go live" event of SAPB1 software launched by Sh. Sanjay Banga, CMD:



Online Sales Module:

The online sale module in CCI website is available wherein the customer can place the request for purchase of cement directly to the plants.

Online Provident Fund Module:

CCI introduced PF online Module in Intranet Website for facilitating the employee.

Online Performance Appraisal Portal:

The Online Performance Appraisal system is being used for transparency and streamlining.

Cyber Security Audit:

The cyber security audit is also initiated for mitigating IT security vulnerability in online portals. The Centralized Firewall has been installed at CCI-Tandur Unit, for Parameter level security.

CCI Ltd organized a session at Corporate Office on 'Cyber Hygiene & Security' imparted by Sh. P.K Gupta, Sr. D(IT) & HOD, MHI, NIC, for increasing awareness among employees by demonstrating various IT tools to detect & prevent cyber frauds:





33. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

34. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are for away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. The entire production of cement is being sold in the domestic market.

35. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. PVRN & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors and Branch Auditor for Rajban unit for the year 2023-24 and M/s. K P Sarda & Co. and M/s. Karvy & Co., were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. HMVN & Associates, Cost Accountants, were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s. Bandyopadhyaya Bhaumik & Co., Cost Accountant for Bokajan & M/s. PKR & Associates LLP, Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2023-24.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2024. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the remarks made by the Secretarial Auditor in their report, your Directors have clarified as under: (i) Total six meetings of Audit Committee were held during 2023-24, however, the same is noted for compliance (ii) As suggested follow up is being taken up with Banks by Finance Deptt.

36. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee of the company consists of the following Directors:

a. Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman.

b. Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member

c. Shri Joseph Atul T. Barla, Director (Govt. Nominee) as Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company **www.cciltd.in**

37. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Ministry of Heavy Industries, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, PESB, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s. PVRN & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Audit, Industry and Corporate Affairs. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No: 09353339

Date : 30.09.2024
Place: New Delhi

Particulars under following heads as required under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rules 2014.

A. CONSERVATION OF ENERGY

(I) The steps taken or impact on conservation of energy:

- Replaced inefficient motors / re-wounded motors by energy efficient motors such as motors of Preheater Fans, Cooler Fans to reduce the energy losses.
- Replaced Power Transformers with OLTC & AVR and Distribution Transformers with efficient transformers
- Replaced Conventional bulbs / tubes with LED lamps in colony & plant
- Installation of Energy Efficient Ceiling Fans in place of conventional fans
- Reduction in the idle operation of equipment by providing the interlock & monitoring
- Installation of APFC panels to improve the power factor
- The conversion of connection of the LT motors from Delta to Star
- Installation of efficient control panels for ESP of Cement Mill & Raw Mill
- Proposal finalised for installation of Coal Shed for smooth operation of Kiln during rainy season and avoiding the excess coal consumption
- The diversion of waste hot gasses from preheater fan outlet to coal mill inlet for drying of coal. The coal consumption got reduced.

(II) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy:

- The 1 MWp Solar Power Plant under RESCO MODEL has been commissioned at CCI-Rajban unit.

- The 1 MWp Solar Power Plant under RESCO MODEL is under tendering stage at CCI-Bokajan and 6 MW Solar Power Plant is under finalisation at CCI-Tandur.

(III) The Capital investment on energy conservation equipment's.

The CCI has invested ₹344 Lakhs for taking up the various energy conservation measures by way of improvement in efficiency and reducing losses.

B) TECHNOLOGY ABSORPTION

(i) The efforts made towards technology absorption;-

a) Installed Energy Efficient motors for Cement Mills, Kiln Belt Bucket elevator etc.

b) Installed switching breakers of SF6 type in place of MOCB for 132 Voltage level.

c) Installed new Vacuum Circuit Breaker in place of Oil Circuit Breaker

d) Installed AVR for voltage optimisation and synchronization with RTCC panels for 7 MVA transformers

e) The pulse jet bag house was installed in place of ESP. This has reduced the wastage of material in air as well as reduced the pollution level.

(ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution

(a) The installation of Dry fly ash feeding system for increasing the addition of the fly ash for utilization of the waste material of thermal power plant and reduce the cost of production

(b) The utilisation of technology such as installation of VCB, AVR etc improved the plant operation in turn enhancing productivity.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year): NIL

(a) The details of technology imported: NA
(b) The year of import: NA
(c) Whether the technology been fully absorbed: NA
(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and: NA
(iv) The expenditure incurred on Research and Development: NA

Wrapping up a successful XXth North East Metalliferous Mines Safety Week, 2023-24 at Radisson Blu Hotel Guwahati,under DGMS,Guwahati Region. Honored to have Sh.Sanjay Banga,CMD, Sh.P.K Chand,Dir(F) & Chief Guest Sh.S.S Prasad, DDG,DGMS with us:





Annexure A

CSR ACTIVITIES

1 A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as "A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating".

CCI integrates and align its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

2. (i) Net Worth- 221.61 Crore

(ii) Turnover- 417.05 Crore

(iii) Net Profit- 95.05 Crore

(iv) Criteria that triggered CSR applicability Net Profit Exceeding 5 Crores.

3. (a) (i) Whether CSR Committee has been constituted- YES

(ii) Number of Directors composing CSR Committee- 03

(iii) Number of meetings of CSR Committee held during the year- 02

Sr. No.	DIN	Name of Director	Category	No. of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	07392367	Dr. Ravindra Shivshankar Arali	Independent Director	02
2.	09391340	Dr. Manju Baghel	Independent Director	02
3.	10122179	Shri Joseph Atul T. Barla	Director (Govt. Nominee)	02

(b) (i) Whether the company has a website- YES

(ii) If Yes, Provide web-link- http://cciltd.in/pagaphp?id=194

(iii) Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

- Composition of CSR Committee- YES
- CSR Policy – YES
- CSR projects approved by the Board- YES



(c) (i) Whether Impact assessment of CSR projects is carried out in pursuance of sub-rule (3) of Rule 8 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014, if applicable- NIL

(ii) If Yes, whether the same has been disclosed in the Board Report- NA

(iii) Provide web-link, if any- NA

(d) (i) Whether any amount is available for set off in pursuance of sub-rule (3) of Rule 7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014- NIL

(ii) If yes, provide details:

S. No.	Financial Year	Amount available for set-off (in Rs.)	Amount set-off in the financial year, if any (in Rs.)	Balance Amount (in Rs.)
1.	2020-21	--	--	--
2.	2021-22	--	--	--
3.	2022-23	--	--	--
	Total	--	--	--

4. (a) Whether the company has completed the period of three financial years since its incorporation – YES

(b) If no, then provide the number of financial years completed since incorporation- NA

(c) Net Profit & other details for the preceding financial years:

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in Crores)		
		FY-1 (2020-21)	FY-2 (2021-22)	FY-3 (2022-23)
1.	Profit before tax	13.16	40.20	95.29
2.	Net Profit computed u/s 198	13.16	40.20	13.55
3.	Total amount adjusted as per rule 2(1)(h) of the CSR Policy Rules 2014	0	0	0
4.	Total Net Profit for section 135 (2 -3)	13.16	40.20	13.55

(d) Average Net Profit of the company as per section 135 (5)- Rs. 2230 Lakhs

5. (a) 2% of Average net profit of the company as per section 135 (5) – Rs. 44.60 Lakhs

(b) Surplus arising out of the CSR projects/ programs or activities of the previous financial year, if any - NIL

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any – 4.39 Lakhs

(d) Total CSR obligation for the financial year (5a+5b-5c) - Rs. 40.21 Lakhs

6. (a) Whether CSR amount for the financial year has been spent- YES

(b) If yes, CSR amount has been spent against:

- Ongoing projects- YES
- Other than ongoing projects- NA
- Both (Ongoing and other than ongoing projects)- NA

(i) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Number of Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Project ID	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes /No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
					State	District				CSR Registration No.	Name
1	--	Schedule VII (i)	Health & Nutrition	Yes	Telangana	K.V. Rangareddy	12 Months	13,61,370	Direct	--	--
2	--	Schedule VII (i)	Health & Nutrition	Yes	Assam	Karbi Anglong	12 Months	12,55,328	Direct	--	--
3	--	Schedule VII (i)	Health & Nutrition	Yes	Himachal Pradesh	Sirmaur	12 Months	8,37,457	Direct	--	--
4	--	Schedule VII (ii)	AMHSSC	No	Uttar Pradesh	Kanpur	24 Months	8,43,440	Direct	--	--
							Total	42,97,595			

(ii) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: NIL

Number of Other than Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation- Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District			CSR Registration No.	Name
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					Total				



(c) Amount spent in Administrative Overheads- NIL

(d) Amount spent on Impact Assessment, if applicable- NIL

(e) Total Amount Spent for the financial year – Rs. 42,97,595

(f) Amount unspent/ (excess) spent for the Financial year [5(d)-6(e)] unspent for Ongoing projects) – Rs. 2,76,595

(g) Amount eligible for transfer to Unspent CSR Account for the Financial year as per Section 135 (6) (before adjustments) - NIL

(h) Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the Financial Year (if total unspent for the Financial Year is greater than unspent for Ongoing projects) - NIL

7. Details of transfer of Unspent CSR amount for the financial year:

(a) Transfer to Unspent CSR account as per Section 135(6)

Amount to be transferred to Unspent CSR account	Amount actually transferred to Unspent CSR account	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

(b) Transfer to Fund specified in Schedule VII as per second proviso to Section 135(5) for the Financial Year:

Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII	Amount actually transferred to Fund specified in Schedule VII	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

8. Specify the reason(s) if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per section 135(5): NA

9. Whether any unspent amount of preceding three financial years has been spent in the financial year: NO

(a) Details of CSR amount spent in the financial year pertaining to three preceding financial year(s):

Sl. No.	Preceding Financial Years	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under Section 135(6) (in Rs.)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs.)	Deficiency, if any
					Amount (in Rs.)	Date of Transfer		
1	2020-21	--	--	--	--	--	--	--
2	2021-22	--	--	--	--	--	--	--
3	2022-23	--	--	--	--	--	--	--

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Amount spent for the project at the beginning of the Financial Year (In Rs.)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Cumulative Amount Spent at the end of Financial Year (in Rs.)	Status of the project - Completed/ Ongoing
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(c) (i) Whether any new CSR project has been undertaken in the financial year from the Unspent amount pertaining to preceding three financial years: NO

(ii) If yes, nature of the new CSR Project(s) is/are:

- Ongoing project(s) - NA
- Other than ongoing project(s) -NA
- Both (Ongoing and other than ongoing projects)- NA

(iii) Details of amount spent against new ongoing CSR project in the financial year:

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Project ID	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes /No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
						State	District				CSR Registration No.	Name
1												
2												
3												
								Total				

(iv) Details of amount spent against new other than ongoing projects in the financial year
Number of Other than Ongoing Projects: NA

S. No.	Financial year to which the new project pertain	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation- Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
					State	District			CSR Registration No.	Name
1										
2										
3										
						Total				

10. Whether any capital assets have been created or acquired through CSR spent in the financial year: **NO**

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: **NA**

Sr. No.	Short particulars of the property or assets(s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary or registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered Address
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
			Total				

Sd/-
(Ravindra Shiv shankar Arali)
Chairman (CSR Committee)

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director

Management's replies to the observations stipulated in the Audit Report on Annual Accounts for the financial year 2023-24 dated 21-08-2024 are given below:

S.No	Basis for Qualifications	Management Reply
A	Execution of title and lease deeds of land of certain units in favor of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the DDA had suo moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on 11.04.2017, the cost of which is now transferred to "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 acres, given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company. Further, MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over of 9 acres of MCD land situated at Firozpur Kalan to CCI in lieu of 14.20 acres of land, possession of which is still pending.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 04 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
B	No provision is made in respect of the liability arising out of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway 7, the alienation order of which is awaited.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 06 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
C	The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 12 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
D	The balance of certain Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 35 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
E	The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because recoverable value expected is normally more than the book value of the Assets.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 11 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.

F	The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹1,000/- each for a value of ₹355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re- issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 13 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
G	Out of the Total Inventory of ₹18,158.40 Lakh the inventory of non-operating units of ₹ 2,258.82 Lakh (around 12.44 % of Total Inventory) had been carried forward in the books at same amounts from several past years. Having regard to nature of inventory items involved and comments of branch auditors on inventory in their respective audit reports, there may be considerable depletion in value of inventory the effect of which has not been quantified or provided for by the management in the financial statements.	In Note no. 34 point no. 11 of the Annual Accounts of corporation, it has beenmentioned that the market value of the assets in respect of non-operating units as per BIFR sanctioned scheme is higher than book value of assets. Further, the non-operating units are under disinvestment/Sale.
H	a) In Adilabad, Akaltara, Bhatinda Grinding Unit, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar and Nayagoan units, No fixed assets verification report was made available to us by the management thereby questioning the actual presence of such assets as reported in financial statements, the effect of which is not possible to quantify. b) In Akaltara and Charkhi Dadri, provision on inventory was provided prior to our audit report period. However, In Akaltara, Charkhi Dadri, Kurkunta and Mandhar Units, the management failed to provide the physical verification report and basis for provision, which raises doubt about the actual existence of inventory. c) In Tandur unit, with respect to inventory of stores and spares, wherein, the auditor is unable to verify the existence and condition as the inventory was not adequately labeled or tagged. Some spares parts were scattered in an open ground which lead to rusting & Damage of spare parts. Auditor is unable to comment on whether there is impairment or obsolescence in the value of said inventory as at 31st March 2024.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 09 and 17 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts. Further w.r.t Tandur Unit, the qualification will be taken care in the subsequent year.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global economy showed signs of stabilization during FY 23-24 rising on the reduced risk of global recession and support of favorable factors such as increased household consumptions and strong emerging economies.

India remained resilient throughout FY 23-24 despite challenging global environment such as Russia Ukraine and Israel Gaza wars. It also emerged at the fifth largest global economy with estimated GDP of 3.7 trillion USD. According to NSO (National Statistics Office) India's real GDP is likely to grow at 7.6% for FY 23-24.

The economic growth of India is fueled by industrial sector specially manufacturing. Manufacturing growth is helped by ease in global commodity prices of energy, metal and food categories Construction sector also benefited from higher capital government expenditure (Capex) and increased demand of housing.

As per Union Budget 23-24, government proposed an outlay of Rs 2.7 lakh crore for the Ministry of Road Transport and Highways i.e. 30% higher as compared to budget estimate of Rs 1.99 lakh crore. An amount of Rs 79,590 crore was also allocated to Pradhan Mantri Awas Yojana. This is an initiative of the government to provide affordable housing to economically weaker section and low income groups through financial assistance.

Moreover as per interim budget 24-25, spending of over Rs 11.1 lac crore is proposed on infrastructure.

The Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan launched by Prime Minister in Oct 21 for multimodal connectivity, Smart City Mission and Amrut are also contributing to cement consumption. All these measures are likely to increase cement consumption and may help us in increase of sale.

India's cement demand recorded growth during the FY 23-24 and further increase is expected during FY 24-25 driven primarily by South Indian markets which have surplus installed capacity. This affects the profitability directly.

The total annual installed cement production capacity in India stands at 541 MTPA with Telangana where the one million production unit of CCI is located accounting for 29.77 MTPA. The per capita consumption of cement stands at 216 kg currently and is still far below the world average.

The Center's infrastructure budget allocation saw substantial increase of 17% during FY 24-25 as compared to previous year. The housing sector accounts for about 60 to 65% of the cement demand followed by infrastructure sector which constitute approximately 24% of the total cement demand.

The housing sector demand is expected to remain buoyant in the post pandemic period aided by a low interest rate regime and the government's intervention for affordable price housing.

The government of India has also adopted to use bulk cement instead of bitumen in construction of new road projects on the ground that cement is more durable and cheaper to maintain than bitumen in the long run.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

Bokajan unit organized the dealers meet. The event brought together key stakeholders to discuss business strategies & strengthen partnerships in cement industry. This initiative reflects CCI's commitment to enhancing collaboration & driving growth in the region.





CCI organised Dealers Meet in Manipur, Imphal, Great discussions on enhancing our partnerships and driving growth in the cement industry.



Regional Office, Hyderabad has launched an interactive platform called "Mason Adda" to facilitate effective communication between masons & consumers in areas where labourers gather. To create a direct channel for CCI to engage with its key stakeholders.




सी सी आई
CCI
of India Limited
Enterprise)
Company

Rajban Cement Factory's Gate Sale Dealer Meet chaired by Sh PK Chand, Director , CCI. A successful event that brought together dealers and cement enthusiasts.





REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies / Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2024, the Board of CCI comprised of six (6) Directors out of which two are Functional Directors, two Part-time Official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry and two Non-official Independent Directors.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 29.09.2023)	No. of Directorship held as on 31.03.2024 (Including CCI)	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2024
Functional Directors:						
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD*	5	5	Yes	1	NIL
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	5	5	Yes	1	NIL
Government Nominee Directors:						
3.	Ms. Mukta Shekhar** (w.e.f. 12.04.2023)	5	5	NA	9	NIL
4.	Shri Joseph Atul T. Barla	5	5	Yes	3	NIL
Independent Directors:						
5.	Dr. Ravindra Shivshankar Arali***	5	5	Yes	1	3
6.	Dr. Manju Baghel	5	5	Yes	1	NIL

* Shri Sanjay Banga, C&MD, CCI was entrusted with the additional charge of the post of Chairman & Managing Director, Engineering Projects (India) Limited (EPIL) with effect from 01.10.2023 to 31.12.2023 or till further orders, whichever is earliest subject to approval of ACC. Pursuant to Order No. 12-16/4/2017-TSW (e-12883) dated 07th November, 2023 of Ministry of Heavy Industries, Govt. of India, Shri Sanjay Banga, C&MD, CCI ceased to be Chairman & Managing Director, Engineering Projects (India) Limited (EPIL) with effect from 20th November, 2023 (F/N).

**Ms. Mukta Shekhar, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industry was appointed as Part-time Official Director (Government Nominee) on the Board of CCI w.e.f. 12.04.2023 vice Dr. Renuka Mishra, Economic Adviser, Ministry of Heavy Industry.

*****Designated Partner at following LLPs:**

- Health Point Multispeciality Hospital LLP, Sangli, Maharashtra
- Synergy Multi Speciality Hospital LLP, Sangli, Maharashtra
- Sangli Urban Co. Op Bank, Sangli

The company held five Board Meetings i.e. on 28.06.2023, 31.08.2023, 27.09.2023, 09.01.2024 and 17.01.2024 during the year 2023-24.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. The C&MD/Directors decides the date and place of Board/Committee meetings. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.

- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.

- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.

- Presentations are made in the Board / Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.

- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board / Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board / Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board Meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An Action Taken Report on the important decisions of the Board/Committee members is presented as and when the ATR agenda received. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as



detailed below:-

- Memorandum of Understanding (MOU), Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies / firms, etc.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company do not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the Independent Directors are being paid sitting fees at the rate of Rs. 15,000/- (Rs. Fifteen thousand only) per Board meeting and Rs. 12,000/- (Rs. Twelve thousand only) for Committee meetings. Out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof are also re-imbursed to Independent Directors.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held (As on 31.03.2024)

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2023-24)
Functional Directors:			
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	Functional Director	NIL
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	Functional Director	NIL

Government Nominee Directors			
3.	Ms. Mukta Shekhar (w.e.f. 12.04.2023)	Govt. Nominee Director	1. H.M.T. (International) Limited 2. H.M.T. Limited 3. Bridge & Roof Co (India) Ltd 4. NEPA Ltd 5. Rajasthan Electronics and Instruments Ltd 6. Engineering Projects (India) Limited 7. HMT Machine Tools Limited
		Additional Director	1. HMT Watches Limited
4.	Shri Joseph Atul T. Barla	Govt. Nominee Director	1. Hindustan Cables Limited 2. Tungabhadra Steel Products Limited
Independent Directors:			
5.	Dr. Ravindra Shivshankar Arali	Independent Director	1. Health Point M ultispeciality Hospital LLP 2. Synergy Multi Speciality Hospital LLP 3. Sangli Urban Co. Op Bank, Sangli
6.	Dr. Manju Baghel	Independent Director	NIL

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to Directors by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel



have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2023-24.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

The company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

1) **Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman**
2) **Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member**
3) **Shri Joseph Atul T. Barla, Director (Govt. Nominee) as Member**

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2023-24, six Audit Committee Meetings were held on 15.06.2023, 26.06.2023, 26.09.2023, 14.12.2023, 15.01.2024 and 02.03.2024 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	6	6
2. Dr. Manju Baghel	6	6
3. Shri Joseph Atul T. Barla	6	6

4. Nomination & Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Nomination & Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

The Nomination & Remuneration Committee of the company consists of the following Directors:-

1) **Dr. Manju Baghel, Independent Director as Chairperson**
2) **Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director, as Member**
3) **Shri Joseph Atul T. Barla, Director (Govt. Nominee) as Member**

During the year 2023-24, Four Remuneration Committee Meetings were held on 07.07.2023, 25.08.2023, 26.09.2023 and 11.12.2023 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	4	4
2. Dr. Manju Baghel	4	4
3. Shri Joseph Atul T. Barla	4	4

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2023-24 are given below:-

(Rs. In lakhs)

S. No	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance Incentive	Value of Perquisite	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	31.84	6.77	0.00	8.89	0.39	3.82	51.71
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	28.48	6.00	0.00	5.90	0.63	3.31	44.32
3.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	19.70	5.87	0.00	0.00	0.18	2.36	28.12
	Total	**80.02**	**18.64**	**0.00**	**14.79**	**1.20**	**9.50**	**124.15**

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have a Corporate Social Responsibility Committee. The Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the company consists of the following Directors:-

1) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman
2) Dr. Manju Baghel, Independent Director as Member
3) Shri Joseph Atul T. Barla, Director (Govt. Nominee) as Member

During the year 2023-24, two Corporate Social Responsibility (CSR) Committee meetings were held on 27.12.2023 and 24.02.2024 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	2	2
2. Dr. Manju Baghel	2	2
3. Shri Joseph Atul T. Barla	2	2



6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	57th AGM	58th AGM	59th AGM
Date & Time	25th February, 2022 at 04:30 PM	28th September, 2022 at 11:30 AM	29th September, 2023 at 11:00 AM
Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Special Resolution(s) passed	No	Yes	No

9. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the Accounting Standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the Financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2024.

IV. Presidential Directives:

MHI has issued presidential directives on 01.09.2023 to implement pay revision notionally effective from 01.01.2017 and actually with effect from 01.04.2023. The said order (Presidential Directives) has been implemented.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.cciltd.in. The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

12. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the Competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

13. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates, Practicing Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises and Management's reply forms part of the Annual Report for the financial year 2023-24 which is Annexed herewith.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No: 09353339

Date : 30.09.2024
Place: New Delhi

Amit Agrawal & Associates
Company Secretaries
Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members,
Cement Corporation of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Cement Corporation Of India Limited, (herewith referred as 'the Company') for the year ended on **31st March, 2024** as stipulated in 'Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010' vide Notification No. 1 No. 18(8)/2005- GM originally issued on 22.06.2007 and revised guidelines vide office memorandum dated 14th May, 2010 by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Government of India and annexure mentioned there under (herein referred as 'Guidelines').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in abovementioned DPE guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

Place : Delhi

Date : 12.06.2024

For Amit Agrawal & Associates
(Companies Secretaries)

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES C.P. : 3647 Company Secretaries

CS Amit Agrawal
(Partner)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311F000561284

Amit Agrawal & Associates
Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cement Corporation Of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We report that:

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation Of India Limited** (hereinafter referred as 'the Company') having its registered office at Core -5, Scope Complex 7, Lodhi Road, New Delhi-110003. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Company's Responsibilities

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the maintenance of secretarial record under the Companies Act, 2013 and compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards. Further the Company's management and the Board of Directors are also responsible for establishing and maintaining adequate systems and process, commensurate with the size and operations of the Company to identify, monitor and ensure compliances with the applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Auditor's Responsibilities Statement

Our responsibility is only to examine and verify those compliances on a test basis and express an opinion on these secretarial records based on our audit.

We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.



We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Limitations

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the Secretarial Auditing Standards as prescribed by Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

Further, we conducted the secretarial audit by examining the secretarial records including minutes, documents, registers, other records and returns related to the applicable laws on the Company etc. received via electronic means. The management has confirmed that the records submitted to us are the true and correct. We have also relied upon representation given by the management of the Company for certain areas which otherwise requires physical verification.

Basis of Opinion

We have followed the audit practices, secretarial auditing standards and processes as were applicable and appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification in some cases was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. We also believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

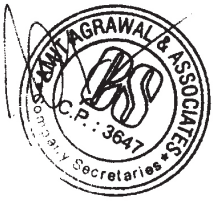
Report on Secretarial Records and Compliances thereof

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2024 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed and other records maintained by **M/s. Cement Corporation Of India Limited** for the financial year ended on **31st March, 2024** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India



(iii) Other laws applicable specifically to the Company namely:

a) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
b) Payment of Gratuity Act, 1972
c) Payment of Minimum Wages Act, 1948
d) The Maternity Benefit Act, 1961
e) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act), 2013
f) Payment of Bonus Act, 1965
g) Employees' State Insurance Act, 1948;
h) Indian Trust Act, 1882 created for PF purposes for its employees.
i) Environment (Protection) Act, 1986
j) Food Safety and Standard of India Act, 2011
k) The Factory Act, 1948
l) Compulsory Notification of Vacancy Act 1959
m) Payment of Wages Act
n) Workman`s and Compensation Act
o) The Gratuity Act
p) Equal Remuneration Act
q) Industrial Dispute Act
r) Employment of Children Act
s) Indian Stamp Act
t) The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972

However, During the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to the Company because of clause (I) no FDI and ECB has been taken by the Company since incorporation and for (II) & (III) clauses below the Company is unlisted Company. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

I. Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulation made there under to the extent Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.

II. The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act').

III. The Listing Agreement with any Stock Exchange.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, standards etc. mentioned above except our observation as given below:

a. The time gap between two audit committee meeting is more than 120 days.

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES Company Secretaries C.P. : 3647

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Non-Executive Directors and Women Director.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Further, the Company has 4 charges which are shown on MCA Portal due to non-filing of form 17 (Form CHG-4 under Companies Act, 2013) with the Registrar of Companies, however the same were satisfied years ago as per One Time Settlement (OTS) with the respective Bank/ Financial Institutions.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the compliance by the Company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory financial audit by other designated professional.

We further report that during the audit period there were no specific events / corporate actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. having a major bearing on the Company`s affairs:

Place: Delhi
Date : 19.07.2024

For Amit Agrawal &Associates
(Companies Secretaries)

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES * Company Secretaries * C.P. : 3647

CS Amit Agrawal
(Partner)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311F000776741

P V R N & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
6772/2, Block 10B, Sparda Bhawan , D.B Gupta Road,
Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi - 110005
Ph: - 9811305334 E - mail: jindalrahul60@gmail.com

Independent Report

To

The Members,
Cement Corporation of India Limited,
New Delhi

Report on the Audit of the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED** ("the Company") CIN No –U74899DL1965 GOI004322 which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2024, and Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated four units (Tandur, Tandur YRO, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India and Rajban (Himachal Pradesh), Mandhar, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Unit as at 31st March 2024, its profit or its loss, and its Cash Flows for the year then ended.

Basis for Qualified Opinion

1. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favor of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the DDA had suo moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on 11.04.2017, the cost of which was transferred to "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 acres, given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company. Further, MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over of 9 acres of MCD land situated at Firozpur Kalan to CCI in lieu of 14.20 acres of land, possession of which is still pending.

2. No provision is made in respect of the liability arising out of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway 7, the alienation order of which is awaited.

3. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation.

4. The balance of certain Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is



unascertainable.

5. The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because realizable value expected is normally more than the book value of the Assets.

6. The company had issued ₹3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹1,000/- each for a value of ₹355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re- issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction.

7. Out of the Total Inventory of ₹18,158.40 Lakh the inventory of non-operating units of ₹ 2,258.82 Lakh (around 12.44% of Total Inventory) had been carried forward in the books from several past years. Having regard to nature of inventory items involved and comments of branch auditors on inventory in their respective audit reports, there may be considerable depletion in value of inventory the effect of which has not been quantified or provided for by the management in the financial statements.

8. As per the audit report of different units following are the qualification points as follows:

a) In Adilabad, Akaltara, Bhantinda Grinding Unit, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar and Nayagaon units, No Fixed asset verification report was made available to us by the management thereby questioning the actual presence of such assets as reported in financial statements. The effect of which is not possible to quantify.

b) In Akaltara and Charkhi Dadri, provision on inventory was provided prior to our audit period. However, In the Akaltara, Charkhi Dadri, Kurkunta and Mandhar units, the management failed to provide the physical verification report and basis for provision, which raises doubt about the actual existence of inventory.

c) In Tandur unit, with respect to inventory of stores and spares, wherein, the auditor is unable to verify the existence and condition as the inventory was not adequately labelled or tagged. Some spare parts were scattered in an open ground which lead to rusting & damage of spare parts. Auditor is unable to comment on whether there is impairment or obsolescence in the value of said inventory as at 31st March 2024.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013.Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to following notes in the financial statements:

a) The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dated 08.08.1996. Hon'ble BIFR, in its hearing held on 21.03.2006 has approved

the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at 7 units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc. of these non- operating units. Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Akaltara, Charki Dadri, Kurkunta and Mandhar units was sold through M/s MSTC. Sale of other plants is under progress.

b)

i) The sale of the Plant & Machinery of the Kurkunta unit was completed through M/s MSTC (A Govt. of India Enterprise) on "as is where is clean sweep basis" at ₹53.00 crores. Profit on sale of these assets is shown as an exceptional income in Note No. 31AA to Financial Statements for the year ended 31st March 2024.

ii) The sale of the Plant & Machinery of the Mandhar unit was completed through M/s MSTC (A Govt. of India Enterprise) on "as is where is clean sweep basis" at ₹55.64 crores. Profit on sale of these assets is shown as an exceptional income in Note No. 31AA to Financial Statements for the year ended 31st March 2024.

c) As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29.05.2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' was sent to MHI for approval. The necessary approval from DHI is received and the same has been implemented in the current financial year.

d) As mentioned in Note No 34.19 of the Financial Statement, the company has made a provision of Rs 7.95 crore in books of Mandhar Unit in the matter of M/s SAIL. CCI's appeal against such amount payable to SAIL were dismissed by Delhi High Court and Supreme Court. CAG had also commented under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 for the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023.

e) Note No. 11A & No. 31B wherein the Company has capitalized and calculated depreciation on certain Spares and Stand-by-equipment amounting to ₹ 14.93 crore which were originally charged off to the statement of profit and loss during the period (from FY 2016-17 to FY 2022-23) by reversing the same and disclosing under prior period items. As explained by the management, such Spares and Stand-by-equipment have been capitalized during the current year with a retrospective effect from FY 2016-17, considering the Revised AS-10-PPE (w.e.f 2016) which requires the componentization of PPE. However, in our opinion, the Company should also consider the componentization of the existing assets based on the technical evaluation.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information other than the financial statements and auditor's report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with



the standalone financial statements or our knowledge obtained during our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules,2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating

the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Other Matters

We did not audit the financial statements of 4 (four) branches included in the standalone financial statements of the company whose financial statements/ financial information include total assets of ₹350.71 crore as at 31st March 2024 and total revenues of ₹359.99 crore (Approx. 74.57% of total Revenue) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

We have examined Company's few critical financial indicators viz. inventory holding ratio, current ratio, sales graph, drop in man power as stipulated in Standard on Auditing (SA) 570 (Revised) (Going Concern) and found that these showed a negative picture about the Company till FY 2019-20, but almost all financial indicators have showed a positive picture from the FY 2020-21 and as such we have nothing to report in the matter for the FY 2023- 24.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.

2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

c) The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and returns.

e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate

Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements–Refer Note No 32 to the financial statements.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There have not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under.

iv. a) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

b) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

c) Based on such audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement.

v. The unit is not eligible to declare of pay dividend during the year.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2024 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

For PVRN & CO
Chartered Accountant
F. R N No. : 004062N

Sd/-
CA Rahul Jindal
Partner
M. No. 522355
Place : New Delhi
Date : 21-08-2024
UDIN : 24522355BKEARU1236

Annexure 'A'
Annexure to the Independent Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2024]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

1.

a) In respect of its Property, Plant, Equipment and Intangible Assets:

A. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the property, plant & equipment for units other than the 7 Non-Operating Units (Adilabad, Akaltara, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar, Nayagaon and Nayagaon expansion).

With respect to the NOU, no fixed asset register made available to us, although as per internal auditor the same is available at the units.

B. According to the information and explanation given to us the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets.

b) As explained to us, property, plant & equipment have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner program of verification adopted by the management, provides for physical verification of all the property plant & equipment at reasonable intervals for all units.

c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company except some of the units as mentioned in the branch audit reports. Following Title deeds of land and other properties of the Company are yet to be executed. Detail given as under: -

Sr. No.	Description of Property	Gross Carrying Value	Held in name of	Whether Promoter, Director or their relative or employee	Period held – indicate Range where appropriate	Reason for not being held in the name of company
1.	Mandhar (1.06 Acres)	-	-	-	-	-
2.	Akaltara (495.75 Acres)	-	-	-	-	-
3.	Bhatinda (10.12 Acres)	5.57	PSEB (Gurunanak Dev Thermal Power station Bhatinda)	No	Since 1995	Deemed ownership with CCI

4.	Nayagaon One Million Tonne Plant and Delhi Cement Grinding Unit (6.74 Acres)	-	-	-	-	-
5.	Nayagaon (0.146 Hectares)	-	-	-	-	-
6.	Head Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed as per Note No. 34.04 is yet to be ascertain, except 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit).

d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not revalued its property, plant & equipment during the year.

e) There is no proceeding initiated or are pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 (45 of 1988) and rules there under.

2. In respect of its inventory:

(a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and of stores, spare parts and raw materials, were physically verified at the end of the year by the Management for units located in Bokajan, Silchar and Tandur. However no physical verification report of inventory has been provided to us for Non-operating Units. With respect to Non-operating units the frequency of such verification is unreasonable, procedure and coverage followed by the management were not sufficient and appropriate.

(b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records to the company, the company has not availed any working capital limit hence reporting under this clause is not applicable.

3. According to the information & explanations given to us, the company has not made any investment in, provided any guarantee or security, or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties during the year and hence reporting under this clause (iii) of the order is not applicable.

4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees and securities.

5. In our opinion and according to the information and explanation are given to us, the company has not accepted deposits or deemed to be deposits. Therefore, the provisions of clause (v) of the order are not applicable to the Company.

6. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained except for the units closed/non-operational as per Hon'ble BIFR. We have, however, not made a detailed

examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

7. In respect of statutory dues:

(a) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax Deducted at Sources, Tax Collected at Source, Professional Tax, Sales Tax, Value Added Tax (VAT), Service Tax, GST, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

Nature of Dues	Nature of Statute	Amount (₹ in lakh)
Dead Rent	Dead Rent	37.10
Employment/ Professional Tax	Employment/ Professional Tax	3.09
Entry Tax	Entry Tax	13.77
Goods and service tax	Goods and service tax	6.31
Royalty	Royalty	84.63
Sales tax	Sales tax	1565.53
Surcharge/Additional Tax	Surcharge/Additional Tax	4.18
Cess on Cement	Cess on Cement	16.79
Gratuity	Gratuity	15.14
Income Tax	Income Tax	0.40

(b) According to the information and explanations given to us, the disputed amounts payable in respect of Income-Tax, Custom Duty, Excise Duty, Sales Tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears were outstanding as at 31 March, 2024 is given below:

Nature of Dues	Nature of Statute	Amount (₹ in lakh)
Panchayat Tax	Panchayat Tax	6.02
Excise Duty	Excise Duty	349.02
Non-Agri Tax (NALA Tax)	Non -Agri Tax (NALA Tax)	51.13
Service Tax	Service Tax	140.36
Property Tax Provisions	Property Tax Provisions	290.04
Royalty Payable	Royalty Payable	56.32
Royalty and Cess	Royalty and Cess	0.553
Gratuity	Gratuity	220.7
GST	GST	24.59
Sales Tax	Sales Tax	598.35
Income Tax	Income Tax	6.81

8. According to the information and explanation given to us, the company does not have transactions which are not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) accordingly clause (viii) of the order is not applicable.

9.

(a) According to the information and explanation given to us the company has defaulted in the repayment of principle amount of loans and interest thereon in respect of dues as per details given below -

Nature of Borrowing, including Debt Securities	Name of Lender	Amount not paid on due date	Whether Principal or Interest	No. of Days Delay or Unpaid	Remark if any
Interest Free Loan	Govt of India	150.90 Crore	Principal	From 2011 i.e. 4748 Days	-
Non Plan Loan	Govt of India	123.85 Crore	Interest	From 2011 i.e. 4748 Days	-

(b) The company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

(c) The company has not taken any term loan during the year and there is no unutilized term loan at the beginning of the year hence reporting under this clause (ix) (c) of the order is not applicable.

(d) The company has not raised any short-term fund during the year, hence reporting under this clause (ix) of the order is not applicable.

(e) The company did not have any subsidiary or associate or joint venture during the year and hence reporting under clause (ix) (e) of the order is not applicable.

(f) The company has not raised any loans during the year on the pledge of securities hence reporting under this clause (ix) (f) of the order is not applicable.

10.

(a) The company is not eligible to issue any securities (including debt instruments) and hence reporting under this clause (x) (a) of the order is not applicable.

(b) The company is not eligible to make any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partially or optionally) and hence reporting under this clause (x) (b) of the order is not applicable.

11.

(a) According to the information and explanation are given to us, no material fraud by the company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit. Accordingly reporting under this clause (xi) (a) of the order is not applicable.

(b) According to the information and explanation are given to us, no report under subsection (12) of section 143 of the Companies Act has been filled in form ADT-4 as prescribed under rule 13 of companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the central government.

(c) As represented to us by the management, there were no whistle blower complaints received by the company during the year.

12. In our opinion and according to the information and explanations are given to us, the company is not a Nidhi company. Accordingly, this clause (xii) of the Order is not applicable.

13. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies

Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under section133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.

14.

(a) In our opinion though the company is required to have an internal audit system under section 138 of the companies act 2013, the same have been established for the year which commensurate with size and nature of its business.

(b) Due to the system in place we were able to consider the audit report of the internal auditors.

15. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them. Accordingly, provisions of clause (xv) of the order are not applicable.

16.

(a) The Company is not required to be register under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, this clause (xvi) (a) of the order is not applicable.

(b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance Activities without a valid certificate of Registration from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, this clause (xvi) (b) of the order is not applicable.

(c) The company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the reserve bank of India Act 1934. Accordingly, this clause (xvi) (c) of the order is not applicable.

(d) According to the information and explanations provided to us during the audit, the company does not have any CIC, accordingly the requirement of this clause (xvi) (d) of the order is not applicable.

17. The company has not incurred cash losses during the current financial year i.e. period covered during the audit as well as in the previous year.

18. During the year, there has been no resignation of the statutory auditors; accordingly, clause (xviii) of the order is not applicable.

19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the board of directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that the company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We however state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

20. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has spent ₹42.98 lakhs on CSR activity during the financial year 2023-24.

21. According to the information & explanation given to us and on the basis of branch auditors reports except information, qualifications or adverse remarks already included in the above clauses (I to XX) of the order, there are no other qualifications or adverse remarks by the respective branch auditors in the companies (Auditor's Report) Order (CARO) reports of the units.

For PVRN & CO
Chartered Accountant
F. R N No. : 004062N

Sd/-
CA Rahul Jindal
Partner
M. No. 522355
Place : New Delhi
Date : 21-08-2024
UDIN : 24522355BKEARU1236



Annexure 'B'

Report on Internal Financial Controls over Financial Reporting
Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD** ("the Company") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with the generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;
2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to

permit preparation of financial statements following generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with following authorization of management and directors of the corporation, and

3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For PVRN & CO
Chartered Accountant
F. R N No. : 004062N

Sd/-
CA Rahul Jindal
Partner
M. No. 522355
Place : New Delhi
Date : 21-08-2024
UDIN : 24522355BKEARU1236

Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for the year ended 31st March 2024.

ANNEXURE-I

1. Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. We have not noticed any accounting transactions which have been processed outside the IT system.
2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	During the year there has been no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the company's inability to repay the loan.
3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the causes of deviation.	The funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.

Cement Corporation of India Limited
Balance Sheet as at March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	**02**	81,140.74	81,140.74
(b) Reserves and Surplus	**03**	(58,979.37)	(68,484.62)
		22,161.37	**12,656.12**
Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	**04**	15,090.0	15,090.07
(b) Other Long Term Liabilities	**05**	26,161.17	25,411.94
(c) Long-Term Provisions	**06**	4,132.48	4,239.75
		45,383.72	**44,741.76**
Current Liabilities			
(a) Short-Term Borrowings	**07**	-	-
(b) Trade Payables			
(i) Trade Payables-MSME	**08**	823.78	392.77
(ii) Trade Payables-Others	**08**	1,535.48	1,371.19
(c) Other Current Liabilities	**09**	7,074.01	7,757.79
(d) Short-Term Provisions	**10**	4,932.08	4,183.91
		14,365.35	**13,705.66**
Total		**81,910.44**	**71,103.54**
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
(i) Property, Plant and Equipment	**11A**	16,198.21	12,579.84
(ii) Intangible Assets	**11B**	1.11	0.30
(iii) Capital Work-In-Progress	**12**	4,577.74	6,242.83
(iv) Intangible Assets under development	**13**	12.81	12.81
(b) Non-Current Investments	**14**	227.98	227.98
(c) Long-Term Loans and Advances	**15**	4,455.01	1,965.50
(d) Other Non-Current Assets	**16**	1,638.80	1,462.23
(e) Unamortised Expenses	**17**	1,977.47	1,868.47
		29,089.13	**24,359.96**
Current Assets			
(a) Current Investments	**18**	-	-
(b) Inventories	**19**	18,189.11	17,046.41
(c) Trade Receivables	**20**	508.03	322.56
(d) Cash and Cash Equivalents	**21**	28,791.82	20,083.99
(e) Short-Term Loans and Advances	**22**	3,226.69	3,428.26
(f) Other Current Assets	**23**	2,105.66	5,862.36
		52,821.31	**46,743.58**
Total		**81,910.44**	**71,103.54**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements
The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For P V R N & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.004062N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No.522355
UDIN-24522355BKEARU1236

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Date: 21-08-2024
Place: New Delhi

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Cement Corporation of India Limited
Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Revenue			
Revenue from Operations			
(a) Sale of Products (Includes clinker)		41,705.51	44,031.02
(b) Other Operating Revenues		98.76	41.06
Total from Operations		**41,804.27**	**44,072.08**
Other Income	**24**	5,631.96	3,472.30
Total Income		**47,436.23**	**47,544.38**
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	**25**	5,662.58	5,940.54
(b) Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	**26**	(2,586.32)	(614.58)
(c) Employee Benefits Expense	**27**	5,609.92	5,395.78
(d) Finance Costs	**28**	-	-
(e) Depreciation and Amortisation Expense	**29**	1,314.90	1,003.04
(f) Other Expenses	**30**	37,872.03	34,465.04
Total Expenses		**47,873.11**	**46,189.82**
Profit / (Loss) before Exceptional and Extraordinary Items and Tax		**(436.88)**	**1,354.56**
Exceptional Items Income / (Expense)	**31AA**	9,942.13	8,174.58
Profit / (Loss) before Extraordinary Items and Tax		**9,505.25**	**9,529.14**
Extraordinary Items Income / (Expense)	**31 AB**	-	-
Profit / (Loss) before Tax		**9,505.25**	**9,529.14**
Tax Expense			
Current Tax		1,660.76	369.17
Less: MAT Credit Entitlement		(1,660.76)	(369.17)
Profit / (Loss) from Continuing operations		518.06	2,443.72
Profit / (Loss) from Discontinuing operations	**31C**	8,987.19	7,085.42
Tax expense of Discontinuing operations		-	-
Profit / (Loss) from Discontinuing operations (After Tax)		8,987.19	7,085.42
Profit / (Loss) for the year		**9,505.25**	**9,529.14**
Earnings per Equity Share (in ₹)			
Basic		**(9.66)**	**29.63**
Diluted		**(9.66)**	**29.63**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34

The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

For P V R N & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.004062N

Sd/-
(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No.522355
UDIN-**24522355BKEARU1236**

Date:21-08-2024
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Cement Corporation of India Limited
Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
A. Cash flow from Operating Activities:						
Net profit/(loss) before Tax	518.06	2,443.72	8,987.19	7,085.42	9,505.25	9,529.14
Adjusted for:						
Depreciation and amortisation expenses	1,757.08	932.00	82.70	83.31	1,839.78	1,015.31
Finance Cost	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Income	(4,008.41)	(2,731.81)	(621.80)	(246.47)	(4,630.21)	(2,978.28)
Profit on disposal of Fixed Assets	(18.30)	(6.95)	(188.78)	-	(207.08)	(6.95)
Profit on sale of Investment		-		-		-
Provisions no longer required written back	(192.43)	(363.40)	(35.50)	(25.53)	(227.93)	(388.93)
Provision for doubtful receivables	-	-	-	-	-	-
Unamortised Expenses written off	338.18	370.91	-	-	338.18	370.91
Exceptional (Income)/Expense	-	-	(9,942.13)	(8,174.58)	(9,942.13)	(8,174.58)
Extraordinary (Income)/Expense	-	-	-	-	-	-
Operating profit before working capital changes	**(1,605.82)**	**644.47**	**(1,718.32)**	**(1,277.85)**	**(3,324.14)**	**(633.38)**
Changes in Working Capital:						
Increase / (Decrease) in Trade Payables	595.30	115.53	-	(29.97)	595.30	85.56
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	(274.46)	347.42	567.84	1,422.13	293.38	1,769.55
Increase / (Decrease) in Provisions	(127.02)	1,059.72	767.92	53.88	640.90	1,113.60
Decrease / (Increase) in Trade Receivables	(185.47)	161.42	-	-	(185.47)	161.42
Decrease / (Increase) in Inventories	(2,059.14)	(3,860.80)	916.44	920.57	(1,142.70)	(2,940.23)
Decrease / (Increase) in Loans & Advances	(1,247.01)	(135.22)	(1,040.93)	(57.39)	(2,287.94)	(192.61)
Decrease / (Increase) in Other Assets	(1,681.83)	(143.00)	692.63	(76.83)	(989.20)	(219.83)
Unamortised Expenses incurred	(447.18)	(256.62)	-	-	(447.18)	(256.62)
Net cash from / (used in) Operating Activities	**(7,032.63)**	**(2,067.08)**	**185.58**	**954.54**	**(6,847.05)**	**(1,112.54)**
B. Cash flow from Investing Activities:						
Purchase of Fixed Assets	(5,591.09)	(474.44)	(2.58)	2.54	(5,593.67)	(471.90)
Interest and Other Income	4,693.08	2,895.78	621.80	246.47	5,314.88	3,142.25
Capital work-in-progress	1,638.38	(249.59)	26.70	129.70	1,665.08	(119.89)
Receipts on sale of Fixed Assets	24.34	8.26	14,144.25	4,516.94	14,168.59	4,525.20
Net cash from Investing Activities	**764.71**	**2,180.01**	**14,790.17**	**4,895.65**	**15,554.88**	**7,075.66**
C. Cash flow from Financing Activities:						
Proceeds from Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Proceeds from Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Funds transferred to other units	-	-	-	-	-	-
Grant received from Govt. of India	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Borrowing Cost paid	-	-	-	-	-	-
Fund transferred between units	14,962.00	5,847.13	(14,962.00)	(5,847.13)	-	-
Net cash from financing activities	**14,962.00**	**5,847.13**	**(14,962.00)**	**(5,847.13)**	**-**	**-**
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**8,694.08**	**5,960.06**	**13.75**	**3.06**	**8,707.83**	**5,963.12**
Opening Cash and Cash Equivalents	20,073.48	14,113.42	10.51	7.45	20,083.99	14,120.87
Closing Cash and Cash Equivalents	**28,767.56**	**20,073.48**	**24.26**	**10.51**	**28,791.82**	**20,083.99**

Cement Corporation of India Limited
Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2024

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
1 Closing Cash and Cash Equivalents comprises:						
Cash	0.80	0.97	0.03	0.03	0.83	1.00
Cheques in hand	-	-	-	-	-	-
Balance with Banks:						
- On Current Accounts	996.93	792.46	24.23	10.48	1,021.16	802.94
- On Deposit Accounts	24,265.49	15,630.82	-	-	24,265.46	15,630.82
- Under Lien	3,504.34	3,649.23			3,504.34	3,649.23
Total	**28,767.56**	**20,073.48**	**24.26**	**10.51**	**28,791.82**	**20,083.99**

2 The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.

3 Bank Deposits include deposits of ₹ 2222.92 lakh (Previous Year: ₹ 2261.04 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

4 Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.

5 Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

For P V R N & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.004062N

Sd/-

(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No.522355
UDIN-**24522355BKEARU1236**

Date:21-08-2024
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above Cash Flow Statement of Cement Corporation Of India Limited derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31, 2024 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached

For P V R N & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.004062N

Sd/-
(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No.522355

Date:21-08-2024
Place: New Delhi
UDIN-**24522355BKEARU1236**

Cement Corporation of India Limited Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under historical cost convention, on accrual basis, in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the Companies Act., 2013 except for the following items which are accounted for on cash basis.

(i) Liquidated damages / penalties / claims, other t han Railway & Insurance claims, made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.

(ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

Operating Cycle

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's operating cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of operations, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities.

01.02 Revenue Recognition

(i) Revenue is recognized net of returns, discounts and rebates etc., and also excluding Goods and Services tax.

(ii) Interest income is accrued on a time basis, with reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable.

01.03 Land & Amortisation

(i) Land given free by the State Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.

(ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.04 Investments

(i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.

(ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.05 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use.

All other borrowing costs are charged to revenue.

01.06 Fixed Assets

(i) Tangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase

price and any other attributable cost to bring the asset to its working condition for its intended use.

(ii) Intangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase price and any other attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

01.07 Depreciation / Amortisation

(i) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use. Depreciation on fixed assets is calculated on straight line basis based on the useful life of assets in accordance with the Schedule II of the Companies Act, 2013 and 95% of the cost is written off during the expected useful life of the assets as mentioned in (iv) below.

(ii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded /sold / demolished/ destroyed.

(iii) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.

(iv) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

(v) Leasehold Land is amortised over the period of lease.

(vi) Intangible assets are amortised on a straight line basis over their expected useful life as follows: Computer software is amortised over a period of five years.

01.08 Inventories

a) Valuation

(i) Stores, spare parts and raw materials, except as indicated in (ii) below, are stated at weighted average cost. The obsolete /unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.

(ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation it is stated at zero value.

(iii) Finished goods at factories / projects / in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.

(iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles Tools

and tackles are written off over a period of three years.

01.09 Deferred Revenue Expenditure

(i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.

(ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is

utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over- burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.

(iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupee one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.

(iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.

(v) In case there is no unutilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 is recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.10 Prior Period / Extraordinary Adjustments

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹ 10,000/-. In case the amount is more than ₹ 10,000/-, the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its accountal under natural head of accounts of Current year / Prior period / Extraordinary Expenditure / Income.

01.11 Accountal of Foreign Exchange Transaction

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to Incidental Expenditure During Construction (IEDC), (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but, those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

01.12 Government Grants/ Subsidies

(i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.

(ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.

(iii) Government Grants received under



Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.

(iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

01.13 Claims of the Corporation

(i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.

(ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.14 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.15 Staff Benefits

(i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

01.16 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.17 Prepaid Expenses

Expenditure of ₹ 10,000/- or less, in each case, incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.18 Accounting for Bad & Doubtful Recievables/ Loans / Advances etc

(i) Provision is made for doubtful Recievables / Loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.

(ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.19 Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers

(i) Finished goods transferred by the Units

are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.

(ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.

(iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

(iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.20 Classification of Expenditure

(i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares, except as shown as in (ii) below, are charged to Statement of Profit & Loss.

(ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance (e.g. an increase in capacity) is capitalized.

(iii) Salaries and Wages:
Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.

(iv) Other Sundry Expenses:
Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.21 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.22 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
02	**Share Capital**		
	Authorised		
	50,00,000 (31 March 2023: 50,00,000) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share	50,000.00	50,000.00
	40,00,000 (31 March 2023: 40,00,000) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share	40,000.00	40,000.00
	Total	**90,000.00**	**90,000.00**
	Issued, Subscribed and Paid-Up		
	45,59,749 (31 March 2023: 45,59,749) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	45,597.49	45,597.49
	35,54,325 (31 March 2023: 35,54,325) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	35,543.25	35,543.25
	Total	**81,140.74**	**81,140.74**

02.1 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and Preference Shares having par value of ₹ 1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.2 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

	March 31, 2024		March 31, 2023	
Equity Shares	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**
Balance as at the beginning of the year	45,59,749	45,597.49	45,59,749	45,597.49
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	45,59,749	45,597.49	45,59,749	45,597.49
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**
Balance as at the beginning of the year	35,54,325	35,543.25	35,54,325	35,543.25
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	35,54,325	35,543.25	35,54,325	35,543.25

02.3 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

	March 31, 2024		March 31, 2023	
Equity Shares	**Number of Shares**	**% of Shareholding**	**Number of Shares**	**% of Shareholding**
Government of India	45,59,749	100%	45,59,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	35,54,325	100%	35,54,325	100%

02.4 Details of shareholding of promoters in the Corporation:

Shares held by promoters at the end of the year.	**March 31, 2024**			**March 31, 2023**		
Promoter Name	**Number of Shares**	**% of Shares**	**% Change during theyear**	**Number of Shares**	**% of Shares**	**% Change during the year**
Equity Shares:						
Government of India	45,59,749	100%	0%	45,59,749	100%	0%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:						
Government of India	35,54,325	100%	0%	35,54,325	100%	0%

*** No change in %age shareholding of promoters in the Corporation during financial year 2023-24**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
03	**Reserves & Surplus**		
	Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss		
	Balance as at the beginning of the year	(68,484.62)	(78,013.76)
	Add: Net Profit / (Loss) for the year	9,505.25	9,529.14
	Balance as at the end of the year	**(58,979.37)**	**(68,484.62)**
04	**Long Term Borrowings**		
	Unsecured:		
	Govt. Loans	15,090.07	15,090.07
	Total	**15,090.07**	**15,090.07**
05	**Other Long Term Liabilities**		
	Trade Payable		
	- MSMEs	101.21	98.31
	- Others	3,173.13	3,106.67
	Security & Earnest Money Received	3,246.95	3,187.84
	Advance from Customers	451.16	41.13
	GST/Sales Tax payable	80.34	80.34
	Power dues payable	1,169.71	1,147.55
	Royalty payable	65.31	65.31
	Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan	12,385.27	12,385.27
	Other Payables	5,488.09	5,299.52
	Total	**26,161.17**	**25,411.94**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
06	**Long Term Provisions**		
	Provision for Employee benefits:		
	- Gratuity	1,871.45	1,984.82
	- Earned Leave	1,295.18	1,311.77
	Provision for Capital Work in Progress	10.57	10.57
	Other Provisions	955.28	932.59
	Total	**4,132.48**	**4,239.75**
07	**Short Term Borrowings**		
	From Banks	-	-
	Total	**-**	**-**
08	**Trade Payables**		
	Trade Payables- MSMEs	823.78	392.77
	Trade Payables- Others	1,535.48	1,371.19
	Total	**2,359.26**	**1,763.96**
09	**Other Current Liabilities**		
	Advance from customers	985.50	1,768.37
	Security & Earnest Money Received	3,044.10	1,971.87
	GST/Sales Tax Payable	975.20	1,800.60
	Power Dues Payable	998.85	1,001.08
	Dues to Employees	455.22	442.63
	Royalty payable	15.82	22.13
	Other Payables	599.32	751.11
	Total	**7,074.01**	**7,757.79**
10	**Short Term Provisions**		
	Provision for Employee benefits:		
	- Gratuity	517.06	504.43
	- Earned Leave	328.99	238.23
	Other Provisions	3,804.29	3,249.75
	Bonus	7.96	7.96
	Provision for Taxation	273.78	183.54
	Less: Mat Credit Entitlement	-	-
	Total	**4,932.08**	**4,183.91**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

11 A: Property, Plant and Equipment

(₹ In Lakh)

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2023	Addition / Adjustments	Deletion / Adjustments	As at March 31, 2024	As at April 01, 2023	Addition / Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2024	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
A)	**Works**										
1	Land Freehold	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2	Land Leasehold	2,003.78	-	-	2,003.78	1,449.79	183.84	0.00	1,633.63	370.15	553.99
3	Roads & Culverts	903.79	-	-	903.79	769.00	39.24	-	808.24	95.55	134.79
4	Plant Buildings	7,281.78	-	480.94	6,800.84	6,918.35	6.75	469.02	6,456.08	344.76	363.43
5	Non-Plant Buildings	771.56	-	60.42	711.14	574.43	7.54	52.35	529.62	181.52	197.13
6	Water Supply, Drainage & Sewerage	1,033.85	-	39.52	994.33	904.25	1.76	37.69	868.32	126.01	129.60
7	Railway Siding	3,221.03	1,830.04	51.66	4,999.41	1,993.86	147.30	49.08	2,092.08	2,907.33	1,227.17
8	Electrical Installation	2,393.12	222.52	165.41	2,450.23	1,753.27	124.46	157.73	1,720.00	730.23	639.85
9	Plant & Machinery	46,008.74	3,472.20	1,865.39	47,615.55	38,833.95	1,243.10	1,784.03	38,293.02	9,322.53	7,174.79
10	Aerial Ropeway	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71
11	Railway Rolling Stock	399.66	-	51.25	348.41	383.63	-	49.64	333.99	14.42	16.03
12	Quarry Equipment	1,832.98	-	433.64	1,399.34	1,740.24	3.41	412.79	1,330.86	68.48	92.74
13	Vehicles	400.62	14.37	148.55	266.44	360.70	3.57	141.81	222.46	43.98	39.92
14	Office Equipments	515.69	23.85	44.41	495.13	474.20	16.33	43.15	447.38	47.75	41.49
15	Furniture & Fixture	254.93	3.25	15.72	242.46	243.51	3.01	15.72	230.80	11.66	11.42
16	Miscellaneous Equipments	890.29	65.99	104.52	851.76	734.05	39.14	74.20	698.99	152.77	156.24
17	Plant & Mach. costing upto ₹ 5000	60.63	1.35	2.34	59.64	60.63	1.35	2.34	59.64	-	-
	Total Works	**70,015.41**	**5,633.57**	**3,463.77**	**72,185.21**	**58,012.26**	**1,820.80**	**3,289.55**	**56,543.51**	**15,641.70**	**12,003.15**



(₹ In Lakh)

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2023	Addition / Adjustments	Deletion / Adjustments	As at March 31, 2024	As at April 01, 2023	Addition / Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2024	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
B)	**Township**										
1	Land Freehold	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2	Land Leasehold	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3	Roads & Culverts	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02
4	Residential & welfare buildings	1,743.45	-	-	1,743.45	1,255.34	17.89	-	1,273.23	470.22	488.11
5	Water Supply, Drainage & Sewerage	185.35	-	-	185.35	155.58	0.76	-	156.34	29.01	29.77
6	Electrical Installation	39.96	-	-	39.96	38.96	-	-	38.96	1.00	1.00
7	Vehicles	117.14	-	20.49	96.65	112.52	-	19.51	93.01	3.64	4.62
8	Office Equipments	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9	Furniture & Fixture	17.59	-	1.11	16.48	16.31	-	1.11	15.20	1.28	1.28
10	Miscellaneous Equipments	20.13	-	3.98	16.15	18.37	0.05	3.48	14.94	1.21	1.76
	Total Township	**2,214.83**	**-**	**25.58**	**2,189.25**	**1,638.14**	**18.70**	**24.10**	**1,632.74**	**556.51**	**576.69**
	Total works & Township	**72,230.24**	**5,633.57**	**3,489.35**	**74,374.46**	**59,650.40**	**1,839.50**	**3,313.65**	**58,176.25**	**16,198.21**	**12,579.84**
	Previous year	**76,506.17**	**473.20**	**4,749.13**	**72,230.24**	**63,154.84**	**1,015.06**	**4,519.50**	**59,650.40**	**12,579.84**	

11 B: Intangible Assets

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2023	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2024	As at April 01, 2023	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2024	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
1		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
	Computer Software	0.81	1.09	-	1.90	0.51	0.28	-	0.79	1.11	0.30
	Total	**0.81**	**1.09**	**-**	**1.90**	**0.51**	**0.28**	**-**	**0.79**	**1.11**	**0.30**
	Previous year	**0.81**	**-**	**-**	**0.81**	**0.26**	**0.25**	**-**	**0.51**	**0.30**	

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at 31 March 2023	Additions during the year	Capitalised during the year	As at 31 March 2024
12	**Capital Work-in-Progress**				
	Mechanical consultancy	131.37	22.79	-	154.16
	Civil Engineering Works	2,029.60	12.87	-	2,042.47
	Plant & Machinery including awaiting erection	3,856.18	1,508.04	2,930.26	2,433.96
	Erection Expenses of Plant & Machinery	354.48	273.61	550.30	77.79
	Incidental Expenditure Pending Allocation*	138.19	-	-	138.19
	Capital Stores	8.82	-	1.84	6.98
	Others	160.16	-	-	160.16
	Sub Total	**6,678.80**	**1,817.31**	**3,482.40**	**5,013.71**
	Provision	435.97	-	-	435.97
	Total	**6,242.83**	**1,817.31**	**3,482.40**	**4,577.74**
*	**Incidental Expenditure Pending Allocation**				
	Employee Remuneration & Benefits				
	Salaries, Wages & Allowances	-			-
	Total	-			-
	Power	0.19			0.21
	Miscellaneous Expenses	0.33			0.68
	Legal Expenses	0.40			0.11
	Security Expenses	12.28			10.78
	Depreciation	0.14			0.14
	Total	**13.34**			**11.92**
	Transferred	13.33			11.92
	Addition during the year	-			-
	Total	**0.01**			-
13	**Intangible assets under development**				
	Software Development	14.91	-	-	14.91
	Sub Total	**14.91**	-	-	**14.91**
	Provision	2.10	-	-	2.10
	Total	**12.81**	-	-	**12.81**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars	Market Value as on 31-03-24	Book Value as on 31-03-24	Book Value as on 31-03-24	Market Value as on 31-03-23	Book Value as on 31-03-23	Book Value as on 31-03-23
14 Non Current Investments						
A Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted						
i) 31 Equity Shares of ₹ 10/- each of Andhra CementCo. Ltd. Market Value ₹ 78.04 per share on NSE (PreviousYear: ₹ 4.95 per Share)	0.02		*	*		*
ii) 280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. # Market Value @₹ 2491.70 per share on NSE(Previous Year: ₹ 1667.2 per Share)	6.98		0.01	4.67		0.01
Sub Total						
B Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted						
i) 1 Equity Share of ₹ 10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. (2)			*			*
ii) 79 Equity Share of ₹ 10/- each of Jaipur Udyog Ltd.			0.01			0.01
iii) 40 Equity Share of ₹ 5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.			*			*
iv) 55,31,250 Equity Share of ₹ 10/- each of A P GasPower Corporation Ltd. including 23,15,520 Bonus Shares		322.00			322.00	
Less: 16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares		94.04			94.04	
Balance held 39,20,840 Shares including 21,81,520 Bonus Shares			227.96			227.96
Sub Total			**227.97**			**227.97**
Total (A + B)			**227.98**			**227.98**
Aggregate of Quoted Investments						
Cost			0.02			0.02
Market Value	7.00			4.67		
Aggregate of Un-quoted Investments						
Cost			227.96			227.96
Total			**227.98**			**227.98**

(1) Converted from 28 Shares of ₹ 100 each. New Share Certificates awaited.

(2) Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.

* Amount is less than ₹ 0.01 lakh

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
15	**Long-term Loans and Advances**		
a)	**Capital Advances**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	207.20	207.20
	Doubtful	18.59	18.59
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	18.59	18.59
	Sub Total	**207.20**	**207.20**
b)	**Contractors & Suppliers**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	84.27	131.21
	Doubtful	470.63	470.63
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	470.63	470.63
	Sub Total	**84.27**	**131.21**
c)	**Balance with Govt. Department**		
	Secured, Considered Good	0.38	0.38
	Unsecured, Considered Good	2,110.12	449.36
	Doubtful	151.20	151.20
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	151.20	151.20
	Sub Total	**2,110.50**	**449.74**
d)	**Insurance and Other claims**		
	Secured, Considered Good	7.52	-
	Unsecured, Considered Good	12.91	8.46
	Doubtful	133.84	133.84
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	133.84	133.84
	Sub Total	**20.43**	**8.46**
e)	**Loans & Advances to Employees**		
	Secured, Considered Good	3.16	3.16
	Unsecured, Considered Good	0.60	0.60
	Doubtful	0.37	0.37
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.37	0.37
	Sub Total	**3.76**	**3.76**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

		As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
f)	**Claims Recoverable- Railways**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	13.44	13.44
	Doubtful	406.06	406.06
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	406.06	406.06
	Sub Total	**13.44**	**13.44**
g)	**Excise Duty Relief Recoverable**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	27.55	27.55
	Doubtful	80.21	80.21
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	80.21	80.21
	Sub Total	**27.55**	**27.55**
h)	**Recoverable from Employees**		
	Secured, Considered Good	0.66	0.66
	Unsecured, Considered Good	0.10	0.13
	Doubtful	7.51	7.51
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	7.51	7.51
	Sub Total	**0.76**	**0.79**
i)	**Recoverable from Outside Parties**		
	Secured, Considered Good	0.41	-
	Unsecured, Considered Good	1,986.69	1,123.35
	Doubtful	673.94	673.94
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	673.94	673.94
	Sub Total	**1,987.10**	**1,123.35**
j)	**Shortage, Losses Pending Investigation**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	589.52	589.52
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	589.52	589.52
	Sub Total	**-**	**-**
	Total	**4,455.01**	**1,965.50**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
16	**Other Non-Current Assets**		
	Long- Term Trade Receivables:		
	Secured- Considered Good	-	-
	Unsecured- Considered Good	-	-
	Doubtful	1,514.52	1,514.53
	Less: Allowances for doubtful receivables	1,514.52	1,514.53
	Sub Total	**-**	**-**
	Deposits: Central Excise	-	-
	Secured, Considered Good	18.00	18.00
	Unsecured, Considered Good	0.44	0.44
	Doubtful	0.02	0.02
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.02	0.02
	Sub Total	**18.44**	**18.44**
	Deposits: Others	-	-
	Secured, Considered Good	384.89	158.16
	Unsecured, Considered Good	1,233.38	1,246.13
	Doubtful	53.66	53.66
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	53.66	53.66
	Sub Total	**1,618.27**	**1,404.29**
	Interest accrued & due on Loans & Advances		
	Secured- Considered Good	-	-
	Unsecured- Considered Good	2.09	39.50
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for doubtful receivables	-	-
	Sub Total	**2.09**	**39.50**
	Total	**1,638.80**	**1,462.23**
17	**Unamortised Expenses**		
	Quarry Development Expenditure		
	Opening for the year	1,868.47	1,982.76
	Additions	447.18	256.62
		2,315.65	2,239.38
	Less: Capitalised/Adjusted	338.18	370.91
	Total	**1,977.47**	**1,868.47**
18	**Current Investments**		
	Non Trade Investments	-	-
	Total	**-**	**-**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
19	**Inventories** (As verified, valued and certified by the Management)				
a)	*Stores and Spares:*				
	In stock	7,219.82		8,136.62	
	In transit	11.41	7,231.23	80.90	8,217.52
b)	*Work in Progress:*				
	In stock	7,129.33		4,950.94	
			7,129.33	-	4,950.94
	In transit	-			
c)	*Finished Goods:*				
	In stock	1,299.80		859.83	
	In transit	26.07	1,325.87	77.96	937.79
d)	*Raw Materials:*				
	In stock	992.16		1,029.61	
			992.16	-	1,029.61
	In transit	-			
e)	*Loose Tools:*				
	In stock	0.88		1.24	
			0.88	-	1.24
	In transit	-			
f)	*Packing Materials:*				
	In stock	127.08		158.07	
			127.08	-	158.07
	In transit	-			
g)	*Coal:*				
	In stock	1,328.37		1,533.48	
	In transit	308.29	1,636.66	259.66	1,793.14
h)	*Scrap:*				
	In stock	335.89		316.04	
			335.89	-	316.04
	In transit	-			
	Sub total		**18,779.10**		**17,404.35**
	Less: Provision for Unrealisable inventory		589.99		357.94
	Total		**18,189.11**		**17,046.41**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
20 Trade Receivables					
a)	*Outstanding for a period exceeding six months*				
	Secured, Considered Good	-		1.81	
	Unsecured, Considered Good	140.56		131.52	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	140.56	-	133.33
b)	*Others*				
	Secured, Considered Good	118.92		27.37	
	Unsecured, Considered Good	248.55		161.86	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	367.47	-	189.23
	Total		**508.03**		**322.56**
21 Cash and Cash Equivalents					
	Cash in hand		0.83		1.00
	Cheques in hand		-		-
	Balance with Banks:				
	- In Current Account		1,021.16		802.94
	- Fixed Deposits		24,265.49		15,630.82
	- Fixed Deposits held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of Credit		3,504.34		3,649.23
	Total		**28,791.82**		**20,083.99**

Note:
Bank Deposits include deposits of ₹ 2222.92 lakh (Previous Year: ₹ 2261.04 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
22	**Short-term Loans and Advances**		
a)	**Capital Advances**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	-	-
b)	**Deposits: Central Excise**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	17.80	17.80
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**17.80**	**17.80**
c)	**Deposits: Others**		
	Secured, Considered Good	-	220.70
	Unsecured, Considered Good	927.05	417.68
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**927.05**	**638.38**
d)	**Contractors & Suppliers**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	960.24	689.19
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**960.24**	**689.19**
e)	**Balance with Govt. Department**		
	Secured, Considered Good	569.56	730.14
	Unsecured, Considered Good	31.95	564.91
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**601.51**	**1,295.05**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
f)	**Insurance and Other claims**		
	Secured, Considered Good	8.61	14.38
	Unsecured, Considered Good	242.57	332.70
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**251.18**	**347.08**
g)	**Loans & Advances to Employees**		
	Secured, Considered Good	4.93	4.75
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**4.93**	**4.75**
h)	**Claims Recoverable- Railways**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**-**	**-**
i)	**Excise Duty Relief Recoverable**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	52.17	52.17
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**52.17**	**52.17**
j)	**Recoverable from Employees**		
	Secured, Considered Good	12.60	11.23
	Unsecured, Considered Good	8.36	4.84
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**20.96**	**16.07**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
k) **Recoverable from Outside Parties**				
Secured, Considered Good	-		-	
Unsecured, Considered Good	390.85		367.77	
Doubtful	-		-	
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-		-	
Sub Total		**390.85**		**367.77**
l) **Shortage, Losses Pending Investigation**				
Secured, Considered Good	-		-	
Unsecured, Considered Good	-		-	
Doubtful	-		-	
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-		-	
Sub Total		**-**		**-**
Total		**3,226.69**		**3,428.26**
23 Other Current Assets				
Interest Accrued on Term Deposits		1,158.99		474.32
Recoverable from outside parties		946.67		5,388.04
Total		**2,105.66**		**5,862.36**
24 Other Income				
Rent from Property		2,112.63		2,104.23
Interest on:				
- Fixed deposits with banks		1,915.21		693.29
- Others		56.14		42.36
Receipts from Township		53.82		47.70
Excess Provision written back		227.93		388.93
Miscellaneous Income		492.41		90.70
Prior Period Income (Net) (Refer Note-31 B)		566.74		98.14
Profit on sale of discarded Assets		207.08		6.95
Total		**5,631.96**		**3,472.30**
25 Cost of Raw Materials Consumed				
Opening Balance	1,029.61		874.19	
Acquisition during the year:				
Limestone Raising, Quarrying & Transportation (1)	3,757.40		4,139.56	
Other Raw Materials Purchased	1,867.73	6,654.74	1,956.40	6,970.15
Less: Closing Stock		992.16		1,029.61
Raw Materials Consumed		**5,662.58**		**5,940.54**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	Year ended March 31, 2024		Year ended March 31, 2023	
(1)	**Limestone Raising, Quarrying & Transportation**				
	Limestone Raising & Payment to Contractors		1,257.31		1,161.54
	Employees Remuneration & Benefits				
	Salaries, Wages and Bonus	338.43		272.35	
	Gratuity paid	32.21		42.31	
	Benefits to Employees	0.68		0.12	
	Contribution to Provident Fund	26.23		21.91	
	Contribution to Pension Fund	3.71		3.52	
	Leave Encashment	13.85		22.48	
	Medical Expenses	4.66		3.82	
	Provision for Gratuity	-		7.25	
	Provision for Earned Leave	4.69	424.46	5.02	378.78
	Stores Consumed				
	Gross Amount	473.20		522.36	
	Less: Amount included under Repairs	219.59	253.61	213.75	308.61
	Power	81.95		67.08	
	Fuel	34.24		69.93	
	Rates and Taxes	16.35		21.89	
	Payment to Contract Labour	386.47		340.10	
	Royalty and Cess	1,149.11		1,426.58	
	Quarry Development Expenditure written off	338.18		370.91	
	Travelling Expenses	1.33		0.75	
	Insurance	0.80		0.63	
	Other Expenses	41.18	2,049.61	35.63	2,333.50
	Repairs				
	- Machinery	2.91		0.92	
		1.41			
	- Building			-	
	- Others	215.27	219.59	212.83	213.75
	Sub Total		**4,204.58**		**4,396.18**
	Less: Quarry Dev. Exp.		447.18		256.62
	Total		**3,757.40**		**4,139.56**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars		Year ended March 31, 2024		Year ended March 31, 2023
26	**Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade**				
	Semi Finished Goods				
	- Opening Stock	4,950.94		4,665.37	
	- Closing Stock	7,129.33	(2,178.39)	4,950.94	(285.57)
	Finished Goods				
	- Opening Stock	859.83		656.04	
	- Closing Stock	1,299.80	(439.97)	859.83	(203.79)
	Finished Goods in transit				
	- Opening Stock	77.96		2.72	
	- Closing Stock	26.07	51.89	77.96	(75.24)
	Scrap Stock				
	- Opening Stock	316.04		266.06	
	- Closing Stock	335.89	(19.85)	316.04	(49.98)
	Total		**(2,586.32)**		**(614.58)**
27	**Employee Benefits Expenses**				
	Salary, Wages and Bonus		4,048.14		4,097.73
	Gratuity Paid		443.10		293.71
	Benefits to Employees		10.81		2.72
	Leave Encashment		280.29		237.18
	Contribution to Provident Fund		329.20		284.39
	Contribution to Pension Fund		31.00		35.85
	Medical Expenses		258.72		244.93
	Provision for Earned Leave		88.43		22.97
	Provision for Gratuity		9.43		48.43
	Staff Welfare Expenses		110.80		127.87
	Sub Total		**5,609.92**		**5,395.78**
	Less: Employee Benefits Expenses transferred to IEDC		-		-
	Total		**5,609.92**		**5,395.78**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars		Year ended March 31, 2024		Year ended March 31, 2023
28	**Finance Cost**				
	Other Borrowing Cost				
	- Others		-		-
	Total		-		-
29	**Depreciation and Amortisation Expense**				
	Depreciation/ Amortisation		1,839.78		1,015.31
	Less: Amount charged to Prior Period		524.74		12.13
	Sub Total		**1,315.04**		**1,003.18**
	Less: Depreciation transferred to IEDC		0.14		0.14
	Total		**1,314.90**		**1,003.04**
30	**Other Expenses**				
	Power	9,410.61		9,014.60	
	Coal	16,165.93		13,862.50	
	Fuel Oil	9.55		5.22	
	Rent	22.94		23.56	
	Rates & Taxes	328.66		156.78	
	Insurance	36.22	25,973.91	36.17	23,098.83
	Repairs & Maintenance				
	- Plant & Machinery	1,796.08		1,625.04	
	- Buildings	138.20		124.06	
	- Others	350.48	2,284.76	351.45	2,100.55
	Other Production Expenses		612.61		499.30
	Tools & Tackles Written off		0.45		0.82
	Travelling Expenses		94.01		108.09
	Selling Expenses				
	- Freight on Cement	2,550.31		3,097.94	
	- Handling Charges	161.73		169.18	
	- Godown Charges	14.90		32.98	
	- Sales Promotion & Publicity	42.95		36.56	
	- Other Selling Expenses	13.87	2,783.76	34.92	3,371.58
	Vehicle Running Expenses		26.56		28.42
	Auditors' Remuneration				
	- For Audit Fee	8.85		7.75	
	- For Reimbursement of Expenses	0.15		1.22	
	- In Other Capacity	1.86	10.86	2.25	11.22

Cost Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	0.95		0.95	
- For Reimbursement of Expenses	0.04	0.99	0.04	0.99
Subscription to CRI & Others		5.47		4.85
Communication Expenses		12.52		17.75
Printing & Stationery		20.87		21.73
Hire Charges for Data Processing		-		0.17
Legal & Professional Expenses		154.60		198.72
Security Expenses		696.90		719.26
Interest on deposits from Stockists/Others		915.86		89.19
Training of Workers & Supervisors		-		-
Miscellaneous Expenses (1)		416.79		392.80
Payment to Contract Labour		1,743.02		1,684.58
Expenses on closed project		11.92		13.33
Provision for doubtful receivables & advances		-		-
Prior period Expenses (Net) [Refer Note No.31B]		-		-
Corporate Social Responsibiity		42.98		6.00
Consumption of Stores & Spare Parts:				
- Gross Amount	2,538.80		2,108.53	
- Less: Includes under Repair &	1,643.08	895.72	1,441.44	667.09
Maintenance				
Packing Materials		1,179.25		1,442.97
Sub Total		**37,883.81**		**34,478.24**
Less: Expenses transferred to IEDC A/c				
Power expenses		0.21		0.19
Legal and Professional expenses		0.11		0.40
Security expenses		10.78		12.28
Miscellaneous expenses		0.68		0.33
Total		**37,872.03**		**34,465.04**

(1) Includes:			
- Commission on Sale of Assets (NOU)	108.64		115.10
- loss on Discard of Assets	6.56		-
- Director Sitting Fees	5.70		4.20

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars		Year ended March 31, 2024		Year ended March 31, 2023
31	**Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years**				
31AA	**Exceptional Items**				
	Income:				
	Waiver of Interest etc.		96.63		-
	Profit on sale of Assets		10,080.90		8,626.68
	Sub total		**10,177.53**		**8,626.68**
	Expenses:				
	Loss on Sale/Discard of Assets		235.40		452.10
	Sub total		**235.40**		**452.10**
	Net Exceptional Items Income/(Expenses)		**9,942.13**		**8,174.58**
31AB	**Extraordinary Items**				
	Income:				
		-	-		-
	Sub total		-		-
	Expenses:				
		-	-		-
	Sub total		-		-
	Net Extraordinary Items Income/(Expenses)		-		-
31B	**Prior Period Items**				
	Income:				
	Interest	-		-	
	Store and spare, Materials and Others	1,541.02	1,541.02	241.94	241.94
	Total		**1,541.02**		**241.94**
	Expenses:				
	Repairs & Maintenance	335.18		-	
	Rates & Taxes	15.05		51.00	
	Interest	-		-	
	Depreciation & Amortisation	524.74		12.13	
	Store and spare, Materials and Others	99.31		80.67	
	Total		**974.28**		**143.80**
	Net Prior Period Income / (Expense)		**566.74**		**98.14**



31C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

	Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
		Year eneded March 31, 2024	Year eneded March 31, 2023	Year eneded March 31, 2024	Year eneded March 31, 2023	Year eneded March 31, 2024	Year eneded March 31, 2023
A	**Revenue:**						
	Turnover (Net)	41,705.51	44,031.02	-	-	41,705.51	44,031.02
	Other Operating Revenue	98.76	41.06	-	-	98.76	41.06
	Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	2,803.08	709.94	(216.76)	(95.36)	2,586.32	614.58
	Total	**44,607.35**	**44,782.02**	**(216.76)**	**(95.36)**	**44,390.59**	**44,686.66**
B	**Expenses:**						
	Operating Expenses	48,897.74	45,538.61	1,561.69	1,265.79	50,459.43	46,804.40
	Total	**48,897.74**	**45,538.61**	**1,561.69**	**1,265.79**	**50,459.43**	**46,804.40**
C	**Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities**	**(4,290.39)**	**(756.59)**	**(1,778.45)**	**(1,361.15)**	**(6,068.84)**	**(2,117.74)**
	Interest Expenses	-	-	-	-	-	-
D	**Profit/(Loss) Before Tax**	**(4,290.39)**	**(756.59)**	**(1,778.45)**	**(1,361.15)**	**(6,068.84)**	**(2,117.74)**
	Income Tax	-	-	-	-	-	-
E	**Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax**	**(4,290.39)**	**(756.59)**	**(1,778.45)**	**(1,361.15)**	**(6,068.84)**	**(2,117.74)**
	Other Income	4,808.45	3,200.31	823.51	271.99	5,631.96	3,472.30
F	Exceptional Items: Income/(Expenses)	-	-	9,942.13	8,174.58	9,942.13	8,174.58
	Extraordinary Items-						
G	Income/(Expenses)	-	-	-	-	-	-
H	**Net Profit / (Loss) from Operating Activities**	**518.06**	**2,443.72**	**8,987.19**	**7,085.42**	**9,505.25**	**9,529.14**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
32	**Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)**		
A)	**Contingent Liabilities**		
(i)	Claims against the company not acknowledged as debts		
a)	Income Tax Demand	10.15	8.77
b)	Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	546.13	659.61
c)	Bokajan Expansion Contract	11,513.00	12,060.00
d)	Arbitration Matter	595.23	971.99
e)	Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,151.50	1,151.50
f)	Power wheeling charges etc. in respect of Units	38,724.06	35,017.36
g)	Others- Miscellaneous Cases	5,005.84	6,114.18
(ii)	Other money for which company is contingently liable	-	-
	Sub Total	**57,545.91**	**55,983.41**
B)	**Commitments**		
a)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for	674.25	1,520.65
	Sub Total	**674.25**	**1,520.65**
	Total (A+B)	**58,220.16**	**57,504.06**

Note:

Effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for servicematters etc. has not been given in the Books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

	Particulars	Year ended March 31, 2024		Year ended March 31, 2023	
33	**Quantitative Details**				
1	**Actual Production**				
	Portland Cement				
	- Ordinary	4,68,247.00	M Tonnes	5,04,380.00	M Tonnes
	- Pozzolana	3,81,423.00	M Tonnes	3,63,815.00	M Tonnes
		8,49,670.00	M Tonnes	**8,68,195.00**	M Tonnes
2	**Clinker (A pre cement stage material & not an additional product)**				
	- Own manufactured	8,29,980.00	M Tonnes	7,93,985.00	M Tonnes
	- Purchased	-	M Tonnes	-	M Tonnes
3	**Cement Despatches**	8,42,415.40	M Tonnes	8,64,558.71	M Tonnes

		Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh
4	**Opening Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	12,507.14	495.51	11,264.73	368.82
	- Cement PPC	8,331.65	316.00	6,066.23	188.75
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	663.30	34.41	1,045.90	42.05
	- Cement PPC	326.75	13.91	1,285.15	45.93
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	948.60	43.40	-	-
	- Cement PPC	870.80	34.56	75.00	2.72
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	2,515.95	-	4,888.25	-
	- Cement PPC	3,015.50	-	3,351.00	10.48
	Sub Total	**29,179.69**	**937.79**	**27,976.26**	**658.75**
b)	Clinker (Own manufactured)	1,73,355.68	4,006.87	1,74,336.68	3,674.98
	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
	Sub Total	**1,73,355.68**	**4,006.87**	**1,74,336.68**	**3,674.98**
5	**Net Sales including self consumption/Transfer etc.**				
i)	Cement OPC	4,64,430.50	41,699.61	5,02,374.86	44,026.61
ii)	Cement PPC	3,79,456.20		3,62,034.05	
iii)	Cement used for testing	0.04	-	0.06	-
iv)	Cement shortage during transit	19.92	-	-	-
v)	Self Consumption OPC	16.25	0.99	68.75	3.73
vi)	Self Consumption PPC	78.24	4.91	13.10	0.68
		8,44,001.15	**41,705.51**	**8,64,490.82**	**44,031.02**
vii)	Clinker	-	-	-	-



Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

		Year ended March 31, 2024		Year ended March 31, 2023	
		Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh
6	**Closing Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	17,208.92	790.47	12,507.14	495.51
	- Cement PPC	10,884.47	475.84	8,331.65	316.00
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	491.85	25.27	663.30	34.41
	- Cement PPC	178.85	8.22	326.75	13.91
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	218.50	15.66	948.60	43.40
	- Cement PPC	334.50	10.41	870.80	34.56
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	595.60	-	2,515.95	-
	- Cement PPC	-	-	3,015.50	-
	Sub Total	**29,912.69**	**1,325.87**	**29,179.69**	**937.79**
b)	Clinker (Own manufactured)	2,12,215.33	6,328.71	1,73,355.68	4,006.87
	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
	Sub Total	**2,12,215.33**	**6,328.71**	**1,73,355.68**	**4,006.87**
7	**Others**				
i)	Clinker Transferred to /(from) other units	-	-	-	-
ii)	Cement Sold as Scrap /Cement discarded	4,935.85	-	2,500.75	-
iii)	Clinker Sold as Scrap /Clinker discarded	17,593.35	192.20	3.00	0.05
	Total	**22,529.20**	**192.20**	**2,503.75**	**0.05**
8	**Clinker used for Cement Grinding**	7,73,527.00	30,066.16	7,94,963.00	29,153.24
9	**Raw Materials Consumed**				
i)	Limestone	12,05,548.92	3,760.28	11,93,941.00	3,921.00
ii)	Laterite	5,963.00	35.20	11,072.00	65.19
iii)	Iron Ore	22,885.00	597.76	21,386.00	566.82
iv)	Gypsum	24,713.00	726.00	23,389.00	734.16
v)	Shale	-	-	17,530.00	188.25
vi)	Fly Ash	60,935.00	528.67	59,035.00	452.94
vii)	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
viii)	Burnt Clay	653.00	5.85	1,105.00	10.69
ix)	Others	17,203.00	8.82	5,978.00	1.49
	Total		**5,662.58**		**5,940.54**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

		Year ended March 31, 2024		Year ended March 31, 2023	
		Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh
10	**Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:**				
i)	Raw Materials	-	-	-	-
ii)	Components and Spare Parts	-	-	-	-
iii)	Capital Goods	-	-	-	-
	Total		-		-
11	**Directly Imported and indigenously available Raw mateirals, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :**				
	Directly Imported	0.75%	61.61	0.84%	67.55
	Indigenously Available	99.25%	8,139.77	99.16%	7,981.40
		100.00%	**8,201.38**	100.00%	**8,048.95**



Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

34 Notes Forming Part of Financial Statements

34.01 The claims/ counter claims lodged by the Corporation for ₹99,634.00 lakh (Previous year ₹99,956.14 lakh) are under arbitration/ pending in various Courts etc., and the outcome will be known only on award / decree etc. Hence effects are not given in the Accounts.

34.02 Under section 143(3), Income Tax Department, for the Assessment Years 2006-07 and 2007-08, assessed income of ₹88,500.88 lakh and ₹8,798.64 lakh respectively and adjusted the same with brought forward losses. As a result, the assessed losses of the company reduced to ₹97,299.52 lakh. The company had filed appeals and Appellate Authority had reverted back the case to Assessing Officer. Consequently, the Assessing officer recomputed the Total Income to ₹8,852.22 lakh due to the addition w.r.t disallowance of depreciation on Plant and Machinery of Non Operating Units. Hence, the assessed loss of the company now stands reduced by ₹53.58 lakh making the cummulative carried forward loss to ₹97,353.09 lakh. The company has filed an appeal against the disallowance of ₹53.58 lakh and the same was disposed-off by CIT (Appeals) in the favour of CCI. Further, during assessment u/s 143(3) for A.Y. 2018-19, Assessing Officer has made addition of ₹183.14, lakh to the returned income of the Corporation thereby raising a demand of ₹73.36 lakh. Aggrieved with the said order of assessment, Corporation has filed an Appeal u/s 246A.

34.03 The contract of Bokajan Expansion, including Silchar Unit, had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited , Bangalore (Contractor) in the year 2010 for ₹18,208 lakh. M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. CCI also lodged counter claim for loss/damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work including Silchar for ₹93,013.28 lakh against the contractors claim of ₹12,060.00 lakh. Work Order issued to the party has been cancelled. In Silchar Unit case the learned arbitral tribunal has passed award against CCI dated 13.12.23, CCI has challenged award before Delhi High court, matter is under admission stage and in Bokajan unit case arguments are under progress.

34.04 Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara),10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad) are yet to be executed. MHI has given the direction for disinvestment of Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA vide their letter dated 11.04.2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now transferred to 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. Further, MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over 9 acres of MCD land situated at Firozpur Kalan (Faridabad) to CCI in lieu of 14.20 acres of land. The action in this regard is under progress.

Remaining 6.74 acres of land allotted for construction of Railway sidings for CCI was given to Railways to construct the Railway siding. Pending Construction of the railway siding work, the land along with siding is not yet handed over to CCI. Northern railway vide letter dated 23.03.2023 informed that reconciliation with CCI is under progress.

34.05 Mining lease is deemed to have been granted for all the Govt. Company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03.12.2015. Accordingly, mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.

34.06 The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration is not made in the accounts.

34.07 The shares of various Companies (Face Value of ₹37.79 lakh), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹214.00 lakh taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹2.80 lakh (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.

34.08 The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹266.58 lakh excluding Electrical Installation of ₹5.70 lakh, is being amortized provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner. However, the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.

34.09 A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.1996. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 08.08.1996. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion / technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc. of these non-operating units . Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Aklatara, Charkhi Dadri, Kurkunta and Mandhar units was sold through M/s MSTC . Sale of other plants is under progress.

34.10 (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.

(ii) Plan Loan from Government of India since 1975 (interest free) amounting to ₹15,090.07 lakh (Previous year: ₹15,090.07 lakh) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 03.05.2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹12,385.27 lakh on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The Company is in default in towards repayment to this extent. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

34.11 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chhattisgarh	06 June 1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	14 August 1996
iii)	Akaltara	Chhattisgarh	09 December 1996
iv)	Nayagoan & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	30 June 1997
v)	Kurkunta	Karnataka	01 November 1998
vi)	Adilabad	Telengana	05 November 1998
vii) a	Delhi Grinding Unit	Delhi	08 February 1999
vii) b	Bhatinda Grinding Unit	Punjab	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure/sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of any potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

34.12 The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s India Cements Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.

34.13 During implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of ₹35,543.25 lakh was issued on 22.03.2007 for seven years, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry as per Cabinet / BIFR direction.

34.14 Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.

34.15 For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.

34.16 Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Accounting Standard-17 is not applicable.

34.17 (i) Tender for sale of Assets of Kurkunta Unit was floated through M/s MSTC (Govt. of India Enterprise) for Sale of Plant & Machinery along with dismantling, stores & spares on "As is where is and clean sweep basis". Total Sale of ₹5,300 Lakh to give this effect the Net Block of Fixed Assets of ₹43.80 Lakh, Stores & Spares of ₹372.24 lakh and Raw Material of ₹3.29 Lakh were discarded and effect of Income and Expense (Net) ₹4,880.67 Lakh shown as exceptional Item in Note No. 31A.

(ii) Tender for sale of Assets of Mandhar unit was floated through M/s MSTC (Govt. of India Enterprise) for Sale of Plant & Machinery along with dismantling, stores & spares on "As is where is and clean sweep basis". Total Sale of ₹5,564 Lakh to give this effect the Net Block of Fixed Assets of ₹84.88 Lakh, Stores & Spares of ₹247.24 Lakh, CWIP of ₹26.70 Lakh and Raw Material of ₹ 4.95 Lakh were discarded and effect of Income and Expense (Net)

₹5,200.23 Lakh shown as exceptional Item in Note No. 31A.

34.18 In accordance with the provisions of section 115JB of Income Tax Act, 1961 the company is liable to pay tax on book profits subject to certain adjustments as provided therein. Book profit for the current financial year is calculated as per the provisions of Section 115JB of Income Tax Act, 1961. Consequently Book profit of current year of ₹9,505.25 Lakh is liable to MAT amounting ₹1,660.76 Lakh only. The said amount is shown under Current Tax Expenses and MAT credit entitlement as well. MAT Credit being a Deferred Tax Assets the amount is shown in Note No.15.

34.19 A provision of ₹7.95 Crores is provided in books of Mandhar Unit against order of High Court in the matter of M/s SAIL, company has filed appeal in High Court. (Diary No. E -1766219/2024 dated 30.05.24).

34.20 As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29.05.2017. As per the practice, the recommendation from 'Board of Directors' was sent to MHI for approval. The necessary approval from DHI is received and same has been implemented in the current financial year.

34.21 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 10.

In ₹ Lakh

Particulars	Opening Balance		Adjustment/Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Gratuity	2489.25	2485.80	136.22	132.22	35.48	135.67	2388.51	2489.25
Bonus	7.96	8.36	-	0.40	-	-	7.96	7.96
Capital work-in-progress	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
E.L. Liability	1550.00	1599.31	67.33	154.66	141.50	105.35	1624.17	1550.00
Others incl. MAT	4365.88	3206.02	616.26	480.91	1283.73	1640.77	5033.35	4365.88



34.22 Details of interest due / paid to Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs)

In ₹ Lakh

S. No	Description	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	924.99	491.08
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	405.24	391.83
3	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount ofpayment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment(which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	-	-
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	13.41	13.41
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	405.24	391.83

34.23 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of Provident Fund (P.F.) at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated Earned Leave (EL), Half Pay Leave (HPL) etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefits

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summary of various defined benefits recognised in the statement of Profit & Loss and Balance Sheet are as follows:

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

In ₹ Lakh

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
a)	Current Service Cost	102.76	104.27	110.93	106.76	0.72	0.71
b)	Interest Cost	175.10	168.68	113.15	112.66	0.98	0.89
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	83.25	50.53	67.24	(45.28)	(0.07)	3.54
d)	Expenses recognised in the Statement of Profit & Loss	361.11	323.48	291.32	174.14	1.63	5.14

B. Amounts recognized in Balance Sheet

In ₹ Lakh

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
a)	Present value of obligation as at the end of the period	2,275.16	2,375.91	1,609.43	1,535.26	13.00	13.16
b)	Funded status/Difference	(2,275.16)	(2,375.91)	(1,609.43)	(1,535.26)	(13.00)	(13.16)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	(2,275.16)	(2,375.91)	(1,609.43)	(1,535.26)	(13.00)	(13.16)

C. Change in present value obligation

In ₹ Lakh

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	2,375.91	2,372.45	1,535.26	1,584.56	13.16	12.51
b)	Current Service Cost	102.76	104.27	110.93	106.76	0.72	0.71
c)	Interest Cost	175.10	168.68	113.15	112.66	0.98	0.89
d)	Benefits Paid	(461.86)	(320.03)	(217.15)	(223.44)	(1.79)	(4.49)
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	83.25	50.53	67.24	(45.28)	(0.07)	3.54
f)	Present value of obligation as at the end of the year	2275.16	2375.91	1609.43	1535.26	13.00	13.16

D. Amount for the current period

In ₹ Lakh

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
a)	Present value of obligation as at the end of the year	2,275.16	2,375.91	1,609.43	1,535.26	13.00	13.16
b)	Surplus/(Deficit)	(2,275.16)	(2,375.91)	(1,609.43)	(1,535.26)	(13.00)	(13.16)

E. Actuarial Assumptions

Sl.	Description	As at 31 March 2024	
i)	Retirement age	60 years	
ii)	Age	***Withdrawal Rate***	***%age***
		Upto 30 years	0%
		From 31 to 44 years	1%
		Above 44 years	1%
iii)	Discounting rate	7.21%	
iv)	Future salary increase	6.00%	
v)	Expected return on Plan Assets	Nil	

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

34.24 Ageing Schedule of Trade payables due for payment (Ref. Note No. 05 and 08 to Balance Sheet):

In ₹ Lakh

S. No	Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
i	**MSME**					
	-Current Year	792.93	1.73	-	99.48	894.14
	-Previous Year	392.77	-	15.02	82.36	490.15
ii	**Others**					
	-Current Year	1,535.48	127.60	53.24	2,988.75	4,705.07
	-Previous Year	1,371.19	98.31	12.95	2,991.87	4,474.32
iii	**Disputed dues - MSME**					
	-Current Year	30.85	-	-	-	30.85
	-Previous Year	-	0.18	0.75	-	0.93
iv	**Disputed dues - Others**					
	-Current Year	-	-	-	3.54	3.54
	-Previous Year	-	-	-	3.54	3.54

34.25 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 16 to Balance Sheet):

In ₹ Lakh

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	**Undisputed Trade receivables -considered good**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
ii	**Undisputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	**Disputed Trade Receivables-considered good**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iv	**Disputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.26 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 20 to Balance Sheet):

In ₹ Lakh

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	**Undisputed Trade receivables - considered good**						
	-Current Year	367.47	1.40	20.32	7.83	63.95	460.97
	-Previous Year	189.23	4.53	17.46	10.84	54.05	276.10
ii	**Undisputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	**Disputed Trade Receivables-considered good**						
	-Current Year	-	-	-	-	47.06	47.06
	-Previous Year	-	-	-	-	46.46	46.46
iv	**Disputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.27 Title deeds of Immovable Property not held in name of the Corporation as on 31.03.2024:

S. No	Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter / director or employee of promoter / director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
i	PPE	Land	5.57	PSEB (Gurunanak dev Thermal Power station bhatinda)	No	Since 1995	Deemed ownership with CCI
		Building : Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI
ii	Investment property	Land					
		Building					
iii	PPE retired from active use and held for disposal	Land					
		Building					
iv	others						

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed as per note 34.04 (PPE retired from active use and held for disposal) is yet to be asertain, except 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit).



34.28 a. Ageing schedule of Capital-work-in progress as on 31.03.2024:

CWIP - loss on		Amount in CWIP for a period of				Total*
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
-Current Year						
Projects in progress:						
i	Storage Silo	612.95	-	-	4.20	617.15
ii	Pollution control equipment	156.22	34.30	-	-	190.52
iii	Energy efficient motor and other's	77.26	45.40	-	-	122.66
iv	Hot Air Duct	22.79	-	-	-	22.79
v	Biometric machine	-	-	-	0.12	0.12
Projects temporarily suspended:						
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	483.51	483.51
-Previous Year						
Projects in progress:						
i	Railway line	-	-	-	1,830.04	1,830.04
ii	Bucket Elevator	-	-	-	323.14	323.14
iii	Storage Silo	-	-	4.20	-	4.20
iv	Pollution control equipment	320.15	68.09	-	-	388.24
v	Energy efficient motor and other's	45.89	-	-	-	45.89
vi	Biometric machine	-	-	0.12	-	0.12
Projects temporarily suspended:						
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	510.21	510.21

b. CWIP completion schedule for capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as on 31.03.2024:

S. No	CWIP	To be completed in			
		Less than1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	Project 1				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.29 a. Ageing schedule of Intangible assets under development as on 31.03.2024:

In ₹ Lakh

S. No	Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	Projects in progress:					
i	Software Development					
	-Current Year	-	-	0.87	11.94	12.81
	-Previous Year	-	-	12.61	0.20	12.81
	Projects temporarily suspended:					
	-Current Year	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-

b. Completion schedule for Intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, as on 31.03.2024:

S. No	CWIP	To be completed in			
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	Project 1				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.30 Details of Benami Property Held viz. Year of acquisition, Amount, beneficiaries, Proceedings if any : Nil

34.31 Timely filing of statutory returns in case of borrowings from banks or Financial Institutions on the basis of security of current assets. : Not Applicable

34.32 Details of declaration of wilful defaults of corporation by any bank or Financial Insititutions. : Not Applicable Other Schedule III formats which are not applicable or Nil have not been disclosed seperately.

34.33 Details and reasons of charges or satisfaction yet to be registered with registrar of companies beyond statutory period.

In ₹ Lakh

S. No	Charge Holder Name	Amount	Reason
i	SYNDICATE BANK	460.00	Vacation of charge pending.
ii	STATE BANK OF HYDERABAD	1,230.00	Vacation of charge pending.
iii	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.
iv	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2024

34.34 Key Financial Ratios:

S. No	Financial Ratios	Numerator/Denominator	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023	% Change	Explanation for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year.
i	Current Ratio	Current Assets/Current Liabilities	3.68	3.41	7.92%	-
ii	Debt-Equity Ratio	Total Liabilities/Shareholder's Equity	2.70	4.62	-41.56%	Change in Shareholder equity due to net profit during the year.
iii	Debt Service Coverage Ratio	Net Operating Income/Total Debt Service	-	-	-	-
iv	Return on Equity Ratio	Net income/Shareholder's Equity	0.43	0.75	-42.67%	Change in Shareholder equity due to net profit during the year.
v	Inventory turnover ratio	COGS/Average Inventory	2.72	2.97	-8.42%	-
vi	Trade Receivables turnover ratio	Net Cr. Sales/Average Acs Receivable	0.96	0.62	54.84%	Increase in Trade Receivables over previous year.
vii	Trade payables turnover ratio	Cr. Purchase/Average Creditors	2.85	3.42	-16.67%	-
viii	Net capital turnover ratio	Sales/Average Working Capital	1.17	1.59	-26.42%	Increase in Positive average working capital over previous year.
ix	Net profit ratio	Net Profit/Net Sales	0.23	0.22	4.55%	-
x	Return on Capital employed	PBIT/ Total Capital Employed	0.14	0.17	-17.65%	-
xi	Return on investment	PBIT/ Total Investment	0.46	0.51	-9.80%	-



34.35 Balances shown under advances, trade payables and trade receivables, deposits to and from parties and other liabilities etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

34.36 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 30.

In ₹ Lakh

Sl.	Particulars	Year Ended 31-03-2024	Year Ended 31-03-2023
i)	Average net profit of Corporation for last three years	2230.06	80.51
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)	44.60	1.61
iii)	Total amount spent during the year as given below	42.98	6.00
iv)	Amount unspent (ii - iii)	1.62	-

Details of the amount spent during the year

In ₹ Lakh

Sl.	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/Acquisition of any assets	-	-	-	-	-	-
b)	On purposes other than above						
	(i) Promoting Education	8.43	6.00	-	-	8.43	6.00
	(i) Promoting Health Care	34.55	-	-	-	34.55	-
	Total	42.98	6.00	-	-	42.98	6.00

34.37 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

In ₹ Lakh

Sl.	Name of the Key Managerial Personnel	Designation	Year Ended 31-03-2024	Year Ended 31-03-2023
i)	Sh. Sanjay Banga[1]	Chairman & Managing Director	51.71	44.40
ii)	Sh. Pradeep Kumar Chand[2]	Director (Fin)	44.32	22.08
iii)	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	28.12	21.04

[1]Appointed as C&MD with effect from 12th October, 2021.
[2]Appointed as Director (Fin) with effect from 25th August 2022.

In addition, C&MD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1,000 kms. per month on payment of ₹2,000/- per month.

34.38 The Earnings Per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under:

Sl.	Particulars	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
a)	Net Profit after tax for the year (₹ Lakh)	9,505.25	9,529.14
b)	Less: Extraordinary/Exceptional items (₹ Lakh)	9,942.13	8,174.58
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (₹ Lakh)	3.55	3.55
d)	Net Profit after tax attributable to Equity Share Holders (₹ Lakh)	(440.43)	1,351.01
e)	Number of Equity Shares outstanding during the year	45,59,749	45,59,749
f)	Face Value of Equity Share (₹)	1,000.00	1,000.00
g)	Basic Earnings Per Share (₹)	(9.66)	29.63
h)	Diluted Earnings Per Share (₹)	(9.66)	29.63

34.39 Figures of the previous year have been split up and regrouped, wherever necessary, so as to correspond to the current year figures.

For P V R N & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.004062N

Sd/-
(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No.522355
UDIN-

Date:21-08-2024
Place: New Delhi
UDIN-**24522355BKEARU1236**

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUD
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(39)/वार्षिक लेखे/
सीसीआई(2023-24)/(2024-25)/298-299

दिनाँक: 23 OCT 2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

विषय : **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. आ. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- गशोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21 August 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 23 OCT 2024

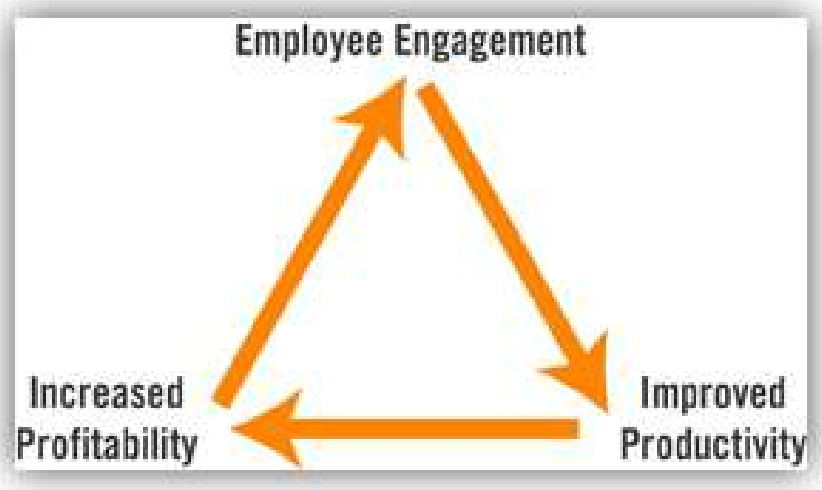
Our Employees - Our Greatest Asset

In a competitive market, retaining talent is crucial. However, over the past glorious 59 years of Cement Corporation of India's existence, the company has consistently focused on the development and management of employees, its greatest asset in order to create a productive and engaged workforce and environment.

CCI has a skillful and motivated workforce, who are the driving force behind CCI's journey over the years. Despite significant decrease in manpower strength as compared to previous years, there is no change in the company's profitability. CCI has been incessantly revalidating and innovating HR policies to adapt to employees value proposition and to create conducive environment for employees. Strong company culture and value system have shaped both employees and overall business of the corporation. They form the heartbeat of the organisation, driving performance, fostering innovation and propelling unparalled achievement. Employees are stakeholders for their work and every effort put by them adds to the company's profitability.

Employees are the brand ambassadors, the face of the company. CCI believes that valuing and investing in people leads to success, positive benefits, increased productivity and loyalty. The corporation has nurtured creativity, innovation and cross functional learning among employees, by fostering culture of Knowledge Sharing Sessions. CCI organises Knowledge Sharing Session virtually, to increase the inter unit and inter departmental rapport as well as productivity and every function in an organisation commision better research, which is personally monitored by the Chairman & Managing Director so as to ensure skill transfer across levels. Frequent plant visit by the Chairman & Managing Director to interact with employees has developed employees' momentum, thus stimulating engagement. CCI has ensured that in order to create an engaged workforce, major drivers of employee engagement such as Talent Management, Communication strategy, Workforce Planning, Employee Recognition and Participative Management are in place.

The corporation has achieved its present level of excellence through human resource which can be assessed through the existing profile of manpower strength profession wise around 69% of the total employee strength representing technically and professionally qualified degree/diploma holders and management graduates. Rapid productivity can be very well perceived by the potentially around 58% of the total employee strength falls in the age group of 25~50 years.





Professional Profile			
Sl.No.	Particulars	No. of Employees	
		As on 31.03.2023	As on 31.03.2024
1	PHDs	1	1
2	Post Graduate Engineers	1	1
3	Graduate Engineers	68	68
4	MBAs	23	18
5	Professional Diploma Holders	15	15
6	Post Graduate	19	19
7	CA/ICWA/SAS/ACS	7	6
8	Engineer Diploma Holders	38	34
9	Graduate	47	37
10	ITI Certificate Holders	86	78
11	Others	81	69
	Total	**386**	**346**

The Age wise and category wise distribution of employees as on 31.03.2024								
Row Labels	<30	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-60	Grand Total
EXE.	0	5	25	21	7	14	34	**106**
SUP.	1	12	15	7	1	5	37	**78**
WORKER	8	18	41	29	12	15	39	**162**
Grand Total	**9**	**35**	**81**	**57**	**20**	**34**	**110**	**346**



NAME OF THE UNIT	CCI LIMITED																
Manpower strength of Physically Challanged employeess as on 01/01/2024																	
Group-wise manpower strength of Physically Challanged employees as on 01/01/2024																	
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)											PROMOTION		
	(AS ON 01/01/2024)				NO. OF VACANCIES			NO. OF VACANCIES MADE				NO. OF VACANCIES			NO. OF VACANCIES MADE			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	**107**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	**80**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	**150**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	**17**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**354**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)

ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)

iii) OH stands for orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				**No. of appointments made during the calender year(Regular)**									
	(AS ON 01/01/2024)				**By Direct Recruitment**				**By Promotion**			**By Deputation / Absorption**		
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	108	13	2	22	0	0	0	0	37	4	0	0	0	0
Group B-TOT	80	9	6	18	0	0	0	0	21	5	2	0	0	0
Group C-TOT	151	27	19	46	0	0	0	0	22	6	5	0	0	0
GROUP D-TOT	17	3	3	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Total	356	52	30	90	0	0	0	0	80	17	7	0	0	0

Manal Limestone Mines of Cement Corporation of India Ltd, Rajban Cement Factory won two prestigious prizes in Mines Safety week-2024 under the aegis of Directorate General of Mines Safety.





Shri V. L Kantha Rao, Hon'ble Secretary, Ministry of Mines, New Delhi visited CCI Karankote Limestone Mines in Tandur Cement Factory on 21st December,2023 and was greeted by Sh. Sanjay Banga, CMD CCI. Various issues on Mining Lease area, Mining Reserves, Production & life of the mine were discussed:





Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhillai Steel Plant.

PARTICULARS	2023-24	2022-23	2021-22
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**4064**	**(131)**	**(103)**

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2023-24

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

PARTICULARS	2023-24	2022-23	2021-22
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**4703**	**(157)**	**(109)**

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2023-24

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighboring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

PARTICULARS	2022-23	2022-23	2021- 22
Installed capacity (in lakh tonnes)	**1.98**	**1.98**	**1.98**
Production (in lakh tonnes)	**1.18**	**1.30**	**1.08**
Value of Production (₹ in lakhs)	**8391**	**8671**	**7234**
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**503**	**431**	**(184)**

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

PARTICULARS	2023-24	2022-23	2021- 22
Installed capacity (in lakh tonnes)	**2.48**	**2.48**	**2.48**
Production (in lakh tonnes)	**1.41**	**1.57**	**1.30**
Value of Production (₹ in lakhs)	**8474**	**9145**	**7485**
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**109**	**605**	**(262)**

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

PARTICULARS	2023-24	2022-23	2021-22
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00

Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(49)**	**(195)**	**(163)**

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(62)**	**(89)**	**(81)**

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

PARTICULARS	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**504**	**4896**	**125**

As per MHI directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

PARTICULARS	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(43)**	**3017**	**(102)**

As per MHI directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telangana)

This unit went into commercial Production from April, 1984

PARTICULARS			
	2023- 24	**2022-23**	**2021-22**
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(130)**	**(256)**	**(245)**

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

PARTICULARS	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
Installed capacity (in lakh tonnes)	**10.00**	**10.00**	**10.00**
Production (in lakh tonnes)	**5.90**	**5.82**	**6.34**
Value of Production (₹in lakhs)	**27642**	**26925**	**29343**
Profit/(Loss) (₹in lakhs)	**(94)**	**1408**	**5144**



NOTES



NOTES



NOTES



विषय सूची

01.

सांविधिक रिपोर्ट

A. अध्यक्ष अभिभाषण 150
B. निदेशक की रिपोर्ट 152
C. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 196
D. निगम शासन पर प्रमाणपत्र 201
E. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 210
F. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 214

02.

वित्तीय विवरणिका

A. वार्षिक लेखे 2023.24.....228
B. नकदी प्रवाह विवरणिका 230
C. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणिया 276

03.

अतिरिक्त सूचना

A. हमारे कर्मचारीगण – हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति 278
B. हमारी इकाइयों की प्रमुख विशेषताए..... 283

60वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्षीय संबोधन



प्रिय शेयरधारक,

सीमेंट कारपोरेशान ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की 60वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की ओर से मुझे आप सभी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। इस बैठक में आपकी गरिमामयी उपस्थिति कंपनी के प्रयासों में आपका समर्थन और रुचि प्रकट करती है जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक खातों, निदेशकगणों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से, मैं इस पर प्रकाशा डालना चाहूँगा।

प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

सीसीआई एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो अन्यथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में सीमेंट निर्माण और इसकी बिक्री करता है। कंपनी ने चुनौतियों को कम करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों पर कार्य किया है।

i) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान क्लिंकर उत्पादन 829980 मीट्रिक टन था जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 793985 मीट्रिक टन था अर्थात इस वर्श इसमें 35995 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। यद्यपि, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल क्लिंकर उत्पादन वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में अधिक था, किंतु सीमेंट की मांग कम होने के कारण सीमेंट के उत्पादन पर प्रभाव दृश्टिगोचर हुआ। वित्त वर्ष 2022–23 में सीमेंट उत्पादन 868195 मीट्रिक टन था जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 849670 मीट्रिक टन था।

ii) कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 95.05 करोड़ रुपये के कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) सहित 418.04 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

मानव संसाधन विकास

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विकास ने कर्मचारियों को बेहतर ढंग से जोड़ने, स्वस्थ और पारदर्शी कार्य संस्कृति को बनाए रखने तथा निगम के मिशन और विज़न को ध्यान में रखते हुए उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ–साथ किसी भी अप्रत्याशित चुनौती की रोकथाम करने के लिए प्रभावशाली कर्मचारी अनुभव कार्यनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण



भूमिका निभाई है।

स्वच्छता को आत्मसात करने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विशेष अभियान 3.0 शुरू किया गया। कचरा मुक्त भारत के लक्ष्यों के अनुरूप, सीसीआई ने सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्क्रैप निपटान और स्थान उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पहल भी की हैं।

हरित पहल और ऊर्जा स्थिरता:

राजबन इकाई में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त, बोकाजन में 1 मेगावाट और तंदूर में 6 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र अंतिम चरण में है जो टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राजबन में कोयला मिल संचालन के लिए प्रीहीटर आउटलेट से अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग करने वाली हॉट एयर डायवर्जन प्रणाली स्थापित की गई। रॉ मिल के लिए बोकाजन इकाई में भी इस पर कार्य किया जा रहा है।

कंपनी ने सीसीआई–राजबन यूनिट में पीजेबीएच स्थापित किया है। सीसीआई–बोकाजन यूनिट में पीजेबीएच की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इससे वातावरण में निलंबित कणों का प्रदूषण कम होगा और वातावरण में उत्सर्जित धूल भी एकत्र होगी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की सीएसआर नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और इसका कार्यान्वयन निगम में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी का मानना है कि कंपनी के सभी हितधारकों के साथ नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक व्यवहार कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों का पालन करने की कुंजी है। आपकी कंपनी उसी का पालन करने की प्रति प्रतिबद्ध है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में निरंतर 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्राप्त कर रही है। कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के किसी भी टेंडर से उत्पन्न शिकायत की सुनवाई और समाधान के लिए स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक (आईईएम) नियुक्त किए गए हैं। मैं आपका ध्यान निदेशकगणों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कॉर्पोरेट प्रशासन के तहत एक अलग खंड शामिल है।

आभार

यह आपका निरंतर समर्थन और विश्वास ही है जो हमें उत्कृष्टता के लिए नए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है और मैं कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, आपको और भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को सभी प्रयासों में उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं सीसीआई के उत्पादों को निरंतर समर्थन देने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र के हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, सीएजी, हमारे बैंकर्स, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक और अन्य सभी प्राधिकरणों तथा एजेंसियों के बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

अंत में, मैं निगम के समग्र विकास और वृद्धि के लिए कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, भागीदारी और उनके समर्पण के लिए सराहना करता हूं।

आप सभी को पुनः धन्यवाद।
जय हिंद।

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिनांक 25–10–2024
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकगणों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से मुझे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ कंपनी की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न्ता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन

विगत वर्ष के आंकड़ों सहित वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

2. लाभांश

कंपनी को संचयी हानि हुई है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी।

3. व्यवसाय प्रचालन की समीक्षा तथा भावी संभावनाएं

आपके निदेशाकगणों की अभिलाशा है कि वर्ष 2023–24 के दौरान निष्पादित व्यवसाय प्रचालनों के विवरण प्रस्तुत किए जाएं जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	विवरण	2023–24 को समाप्त वर्ष के लिए	2022–23 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रचालनों से शुद्ध आय	418.04	440.72
2	अन्य आय	56.32	34.72
3	मूल्यह्रास और ब्याज के अतिरिक्त कुल व्यय	465.58	451.87
4	विशिष्ट आय / (व्यय)	99.42	81.75
5	पीबीडीआईटी	108.20	105.32
6	घटाएं : वित्तीय लागत	0.00	0.00
7	पीबीडीटी	108.20	105.32
8	घटाएं : मूल्यह्रास	13.15	10.03
9	कर पूव लाभ / (हानि)	95.05	95.29
10	घटाएं : आयकर	16.61	3.69
11	जोड़ें : एमएटी क्रेडिट पात्रता	16.61	3.69
12	कर उपरांत शुद्ध लाभ	95.05	95.29

1.1 निगम ने विगत वर्ष के दौरान 95.29 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 95.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। सीमेंट का उत्पादन विगत वर्ष के दौरान 8.68 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 8.50 लाख मीट्रिक टन है।



क. प्रचालन

(i) इकाइयों का प्रदर्शन –

प्रचालन इकाइयों के सीमेंट उत्पादन % शुद्ध क्लिंकर उत्पादन (मी. टन), सीमेंट उत्पादन (मी.टन) और सीमेंट की आपूर्ति (मी.टन) के लिए क्षमता उपयोग को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से निम्नानुसार वर्णित किया गया है:–

विवरण	मूल सं	बोकाजन		राजबन		तंदूर		कुल संचालनरत संयत्र	
		23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23
सीमेंट की क्षमता उपादेयता	%	59.72	65.57	57.02	63.19	59.00	58.16	58.76	60.04
क्लिंकर का उत्पादन	एमटी	121250	120730	127370	132425	581360	540830	829980	793985
सीमेंट का उत्पादन	एमटी	118250	129830	141420	156725	590000	581640	849670	868195
प्रेषणा	एमटी	112652	129030	140047	153615	589720	581948	842419	864593

अप्रैल 23 से मार्च 2024 तक वर्ष 2023–24 के लिए सीसीआई का समग्र क्लिंकर उत्पादन विगत वर्ष अर्थात 2022–23 में 793985 मीट्रिक टन से बढ़कर 35995 मीट्रिक टन की वृद्धि सहित 829980 मीट्रिक टन था।

मांग कम होने के कारण, क्लिंकर का इन्वेंट्री स्तर दिनांक 31.03. 2023 को 92817 मीट्रिक टन से बढ़कर दिनांक 31.03.2024 को 149270 मीट्रिक टन हो गया। धीमी मांग ने सीमेंट उत्पादन को भी प्रभावित किया क्योंकि अधिकांश समय सीमेंट साइल भरे रहने के कारण सीमेंट की पिसाई पर नियंत्रण रखा जाता था। उपरोक्त बाधा के कारण क्लिंकर के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद सीमेंट का उत्पादन कम हो गया। पिछले वर्ष 2022–23 में सीमेंट का उत्पादन 868195 मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक यह 849670 मीट्रिक टन था।

(ii) गुणवत्ता :

सीसीआई 43, 53 और 53एस (भारतीय रेलवे के लिए स्लीपर के निर्माण हेतु विशेष ग्रेड सीमेंट) ग्रेड के विभिन्न प्रकार के सीमेंट जैसे पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट (पीपीसी), साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) का ठोस गुणवत्ता नियंत्रण के तहत सीसीआई सीमेंट के ब्रांड नाम से निर्माण करता है।

परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

क) बोकाजन विस्तार परियोजना

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंगलोर को बोकाजन

इकाई का 1200 टीपीडी तक विस्तार करने के लिए दिनांक 24.09.2010 को कार्य आदे ा सं. 46/10/6(6)/10–एमएमओ/196 दिनांक 30.09.2010 के अनुसार 142.40 करोड़ रुपये की लागत से 18 महीने की अवधि में पूरा करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था। परियोजना लगभग 7 वर्षों तक लटकी रही। दिनांक 06.03.2019 सीसीआई मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया।

मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन है।

ख) सिल्चर ग्राइंडिंग इकाई की स्थिति

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंगलोर को सिलचर (असम) में टर्नकी आधार पर 50 टीपीएच सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए कार्य आदेश संख्या 47/10/6(7)/10–एमएमओ/206 दिनांक 30.09.2010 जारी किया गया था, जिसकी लागत 39.68 करोड़ रुपये थी और कार्य पूरा होने की अवधि 12 महीने थी।

संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन पर, डब्ल्यूओ को सीसीआई द्वारा दिनांक 06.03.2019 को समाप्त कर दिया गया था।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(ईओसीआर) लगाए गए।

iii) सीमेंट मिल सेक्शन में हॉट से ईओटी क्रेन को बदला गया।

iv) पैकिंग प्लांट लॉजिक कंट्रोल सिस्टम को डीसीएस में अपग्रेड किया गया।

v) किलन सहायक ड्राइव के लिए ऑटो चेंज ओवर पैनल लगाया गया।

vi) 6.6 केवी एमओसीबी को वीसीबी से बदला गया।

(iii) गैर–प्रचालित इकाईयों की भूमि के आंकड़े:

सीसीआई की निजी भूमि, सरकारी लीज पर भूमि, निजी लीज पर भूमि और अन्य सहित गैर–प्रचालित इकाईयों की भूमि का कुल क्षेत्र निम्नानुसार है:

टिप्पणी: उपलब्ध भूमि अभिलेखों के साथ डेटा का सत्यापन किया गया है। तथापि, भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है क्योंकि यह स्थानीय भूमि राजस्व कानूनों और न्यायालयी मामलों के परिणाम के अनुसार राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि अभिलेखों के अद्यतन और सीमांकन के अधीन है।

क्रम सं.	इकाई	फ्री होल्ड	लीज़ होल्ड			अन्य	कुल (एकड़)
			सरकारी	निजी	कुल		
1	मंधार	656.060	290.010	00.0	290.010	39.340	985.410
2	नयागांव	568.656	789.687	00.0	789.687	65.738	1424.081
3	अदिलाबाद	772.970	36.330	1513.560	1549.890	0.00	2322.860
4	अकलतारा	212.000	385.500	462.120	847.620	433.850	1493.470
5	कुरकुंटा	460.740	360.350	0.00	360.350	105.700	926.790
6	चरखी दादरी	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	205.03
7	भटिंडा	20.240	0.00	0.00	0.00	10.120	30.360
	कुल	**2895.696**	**1861.877**	**1975.680**	**3837.557**	**654.748**	**7388.001**

ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन

i) रिंग मिल फैन मेन ड्राइव, प्री–हीटर फैन ए और बी के लिए फाइन ट्यून जीआर पैनल लगाए गए।

ii) थर्मल रिले के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले

ख) बी. लाभप्रदता

कंपनी ने पिछले वर्ष 95.29 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 95.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

श्री एच.डी. कुमारस्वामी, माननीय मंत्री (भारी उद्योग और इस्पात) और श्री कामरान रिज़वी, सचिव (भारी उद्योग) द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीपीएसई के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा :





4. पूंजी संरचना

निगम को वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पूंजी 811.41 करोड़ रुपये थी, जिसमें 455.98 करोड़ रुपये की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी तथा 355.43 करोड़ रुपये के चुकता गैर–संचयी मोचनीय अधिमान्य शेयर शामिल थे।

5. मानव संसाधन प्रबंधन

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है, जिसमें लगभग 346 नियमित कर्मचारी और 1173 संविदा कर्मचारी हैं। सीसीआई के विकास का श्रेय विविध कौशल, योग्यता और दक्षता संपन्न विविध कर्मचारियों को जाता है। कंपनी ने मानव प्रतिभा को पोषित करने, मनोबल बढ़ाने, करियर की प्रगति में सहयोग करने, प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को बेहतर बनाने, समावेशी और निष्पक्ष कार्यस्थल प्रदान करने, कैडर या स्तर के बावजूद सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

6. औद्योगिक संबंध :

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान औद्योगिक संबंध अनुकूल और सौहार्दपूर्ण रहे। लागू सभी श्रम कानूनों का सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन किया गया। औद्योगिक अशांति के लिए कोई स्थान नहीं था जिससे मानवदिवसों का नुकसान नहीं हुआ। सकारात्मक और प्रेरित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और श्रमिकों के संघ ने नियमित रूप से बैठकें आयोजित कीं। परिणामस्वरूप प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार हुआ। सीसीआई के पास संरचित तरीके से मुद्दों को हल करने का अनुभव है जिसने विश्वास और सहयोग का माहौल बनाए रखने में मदद की है।

सुरक्षा जागरूकता:





सीसीआई के स्वतंत्र निदेशक डा. रविन्द्र शिवशंकर अराली और सीसीआई के सरकारी नामित निदेशक श्री जोसेफ अतुल टी. बारला ने तंदूर सीमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया, परिचालन की समीक्षा की और प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्लांट के मामलों पर चर्चा की :







7. मानव संसाधन विकास:

तकनीकी उन्नति और बाजार प्रतिस्पर्धा की वर्तमान गति हमारे कार्यस्थल को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है। व्यवसाय अभिसरण प्रवृत्तियों और प्रतिभा अपेक्षाओं को बदलने का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार के परिदृश्य में, मानव संसाधन की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है, ऐसे में प्रतिभा कार्यनीति को समग्र व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरुप संरेखित करने तथा संगठनात्मक सफलता को आगे बढ़ाने में मानव संसाधन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विकास ने कर्मचारियों को बेहतर ढंग से जोड़ने, स्वस्थ और पारदर्शी कार्य संस्कृति को बनाए रखने तथा निगम के मिशन और विज़न को ध्यान में रखते हुए उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली कर्मचारी अनुभव कार्यनीतियां तैयार करने और किसी भी तरह की अप्रत्याशित चुनौती को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदर्शन में वृद्धि को मान्यता दी गई है और सीसीआई में तीसरी पीआरसी लागू की गई है।

सीसीआई ने कार्यबल के प्रबंधन और नेतृत्व के दशकों पुराने तरीकों को पीछे छोड़ते हुए रोजगार के बदलते परिदृश्यों के अनुकूल होने के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में, सीसीआई ने प्रौद्योगिकी और मानव हस्तक्षेप को संतुलित किया है। टीम को प्रतिस्पर्धी और अनुकूलनीय बनाए रखने के लिए सीसीआई ने निरंतर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पहलों को प्राथमिकता दी है। भर्ती और ऑनलाइन प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों तक शीघ्रता से पहुंचने की प्रक्रिया को सहज बनाने के साथ–साथ कठिन शारीरिक भर्ती प्रक्रिया और समय लेने वाले मैनुअल मूल्यांकन पत्रों को समाप्त करना है।

कंपनी का अंतिम लक्ष्य कर्मचारियों को प्रसन्न, स्वस्थ और उत्पादकीय बनाए रखना है। इसलिए, सीसीआई के मानव संसाधन कार्मिक निरंतर एक खुशनुमा कार्यस्थल बनाने, केंद्रित और ऊर्जा में सुधार करने तथा सीसीआई के कार्यालयों/इकाइयों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सीसीआई का मानव संसाधन विभाग कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है जिनका वर्णन निम्नांकित है:–

स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान (स्वच्छता पखवाड़ा), खेल गतिविधियाँ, योग दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, सुरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस आदि।

राजबन सीमेंट फैक्ट्री, हिमाचल प्रदेश ने रोटरी क्लब, पांवटा साहिब के सहयोग से यूनिट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया।





राजबन सीमेंट फैक्ट्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा राजबन के मनाल चूना पत्थर खदान के छछेटी ग्राम पंचायत में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया:





सीसीआई ने वंचित बच्चों को मिठाई और नोटबुक वितरित कर अंबेडकर जयंती मनाई:





कारगिल युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने वाले हमारे सेना और वायु योद्धाओं की बहादुरी का सम्मान करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया गया:





नशा मुक्त भारत अभियान के लिए शपथ ली ताकि मादक पदार्थों के सेवन से निपटा जा सके और हमारे युवाओं के लिए स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा दिया जा सके:





सीसीआई ने जनवरी माह में नववर्ष और अपना स्थापना दिवस मनाया:













सीसीआई राजबन इकाई ने सिविल अस्पताल पौंटा साहिब के सहयोग से इकाई में टीबी के खिलाफ बीसीजी टीकाकरण अभियान का आयोजन किया।





अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, सीसीआई ने योग की आदत विकसित करने के उद्देश्य से अपनी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में योग सत्र आयोजित किए:













तंदूर सीमेंट फैक्ट्री ने युवाओं के सशक्तीकरण और उन्हें सुरक्षित एवं सहायक वातावरण में सीखने, बढ़ने और मौजमस्ती करने का अवसर प्रदान करने के लिए जागरूकता सत्र और खेल आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया :





स्वच्छता पखवाड़ा – निगम में 'विकसित भारत का रोडमैप' थीम पर आधारित ड्राइंग प्रतियोगिता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार पर कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित कर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।





कॉर्पोरेट कार्यालय में स्वास्थ्य चर्चा



निबंध लेखन प्रतियोगिता



स्वच्छता पखवाड़ा के लिए शपथ





स्वच्छता पखवाड़ा पर पुरस्कार वितरण

विशेष अभियान 3.0

स्वच्छता को आत्मसात करने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से, विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विशेष अभियान 3.0 शुरू किया गया था। विशेष अभियान 3.0 की भुरुआत इसके तैयारी चरण में गतिविधियों की पहचान से की गई जिसके बाद अभियान के मुख्य चरण के दौरान पहचानी गई इन गतिविधियों को संचालित किया गया। कचरा मुक्त भारत के लक्ष्यों के अनुरूप, सीसीआई ने माननीय सीएमडी श्री संजय बंगा के मार्गदर्शन में स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य, स्क्रैप निपटान और स्थान उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पहल की हैं।



पहले



बाद



पहले



बाद



पहले



बाद



पहले



बाद



पहले



बाद



पहले



बाद

8. प्रशिक्षण और विकास:

सीसीआई की प्रशिक्षण एवं विकास नीति की समीक्षा की जाती है तथा बदलते कारोबारी परिवेश के अनुसार इसे लगातार पुनर्गठित किया जाता है। इस प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में सफल होने के लिए, व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ के साथ–साथ कर्मचारियों को उस सामाजिक–आर्थिक माहौल के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें कंपनी कार्य करती है। मानव संसाधन विकास के हिस्से के रूप में, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सदैव सभी स्तरों पर निरंतर प्रशिक्षण और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देकर सीसीआई के मानव संसाधन व्यावसासिकों ने ऐसे कार्यस्थलों को आकार दिया है जो व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत उत्थान और संगठनात्मक समृद्धि दोनों को बढ़ावा मिलता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्य में अपने कौशल को निखारने के लिए इनहाउस अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन/ऑफ़लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए नामित किया गया था।

रोज़मर्रा की ट्रेनिंग के अतिरिक्त, सीसीआई ने संगठित ज्ञान साझाकरण सत्रों की संस्कृति शुरू की है जिसमें सभी इकाइयों और कार्यालयों के कर्मचारी भाग लेते हैं। ये सत्र सामूहिक ज्ञान को बढ़ाते हैं और कर्मचारी मूल्यवान जानकारी की सहज पहुँच प्राप्त कर बेहतर उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं।

ज्ञान साझाकरण सत्र:



9. राजभाषा कार्यान्वयन:

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का निरंतर अनुपालन किया है। 14 से 28 सितंबर, 2023 तक निगमित कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें हिंदी श्रुतलेख, राजभाषा प्रश्नोत्तरी और कविता प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कर्मचारियों को दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

दिनांक 9 अगस्त, 2023 को सीसीआई के निगमित कार्यालय द्वारा श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई की अध्यक्षता में 50 नराकास सदस्यों के लिए राजभाषा सम्मेलन के रूप में 'राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी' का आयोजन किया गया ताकि सदस्यों को हिंदी के प्रयोग के लिए व्यावहारिक अनुभव दिया जा सके और उनका मार्गदर्शन किया जा सके। सीसीआई ने सभी नराकास बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। कंपनी ने ई–ऑफिस में द्विभाषी कार्य करने की नीति अपनाई है।

निगमित कार्यालय सहित सभी प्रचालन इकाइयों में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसमें पढ़ने और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने और स्वयं को अद्यतन रखने के लिए व्यापक जानकारी की सहज पहुंच के लिए हिंदी पुस्तकें शामिल की गई हैं।

10. सामजिक निगमित दायित्व:

सीमेंट निर्माण के व्यवसाय के अतिरिक्त, सीसीआई का मुख्य कार्य उस समुदाय को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करके समाज को वापस देना है जिसमें यह कार्य करता है। कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप संचालित कर रही है। सीसीआई उन क्षेत्रों में और उसके आसपास सीएसआर परियोजनाएँ संचालित करती है जहाँ इकाइयाँ स्थित हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहलें शुरु की गई हैं।

वर्ष 2023–24 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में, सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट की 60 प्रतिशत राशि अधिमानतः आकांक्षी जिलों में 'स्वास्थ्य और पोषण' की थीम पर खर्च करना आवश्यक था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सीसीआई ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में योगदान दिया है जिनमें शामिल हैं:

स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कांडो गांव के सामुदायिक केंद्र, मनाल गांव के माध्यमिक विद्यालय और सीसीआई राजबन टाउनशिप के प्राथमिक विद्यालय में 1 केएल आरओ प्लांट की स्थापना :





सीसीआई तंदूर टाउनशिप, करनकोट में डीएवी हाई स्कूल में सूखे मेवे का वितरण :





मुगलावाला करतारपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में रिवर्स आस्मोसिस (आरओ) प्रणाली की स्थापना :





सीसीआई तंदूर टाउनशिप, करनकोट में डीएवी हाई स्कूल में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण :





ओएमएनआई अस्पताल, हैदराबाद के सहयोग से डीएवी हाई स्कूल, सीसीआई तंदूर टाउनशिप, करनकोट में नि:शुल्क बाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया :





सीसीआई राजबन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा छछेती ग्राम पंचायत में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय निवासियों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की गई :





बोकाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दिल्लई राज्य औषधालय, हिडिपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिफू मेडिकल कॉलेज, डिफू में वाटर गीजर की सुविधा :





बोकाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बोकाजन में ईसीजी मशीन की स्थापना

बोकाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दिल्लई राज्य औषधालय और हिडिपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफ्रिजरेटर की स्थापना

सीएसआर 2023–24 के लिए, कंपनी ने अपैरल मेड–अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल (एएमएचएसएससी) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम में भी योगदान दिया है।

11. महिला कल्याण:

कंपनी ने सदैव समानता की संस्कृति निर्मित करने का प्रयास किया है जिसने महिलाओं को संगठन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस संस्कृति ने उनकी सोच में एक आंतरिक बदलाव लाया है ताकि उनके कार्य अलग और बेहतर हो सकें जिससे उन्हें और संगठन को आगे बढ़ने में मदद मिली है। महिला कर्मचारियों को निगम की सभी इकाइयों/कार्यालयों में सभी वैधानिक और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।

महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने तथा सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण करने के लिए यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) अधिनियम के अनुरूप एक समिति गठित की गई है। यह समिति यौन उत्पीड़न नीति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है, समय–समय पर कंपनी की यौन उत्पीड़न नीति की समीक्षा करती है और कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करती है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, समिति को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सभी महिला कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सहित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 हर्शोल्लास से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, पीओएसएच अधिनियम पर एक सत्र आयोजित किया गया और साथ ही 'भारत में महिलाओं के संविधान और कानूनी प्रावधान और अधिकार' पर एक व्याख्यान भी दिया गया। सीसीआई की सभी इकाइयों में गठित महिला क्लब, महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन करता है और महिलाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे पर प्रकाश डालता है। निगम समय–समय पर महिला क्लब को व्यावसायिक और कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बुनियादी ढाँचा तथा अन्य वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ताकि महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के पालन के भाग के रूप में, पीओएसएच अधिनियम, 2013 के बारे में एक सत्र आयोजित किया गया ताकि सभी को सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और उपकरणों से परिपूर्ण किया जा सके:





निगमित कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साह और नई प्रतिबद्धता के साथ मनाया गया। दिन में पीओएसएच अधिनियम पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया और पीओएसएच विशेषज्ञ सुश्री भयाना द्वारा प्रेरक कहानियाँ साझा की गईं:





अगस्त के महीने में महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए:





12. शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने निगमित कार्यालय और इकाइयों में कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया है।

कर्मचारी वेतन संबंधी मामलों, कार्य स्थितियों, छुट्टी, कार्य असाइनमेंट और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शिकायतों को संबोधित किया जाए और इन्हें अनौपचारिक रूप से हल किया जाए। सीसीआई की शिकायत प्रणाली व्यापक, सरलीकृत और लचीली है जिसने कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच मधुर संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावशीलता दिखाई है ओर जिसके परिणामस्वरूप, पहले से अच्छी उत्पादकता प्राप्त हुई है।

13. पारिश्रमिक नीति

सीसीआई में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ भारी उद्योग मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं।

दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर–संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में डीपीई द्वारा जारी का. ज्ञा. संख्या डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–ग्ग्ग्/17 दिनांक 03.08.2017, का. ज्ञा. डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–ग्ट/17 दिनांक 04.08.2017 और का. ज्ञा. संख्या डब्ल्यू.02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–ग्टप्/17 दिनांक 07.09.2017 दिशानिर्देशों के अनुसार एमएचई ने दिनांक 01.09.2023 को दिनांक 01.01.2017 से वेतन संशोधन को काल्पनिक रूप से प्रभावी करने तथा दिनांक 01.04.2023 से वास्तविक रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश (राष्ट्रपति के निर्देश) को लागू कर दिया गया है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अधीन अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित जानकारी अनुलग्नक में दी गई है तथा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निगम द्वारा शुरू की गई हरित पहल और ऊर्जा बचत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- **रेस्को मॉडल पर राजबन इकाई में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है तथा बोकाजन और तंदूर इकाई में भी ऐसा ही संयंत्र अंतिम चरण में है जो सतत ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है :**







- तंदूर इकाई में फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे विनिर्माण की कार्बन–नकारात्मक प्रक्रिया का उपयोग करके सीमेंट के उत्पादन में फ्लाई ऐश की मात्रा में वृद्धि होगी :



- श्री संजय बंगा, सीएमडी द्वारा तंदूर इकाई में कोल शेड स्पेस फ्रेम संरचना की आधारशिला रखी गई जो कोयले के आधुनिकीकरण और प्रभावी उपयोग की दिशा में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है :



- श्री संजय बंगा, सीएमडी ने हॉट एयर डायवर्जन सिस्टम का अनावरण किया जो सीसीआई, राजबन में प्रीहीटर आउटलेट से अपशिष्ट ऊष्मा को कोयला मिल संचालन में उपयोग करता है। ऐसी ही एक प्रणाली बोकाजन यूनिट में रॉ मिल के लिए भी कार्य कर रही है :







- श्री संजय बंगा, सीएमडी ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीसीआई, राजबन में अत्याधुनिक पल्स जेट बैग हाउस (पीजेबीएच) का उद्घाटन किया :







15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक कार्य के हिस्से के रूप में किया जाता है, न कि निर्धारित समय पर अलग कार्य के रूप में।

16. कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व पहल पर तैयार कार्यान्वयन नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने हमेशा सीएसआर दर्शन के हिस्से के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों का इस बाबत निर्वहन किया है कि व्यवसाय और समाज, विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अनुरूप, कंपनी ने गतिविधियों की श्रृंखला बनाकर विभिन्न पहलें की हैं।

17. सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ।

1. सीवीसी, भारत में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा संगठन के रूप में लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने के लिए विभिन्न पहलों को अपनाता है। इस वर्ष, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की प्रस्तावना में सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीआई में तीन महीने का अभियान (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक) आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान निवारक सतर्कता उपायों, क्षमता निर्माण, आईओ/पीओ, नैतिकता और शासन, संगठन की प्रणाली और प्रक्रियाएं, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, खरीद आदि पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीओ और इकाइयों के सभी अधिकारियों को इन प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षित किया गया और उन्हें सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

2. सीवीसी के दिशा.निर्देशों के अनुसार, सीसीआई में तीन महीने का अभियान आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया :

(क) जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

(ग) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन।

(घ) शिकायत निवारण हेतु आईटी का लाभ उठाना।

(ङ) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअल अद्यतन करना।

(च) 30.06.23 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान।

3. निम्नलिखित विशय पर दिनांक 30 अक्टूबर से 05 नवंबर 2023 तक सतर्कता सप्ताह मनाया गया:

"भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"

"Say no to corruption; commit to the Nation"

4. सप्ताह के दौरान सभी तीन इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग और वादविवाद प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। राजबन, बोकाजन और तंदूर संयंत्र के निकटवर्ती गाँवो, संस्थानों और स्कूलों में कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

5. सीसीआई में नियमित निवारक सतर्कता गतिविधियाँ की गईं जैसे भ्रष्टाचार से ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान, संवेदनशील पदों की पहचान और संवेदनशील पदों पर अधिकारियों, कर्मचारियों का आवधिक आवर्तन, औचक निरीक्षण, अचल संपत्ति रिटर्न की जाँच और सहमत तथा ओडीआई सूचियां तैयार करना आदि।

6. सीवीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार हमारा संगठन समय–समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को तिमाही निष्पादन रिपोर्ट, सीटीई रिपोर्ट और तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही हैं।

श्री निजामुद्दीन (सी.वी.ओ.) ने तंदूर इकाई का दौरा किया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयंत्र के संचालन और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए चूना पत्थर की खदानों व फैक्ट्री क्षेत्र का निरीक्षण किया :





सी.वी.ओ. ने निगमित कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह में भाग लिया जिसमें श्री संजय बंगा, सीएमडी और श्री पी.के. चांद, निदेशक (वित्त) की उपस्थिति में विभिन्न प्रतिस्पधा कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए:







18. ई–खरीद / सत्यनिश्ठा समझौता

संगठन में ई–खरीद सुविधा लागू की गई है। मैसर्स एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र), नई दिल्ली ई–खरीद पोर्टल के लिए सेवा प्रदाता है।

50000.00 रू (पचास हजार) रुपये से अधिक की निविदाएं एनआईसी / जेम पोर्टल पर ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

सत्यनिष्ठा संधि लागू की गई है। 10.0 (दस) लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाओं के लिए सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए आईईएम नियुक्त किया गया है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक एवं त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की दिशा में जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार शामिल है। कंपनी में मुख्य रूप से निम्नलिखित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है:

– स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा समिति द्वारा उचित अनुशंसा और कंपनी के निदेशक मंडल से अनुमोदन के उपरांत खुली निविदा / पैनल के आधार पर बाहरी आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्ट समय–समय पर कंपनी प्रबंधन तथा लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार नियंत्रण को मजबूत किया जाता है।

कंपनी में प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताएं, मैनुअल और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनुअल, खरीद और कार्य मैनुअल, सामग्री, भंडार, लेखा और व्यक्तिगत मैनुअल आदि। मार्केटिंग मैनुअल को अद्यतन किया जा चुका है और प्रबंधन ने बेहतर जांच एवं नियंत्रण हेतु समय–समय पर अन्य सभी मैनुअल को अद्यतन करने के लिए उपाय किए हैं।

20. ऋण, गारंटी अथवा निवेशों का विवरण

वर्श 2023–24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किए गए हैं।

21. लेखा परीक्षकों और कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा रिपोर्ट में की गई योग्यताओं, आरक्षणों अथवा प्रतिकूल आपत्तियों या अस्वीकरणों पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां:

संविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित प्रबंधन का उत्तर निदेशकगणों की रिपोर्ट का अंश है।

22. संबंधी पार्टियों के साथ किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्थाओं के विवरण :

समीक्षागत वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध अथवा व्यवस्था नहीं की गईं।

23. निदेशकगणों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान और उनके दायित्वों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति :

सीसीआई एक सीपीएसई है जिसमें निदेशकगणों की नियुक्ति, देय पारिश्रमिक तथा भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

24. वार्षिक रिटर्न

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वार्षिक रिटर्न का यूआरएल https://www.cciltd.in/page.php?id=29 है।

25. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने दिनांक 28.06.2023, 31.08.2023, 27.09.2023, 09.01.2024 और 17.01.2024 को बोर्ड की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की हैं।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

27. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड अपना दायित्व विवरण प्रस्तुत करता है :

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन कर उन्हें उपयुक्त ढंग से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है

(घ) निदेशकों ने वार्षिक विवरण वर्तमान व्यवसाय के आधार पर तैयार किए हैंय तथा

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों तथा प्रक्रियाओं से हैं, जिनमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

28. सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

29. जमाराशि

कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान कोई भी जमा स्वीकार नहीं की है और न किसी भी जमा का नवीनीकरण किया है।

30. निदेशक

वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति/सेवा समाप्ति की गई:

– सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 12.04.2023 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में बोर्ड में शामिल हुईं।

– डॉ. रेणुका मिश्रा की दिनांक 12.04.2023 से कंपनी के बोर्ड से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) की के रूप में सेवा समाप्त की गई। कंपनी में कार्यकाल के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए सराहना करती है।

31. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

सीसीआई के गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली और डॉ. मंजू बघेल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के प्रावधानों के तहत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है।

32. डिजिटलीकरण, ई–प्रसंस्करण, बिल ट्रैकिंग, ईआरपी, ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल, ऑनलाइन भविष्य निधि मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन पोर्टल, साइबर सुरक्षा ऑडिट आदि।

सीसीआई में डिजिटलीकरण:

सीसीआई ने पारदर्शिता बढ़ाने और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कई पहल की हैं जैसे कार्य, वस्तु एवं सेवाओं की ई–खरीद, ई–ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान, आदि।

कंपनी द्वारा किए गए नवीनतम अपडेट और जानकारी का कंपनी की वेबसाइट : https://www.cciltd.in पर अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें सीसीआई का कंपनी प्रोफाइल/संगठनात्मक इतिहास, विज़न और मिशन, वार्षिक रिपोर्ट, नवीनतम निविदाएं, चित्र दीर्घा, संयंत्र/सीसीआई कार्यालय, एचआरएम/एचआरडी आदि शामिल हैं।

ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल :

सीसीआई वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की आपूर्ति हेतु जेम (गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस) पोर्टल का उपयोग कर रहा है। तथापि, जेम पोर्टल पर अनुपलब्धता की स्थिति में भारत सरकार के जीईपीएनआईसी सीपीपी ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग किया जाता है। ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल जीईपीएनआईसी एक सुरक्षित और पारदर्शी खरीद प्रणाली है।

ई–मेल:

सीसीआई ने इलेक्ट्रॉनिक मेल की बेहतर सुरक्षा के लिए मेल सर्वर को एनआईसी (भारत सरकार) में स्थानांतरित कर दिया है। अब ईमेल के लिए email.gov.in पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें दोहरी प्रमाणीकरण सुविधा है।

रिकार्ड का डिजिटलीकरण:

आधिकारिक दस्तावेजों के बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पहल आरंभ की गई है।

विक्रेता के लिए बिल ट्रैकिंग सिस्टम :

सीसीआई ने विक्रेताओं की मदद के लिए 'ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम' के लिए सीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया है।

ईआरपी:

सूचना प्रणालियों और डेटा सुरक्षा के बेहतर प्रबंधन हेतु टैली ईआरपी 9 से एसएपी बिजनेस वन ईआरपी सिस्टम में स्थानांतरित करने की परियोजना शुरू की गई है। सिस्टम परीक्षण चरण में है।

श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एसएपीबी1 सॉफ्टवेयर का 'गो लाइव' कार्यक्रम शुरू किया गया:



ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल:

सीसीआई वेबसाइट में ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल उपलब्ध है जिसमें ग्राहक सीधे संयंत्र से सीमेंट खरीदने का अनुरोध कर सकता है।

ऑनलाइन भविष्य निधि मॉड्यूल :

सीसीआई ने कर्मचारियों की सुविधा हेतु इंट्रानेट वेबसाइट पर पीएफ ऑनलाइन मॉड्यूल लागू किया है।

ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन पोर्टल:

ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग पारदर्शिता और सुव्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है।

साइबर सुरक्षा ऑडिट:

ऑनलाइन पोर्टल में आईटी सुरक्षा भेद्यता को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा ऑडिट भी शुरू किया गया है। पैरामीटर स्तर की सुरक्षा के लिए सीसीआई की तंदूर इकाई में केंद्रीकृत फ़ायरवॉल लगाया किया गया है।

सीसीआई लिमिटेड ने साइबर धोखाधड़ी का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए विभिन्न आईटी उपकरणों का प्रदर्शन कर कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए श्री पी.के. गुप्ता, सीनियर डी (आईटी) और एचओडी, एमएचआई, एनआईसी द्वारा निगमित कार्यालय में 'साइबर स्वच्छता और सुरक्षा' पर एक सत्र आयोजित किया :





33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करना

आपकी कंपनी ने हमेशा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को अक्षरशः लागू करने का प्रयास किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के तहत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी तथा पारदर्शिता अधिकारी नामित किया है। कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होने के साथ एक विशेष आरटीआई कॉर्नर भी उपलब्ध है। प्राधिकरणों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

34. विदेशी विनिमय आय और व्यय :

हमें विभिन्न पक्षों से समय–समय पर निर्यात संबंधी प्रश्न मिलते हैं। हमारे संयंत्रों के लिए स्थान संबंधी असुविधा के कारण, जो समुद्री बंदरगाहों से दूर हैं, संयंत्रों से निकटतम समुद्री बंदरगाहों तक का अंतर्देशीय भाड़ा अधिक होता है। इस कारण हमारे एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। अवसर का लाभ उठाने के लिए निर्यात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमेंट का पूरा उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।



35. लेखा परीक्षक:

सांविधिक लेखा परीक्षक

वर्ष 2023–24 के लिए राजबन इकाई के लिए मैसर्स पीवीआरएन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा मैसर्स के पी सारदा एंड कंपनी और मेसर्स कार्वी एंड कंपनी को शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर उत्तर तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लागत लेखा परीक्षक

वर्ष 2023–24 के लिए मैसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, को निगम के प्रमुख लागत लेखा परीक्षक और राजबन के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है जबकि मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, बोकाजान के लिए लागत लेखाकार और मैसर्स पीकेआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, तंदूर इकाई के लिए लागत लेखाकार नियुक्त किए गए हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनीज़ (प्रबंधकर्मी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षण करने के लिए मैसस अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है: (i) 2023–24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की कुल छह बैठकें आयोजित की गईं, यद्यपि, अनुपालन के लिए इन्हें नोट किया गया है। (ii) सुझाव के अनुसार वित्त विभाग द्वारा बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

36. लेखापरीक्षा समिति की संरचना का खुलासा और सतर्कता तंत्र प्रदान करना

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

क. डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
ख. डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
ग. श्री जोसेफ अतुल टी. बारला, निदेशक (सरकारी नामित) – सदस्य

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति है। कंपनी ने कर्मचारियों और निदेशकों को अपनी चिंता व्यक्त करने पर उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान की है जो कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciltd.in पर अपलोड की गई है।

37. आभार

बोर्ड आपके निगम को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन तथा रेल मंत्रालय, पीईएसबी, वित्तीय संस्थाओं, बैंकरों और अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। हम सीसीआई के उत्पादों को उनके निरंतर सशक्त समर्थन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण मैसर्स पीवीआरएन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक के आभारी हैं। निदेशकगण निगम के कर्मचारियों के समर्पण के लिए भी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 09353339

दिनांक : 30.09.2024

स्थान : नई दिल्ली



कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8(3) के अंतर्गत अपेक्षित निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवरण।

क. ऊर्जा संरक्षण

(I) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम अथवा प्रभाव :

- ऊर्जा का नुकसान कम करने के लिए अकुशल मोटरों/मरम्मत की गई मोटरों को ऊर्जा कुशल मोटर जैसे प्रीहीटर पंखे, कूलर पंखे की मोटरों से बदला गया।
- पावर ट्रांसफॉर्मर को ओएलटीसी तथा एवीआर से और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को बेहतर ट्रांसफॉर्मर से बदला गया
- कॉलोनी और प्लांट में पारंपरिक बल्ब/ट्यूबों को एलईडी लैंप से बदला गया
- पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा कुशल सीलिंग पंखे लगाए गए।
- इंटरलॉक और अनुवीक्षण प्रदान करके उपकरणों के निष्क्रिय संचालन में कमी
- पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए एपीएफसी पैनल की स्थापना
- एलटी मोटर कनेक्शन को डेल्टा से स्टार में बदलना
- सीमेंट मिल और रॉ मिल के ईएसपी के लिए कुशल नियंत्रण पैनल की स्थापना
- बरसात के मौसम में क्लिन के सुचारू संचालन और अतिरिक्त कोयले की खपत से बचने के लिए कोल शेड की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।
- कोयला सुखाने के लिए प्रीहीटर फैन आउटलेट से बेकार गर्म गैसों को कोल मिल इनलेट में डायवर्ट किया गया। कोयले की खपत कम हो गई।

(II) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

- सीसीआई–राजबन इकाई में आरईएससीओ मॉडल के तहत 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है।

- आरईएससीओ मॉडल के तहत 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट सीसीआई–बोकाजन में निविदा चरण में है और 6 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट को सीसीआई–तंदूर में अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

(III) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश।

सीसीआई ने दक्षता में सुधार और घाटे को कम करने के लिए विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए 344 लाख रुपये का निवेश किया है।

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण के प्रति निम्नलिखित प्रयास किए गए :–

क) सीमेंट मिलों, क्लिन बेल्ट बकेट एलिवेटर आदि के लिए ऊर्जा कुशल मोटरें लगाई गईं।

ख) 132 वोल्टेज स्तर के लिए एमओसीबी के स्थान पर एसएफ6 प्रकार के स्विचिंग ब्रेकर लगाए गए।

ग) ऑयल सर्किट ब्रेकर के स्थान पर नया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगाया गया।

घ) 7 एमवीए क्षमता के ट्रांसफॉर्मर के लिए आरटीसीसी पैनलों से वोल्टेज अनुकूलन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए एवीआर स्थापित किया गया।

ड) ईएसपी के स्थान पर पल्स जेट बैग हाउस स्थापित किया गया। इससे हवा में सामग्री की बर्बादी कम हुई है और साथ ही प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए।

(क) ताप ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग के लिए फ्लाई ऐश की मात्रा बढ़ाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए ड्राई फ्लाई ऐश फीडिंग सिस्टम की स्थापना।

(ख) वीसीबी, एवीआर आदि की स्थापना जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्लांट के संचालन में सुधार हुआ जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) : शून्य

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा : लागू नहीं
(ख) आयात का वर्ष : लागू नहीं
(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है : लागू नहीं
(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई, तो वे क्षेत्र और कारण जहां अवशोषण नहीं हुआ : लागू नहीं

(iv) अनुसंधान और विकास कार्यों पर व्यय : लागू नहीं

डीजीएमएस, गुवाहाटी क्षेत्र के अंतर्गत रेडिसन ब्लू होटल गुवाहाटी में आयोजित 20वें उत्तर पूर्व धातु खान सुरक्षा सप्ताह 2023–24 का सफल समापन। इस अवसर पर श्री संजय बंगा, सीएमडी, श्री पी.के. चांद, निदेशक (वित्त) और मुख्य अतिथि श्री एस.एस. प्रसाद, डीडीजी, डीजीएमएस की उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विशय है :





अनुलग्नक क

सीएसआर गतिविधियाँ

1 कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति के वेब लिंक का संदर्भ शामिल है:

सीसीआई की सीएसआर और स्थिरता नीति की परिकल्पना 'ऐसे परियेाजना क्षेत्रों के समुदायों और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता को स्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाकर अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता के रूप में की गई है, जहां यह काम कर रही है'।

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थिरता नीतियों और गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाई गई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत और संरेखित करती है। सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाएगा और इसे सीसीआई की सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, संचालन और लेनदेन में शामिल किया जाना चाहिए।

2 (I) नेटवर्थ – 221.61 करोड़

(II) कारोबार – 416.05 करोड़

(III) शुद्ध लाभ – 95.05 करोड़

(IV) सीएसआर प्रयोज्यता का भुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक करने वाले मापदंड

3 (क) (I) क्या सीएसआर समिति गठित की गई है – हां

(II) सीएसआर समिति गठित करने वाले निदे ाकगणों की संख्या – 03

(III) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या – 02

क्रम सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	श्रेणी	वर्श के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	07392367	डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली	स्वतंत्र निदेशक	02
2.	09391340	डॉ. मंजु बघेल	स्वतंत्र निदेशक	02
3.	10122179	श्री जोसेफ अतुल टी बरला	निदेशक (सरकार द्वारा नामिती)	02

(ख) (i) क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है– हाँ

(ii) यदि हाँ, तो वेब–लिंक प्रदान करें– http://cciltd-in/pagaphp\id=194

(iii) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में वेबसाइट पर निम्नलिखित का प्रकटन किया गया है :

- सीएसआर समिति की संरचना– हाँ
- सीएसआर नीति– हाँ
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ– हाँ



(ग) (i) क्या सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किया जाता है, यदि लागू हो – शून्य

(ii) यदि हां, तो क्या बोर्ड रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है – लागू नहीं

(iii) यदि कोई हो तो वेब–लिंक उपलब्ध कराएं– लागू नहीं

(घ) (i) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए कोई राशि उपलब्ध है– शून्य

(ii) यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं लागू नहीं

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	सैट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में सैट–ऑफ की राशि, यदि कोई है (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
1	2020–21	--	--	--
2	2021–22	--	--	--
3	2022–23	--	--	--
	कुल	--	--	--

4. (क) क्या कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी कर ली है – हाँ

(ख) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्षों की संख्या बताएँ निगमन के बाद से पुरा हुआ –लागू नही

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए शुद्ध लाभ एवं अन्य विवरण :

क्रम सं.	विवरण	राशि (करोड़ रु. में)		
		वित्तीय वर्ष –1 (2020–21)	वित्तीय वर्ष –2 (2021–22)	वित्तीय वर्ष –3 (2022–23)
1.	कर पूर्व लाभ	13.16	40.20	95.29
2.	धारा 198 के तहत संगणित शुद्ध लाभ	13.16	40.20	13.55
3.	सीएसआर नीति नियमावली 2014 के नियम 2(1)(एच) के अनुसार समायोजित कुल राशि	0	0	0
4.	धारा 135 (2–3) के लिए कुल शुद्ध लाभ	13.16	40.20	13.55

(घ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – 2230 लाख रुपये

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी औसत शुद्ध लाभ का 21: – 44.60 लाख रुपये

(ख) विगत वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से सृजित अधिशेष, यदि कोई है –शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सैट ऑफ की जाने योग्य राशि, यदि कोई है – 4.39 लाख रुपये

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर बाध्यता (5क+5ख+5ग) – 40.21 लाख रुपये

6. (क) क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की जा चुकी है – हां

(ख) यदि हां, तो सीएसआर राशि खर्च की गई है :

- चालू परियोजनाएँ– हाँ
- चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य– लागू नहीं
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य)– लागू नहीं

(i) वित्त वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं की संख्या :

चालू परियोजनाओं की संख्या

क्रम सं.	प्रोजेक्ट आईडी	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहां)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (मास)	वित्त वर्ष में व्ययित राशि (रु.)	कार्यान्वयन की विधि – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण सं.	नाम
1	--	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण	हां	तेलंगाना	के.वी. रंगारेड्डी	12 मास	13,61,370	प्रत्यक्ष	--	--
2	--	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण	हां	असम	कर्बी एंग्लोंग	12 मास	12,55,328	प्रत्यक्ष	--	--
3	--	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण	हां	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	12 मास	8,37,457	प्रत्यक्ष	--	--
4	--	अनुसूची VII (ii)	एएमएच एसएस सी	नहीं.	उत्तरप्रदेश	कानपुर	24 मास	8,43,440	प्रत्यक्ष	--	--
							कुल	42,97,595			

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण – शून्य

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं की संख्या :

क्रम सं.	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परिय	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (रु.)	कार्यान्वयन की विधि – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			सीएसआर पंजीकरण सं.	नाम
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					Total				



(ग) प्रशासनिक ऊपरिरीर्श के अंतर्गत व्ययित राशि – शून्य

(घ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित राशि, यदि कोई है – शून्य

(ड़) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि – 4297595 रुपये

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित राशि / (अधिक) [5(d)-6(e)] चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित – Rs. 2,76,595 रुपये

(ड़) धारा 135 (6) (समायोजन से पूर्व) के अनुसार वित्तीय वर्श

(घ) अव्ययित सीएसआर राशि में धारा 135(6) के अनुसार अंतरिण

अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि	अव्ययित सीएसआर खाते में वास्तव में अंतरित की गई राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई है
--	--	--	--

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरण

अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाल राशि	अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई वास्तविक राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई है
--	--	--	--

8 यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं : लागू नहीं

9 क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों की कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में खर्च की गई है : नहीं

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

क्रम सं.	पूर्व वित्तीय वर्श	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु.)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु.)	वित्तीय वर्श में व्ययित राशि (रु.)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिश्ट निधि में अंतरित राशि अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि, यदि कोई है (रु.)		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्शों में खर्च योग्य भोय राशि (रु.)	कमी, यदि कोई है
					राशि (रु.)	अंतरण तिथि		
1	2020-21	--	--	--	--	--	--	--
2	2021-22	--	--	--	--	--	--	--
3	2022-23	--	--	--	--	--	--	--

(ज) वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII में निर्दिश्ट निधि में अंतरित की जाने योग्य राशि)यदि वित्त वर्ष के लिए कुल अव्ययित राशि चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित राशि से अधिक है) – शून्य

7. वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के अंतरण के विवरण :

के लिए अव्ययित सीएसआर राशि में अंतरण के लिए योग्य राशि – शून्य

(ख) विगत वित्तीय वर्ष(ओं) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर राशि के विवरण :

चालू परियोजनाओं की संख्या : लागू नहीं

क्रम सं.	प्रोजेक्ट आईडी	परियोजना का नाम	वित्त वर्ष जिसमें परियोजना शुरु की गई	वित्त वर्ष के आरंभ में परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रु.)	वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु.)	वित्त वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु.)	पूर्ण/चालू परियोजनाओं की स्थिति
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(ग) (i) विगत तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष में क्या कोई नई सीएसआर परियोजना संचालित की गई है : नहीं

(ii) यदि हां, तो नई सीएसआर परियोजना(ओं) की प्रकृति है :

- चालू परियोजना : लागू नहीं
- चालू परियोजना(ओं) के अतिरिक्त – लागू नहीं
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त) – लागू नहीं

(iii) वित्त वर्ष में नई चालू सीएसआर परियोजनाओं पर व्ययित राशि के विवरण :

चालू परियोजनाओं की संख्या : लागू नहीं

क्रम सं.	प्रोजेक्ट आईडी	वित्त वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची 7 में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (मास)	वित्त वर्ष में व्ययित राशि (रु.)	कार्यान्वयन की विधि – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
						राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण सं.	नाम
1												
2												
3												
								कुल				



(iv) वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त नई परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि के विवरण

चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य की संख्या : लागू नहीं

क्रम सं.	वित्त वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची 7 में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्त वर्ष में व्ययित राशि (रु.)	कार्यान्वयन की विधि – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य	जिला			सीएसआर पंजीकरण सं.	नाम
1										
2										
3										
						कुल				

10. क्या वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर राशि से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन अथवा अधिग्रहण किया गया है : **नहीं**

यदि हां, तो सृजित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति की संख्या दर्ज करें : **लागू नहीं**

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति के संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर की व्ययित राशि	संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी अथवा पंजीकृत स्वामी के विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
			कुल				

ह/–
(रविन्द्र शिवशंकर अराली)
अध्यक्ष (सीएसआर समिति)

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक खातों पर दिनांक 21.08.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्धारित टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	योग्यता का आधार प्रबंधन का जवाब	प्रबंधन का उत्तर
क	कंपनी के नाम कुछ इकाइयों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित है और भूमि विवरण पुनर्विचार के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने दिनांक 11.04.2017 को 14 .20 एकड़ जमीन यथास्थिति एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी है जिसकी लागत अब 'बाहरी पक्षों से वसूली योग्य' शीर्ष में अंतरित की गई है। इसके अलावा, साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दी गई 6.74 एकड़ जमीन का भौतिक कब्ज़ा अभी तक कंपनी को सौंपा नहीं गया है। एमसीडी ने दिनांक 22.04.2024 के पत्र के माध्यम से 14.20 एकड़ जमीन के बदले फिरोजपुर कलां स्थित एमसीडी की 9 एकड़ जमीन को सीसीआई को देने की सूचना दी है जिस पर कब्जा अभी भी लंबित है।	स्थिति की टिप्पणी सं . 34 के प्रासंगिक बिंदु 04 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है, जो वार्षिक खातों का अंश हैं।
ख	सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक सड़क के रूप में सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग से उत्पन्न देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसका हस्तांतरण आदेश प्रतीक्षारत है।	स्थिति को टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 06 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है , जो वार्षिक लेखा का अंश है।
ग	येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित विसंगतियों को दूर करने के लिए लंबित समाधान के कारण विचार नहीं किया गया है।	स्थिति को टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 12 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है, जो वार्षिक लेखा का अंश है।
घ	कुछ व्यापारिक प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों, व्यापारिक भुगतानों, पार्टियों को और पार्टियों से प्राप्त जमाराशियों तथा अन्य देनदारियों का संतुलन पुष्टि और समाधान के अधीन है। गैर– समाधान से उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभाव का पता लगाना संभव नहीं है।	स्थिति को टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 35 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है , जो वार्षिक लेखा का अंश है।
ड़	कंपनी की सात उत्पादन इकाइयाँ हैं और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग इकाई है जहाँ 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है जिसने उत्पादन शुरू नहीं किया। प्रबंधन के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस–28 के तहत परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित वसूली योग्य मूल्य आमतौर पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक होता है।	स्थिति को टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 11 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है , जो वार्षिक लेखा का अंश है।
च	कंपनी ने 22 मार्च 2007 को 7 (सात) वर्षों के लिए भारत सरकार को 1,000 रुपये प्रति की दर से 3554325 गैर–संचयी प्रीफ्रेन्शियल शेयर जारी किए हैं जिनकी कीमत 355.43 करोड़ रुपये थी। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त प्रीफ्रेन्शियल शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले भुनाया जाना था, जो निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने सूचित किया कि कैबिनेट / बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्रीफ्रेन्शियल शेयर को पुनः जारी करने के लिए मंत्रालय से आगे की कार्रवाई की मांग की गई है।	स्थिति को टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 13 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है , जो वार्षिक लेखा का अंश है।

छ	18,158.40 लाख रुपये की कुल सूची में से 2,258.82 लाख रुपये (कुल सूची का लगभग 12 .44 प्रतिशत) की गैर–प्रचालन इकाइयों की सूची को पिछले कई वर्षों से इसके समान राशि को बहीखातों में दर्शाया गया था। सूची में शामिल सामान की प्रकृति और उनकी संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन्वेंट्री पर शाखा लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंट्री के मूल्य में काफी कमी हो सकती है जिसके प्रभाव की मात्रा को प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में न तो दर्शाया गया है और न ही इसके लिए प्रावधान किया गया है।	निगम के वार्षिक खातों की टिप्पणी सं. 34 की बिंदु सं . 11 में यह उल्लिखित किया गया है कि बीएफआईआर द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार गैर–प्रचालन इकाईयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य बहीखातों में निर्दिष्ट मूल्य से अधिक है। इसके अतिरिक्त, गैर–प्रचालन इकाईयों विनिवेश/बिक्री के अधीन हैं।
ज	क) आदिलाबाद, अकलतारा, भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार और नयागांव इकाइयों में, प्रबंधन द्वारा हमें कोई अचल संपत्ति सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई ऐसी संपत्तियों की वास्तविक उपस्थिति पर प्रश्न उठाया गया है और जिसकी मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है। ख) अकलतारा और चरखी दादरी में, इन्वेंट्री पर प्रावधान हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि से पहले प्रदान किया गया था। यद्यपि, अकलतरा, चरखी दादरी, कुरकुंटा और मंधार इकाइयों में प्रबंधन भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और प्रावधान का आधार प्रदान करने में विफल रहा है जो इन्वेंट्री के वास्तविक अस्तित्व पर संदेह उत्पन्न करता है। ग) तंदूर इकाई में जहां तक स्टोर तथा स्पेयर की सूची के संबंध में लेखापरीक्षक इसके अस्तित्व और स्थिति को सत्यापित करने में असमर्थ है क्योंकि सूची को पर्याप्त रूप से लेबल या टैग नहीं किया गया था। कुछ स्पेयर पार्ट्स खुले मैदान में बिखरे हुए थे जिससे जंग लगने और स्पेयर पार्ट्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा था। लेखापरीक्षक इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है कि 31 मार्च 2024 तक उक्त इन्वेंट्री के मूल्य में हानि अथवा अप्रचलन हुई है या नहीं।	स्थिति को टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 09 और 17 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है, जो वार्षिक लेखा का अंश है।



प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 23–24 के दौरान स्थिरता के संकेत दिए जो वैश्विक मंदी के कम जोखिम तथा घरेलू उपभोग में वृद्धि और मजबूत उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे अनुकूल कारकों के समर्थन से संभव हुआ।

रूस, यूक्रेन और इज़राइल गाजा युद्ध जैसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत वित्त वर्ष 23–24 में लचीला बना रहा। यह 3.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमानित जीडीपी के साथ पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। एनएसओ (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) के अनुसार वित्त वर्ष 23–24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी के 7.6 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

भारत की आर्थिक वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण द्वारा संचालित है । ऊर्जा, धातु और खाद्य श्रेणियों की वैश्विक सामान की कीमतों में कमी से विनिर्माण क्षेत्र में विकास को मदद मिली है। निर्माण क्षेत्र को उच्च पूंजीगत सरकारी व्यय (कैपेक्स) और आवास की बढ़ती मांग से भी लाभ हुआ है।

केंद्रीय बजट 23–24 के अनुसार, सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है जो 1.99 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग को वित्तीय सहायता के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार की एक पहल है।

इसके अतिरिक्त, अंतरिम बजट 24–25 के अनुसार, बुनियादी ढांचे पर 11.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च का प्रस्ताव है।

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 21 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्मार्ट सिटी मिशन और अमरुत भी सीमेंट की खपत में योगदान दे रहे हैं। इन सभी उपायों से सीमेंट की खपत बढ़ने की संभावना है और इससे हमें बिक्री बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

वित्त वर्ष 23–24 के दौरान भारत की सीमेंट मांग में वृद्धि दर्ज की गई और वित्त वर्ष 24–25 में इसमें वृद्धि होने की आशा है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय बाजारों द्वारा संचालित है जिनमें अधिशेष स्थापित क्षमता है। यह लाभप्रदता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

भारत में कुल वार्षिक स्थापित सीमेंट उत्पादन क्षमता 541 एमटीपीए है जिसमें तेलंगाना शामिल है जहाँ सीसीआई की एक मिलियन उत्पादन इकाई स्थित है और जिनकी क्षमता 29.77 एमपीटीए है। वर्तमान में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत 216 किलोग्राम है और यह अभी भी विश्व औसत से बहुत कम है।

केंद्र के बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दृश्टिगोचर हुई है। आवास क्षेत्र में सीमेंट की मांग लगभग 60 से 65 प्रतिशत हिस्सा है, जिसके बाद बुनियादी ढांचा क्षेत्र है जो कुल सीमेंट मांग का लगभग 24 प्रतिशत है।

कम ब्याज दर व्यवस्था और किफायती मूल्य आवास के लिए सरकार के हस्तक्षेप से महामारी के बाद की अवधि में आवास क्षेत्र की मांग में तेजी बने रहने की आशा है।

भारत सरकार ने भी नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण में बिटुमेन के स्थान पर थोक सीमेंट का उपयोग करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सीमेंट बिटुमेन की तुलना में अधिक टिकाऊ है और दीर्घकाल में इसका रखरखाव भी सस्ता है।

चेतावनी

'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण' में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और प्राक्कलनों का वर्णन करने वाले कथन भविष्योन्मुखी हैं और लागू सुरक्षा कानूनों तथा विनियमों की दृश्टि से प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य घटकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

Quality With No Compromise

सीसीआई की बोकाजन इकाई ने डीलर्स मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख हितधारकों को व्यावसायिक कार्यनीतियों पर चर्चा करने और सीमेंट उद्योग में साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक साथ लाया गया। यह पहल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीसीआई की प्रतिबद्धता दर्शाती है।





इसी तरह सीसीआई ने मणिपुर, इम्फाल में डीलर्स मीट का आयोजन किया जिसमें सीमेंट उद्योग में हमारी साझेदारी बढ़ाने और विकास को गति देने पर बेहतरीन चर्चा हुई।



क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने सीसीआई के प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक सीधा चैनल बनाने हेतु 'मेसन अड्डा' नामक एक इंटरैक्टिव प्लेटफ़ार्म शुरु किया है ताकि उन क्षेत्रों में राजमिस्त्रियों और उपभोक्ताओं के बीच प्रभावी संचार की सुविधा मिल सके जहाँ मज़दूर इकट्ठा होते हैं।




सी सी आई
CCI
of India Limited
Enterprise)
Company

राजबन सीमेंट फैक्ट्री के गेट सेल डीलर मीट की अध्यक्षता सीसीआई के निदेशक श्री पीके चांद ने की। यह एक सफल आयोजन था जिसमें डीलरों और सीमेंट प्रेमियों को एक साथ लाया गया।





कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कोडऑफ गवर्नेंस पर कंपनी का दृश्टिकोण :

कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में कंपनी का दृश्टिकोण सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक, ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करना है। सीसीआई की कार्यप्रणाली उन दिशानिर्देशों पर आधारित है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाते हैं और सीसीआई को सभी हितधारकों अर्थात शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों/विभागों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य बढ़ाने में एक लंबा सफर तय करना है।

2. निदेशक मंडल :

i. बोर्ड का गठन :

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(4) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। बोर्ड में 3 निदेशकों से कम और 12 से अधिक नहीं होंगे।

ii. बोर्ड की संरचना :

31 मार्च 2024 तक सीसीआई के बोर्ड में छह (6) निदेशक थे जिनमें से दो कार्यात्मक निदेशक, दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, जो प्रशासनिक मंत्रालय के नामित व्यक्ति हैं और दो गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और श्रेणियां, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक और पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उनकी उपस्थिति सहित निदेशक पद और समिति (लेखा परीक्षा समिति) के पदों की संख्या तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1 : निदेशकों की श्रेणियां और उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	एजीएम में उपस्थिति (29.09.2023 को आयोजित)	31.03.2024 को निदेशिकता की संख्या (सीसीआई सहित)	31.03.2024 को अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या
कार्यात्मक निदेशकः						
1.	श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	5	5	हां	1	शून्य
2.	श्री प्रदीप कुमार चांद, निदेशक (वित्त)	5	5	हां	1	शून्य
सरकारी नामिती निदेशक						
3.	**सुश्री मुक्ता शेखर**** (12.04.2023 से प्रभावी)	5	5	**लागू नहीं**	9	शून्य
4.	**श्री जोसेफ अतुल टी. बरला**	5	5	हां	3	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
5.	**डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली *** **	5	5	हां	1	3
6.	**डॉ. मंजु बघेल**	5	5	हां	1	शून्य

'श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई को दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एसीसी की मंजूरी के अधीन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 12–16/4/2017–टीएसडब्ल्यू (ई–12883) दिनांक 07 नवंबर, 2023 के अनुसार, श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई दिनांक 20 नवंबर, 2023 (अपराह्न) से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए हैं।

'' सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को दिनांक 12.04.2023 से सीसीआई के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया गया है। वे भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा के स्थान पर कार्य करेंगी।

निम्नलिखित एलएलपी में नामित भागीदार:

- हेल्थ पॉइंट मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एलएलपी, सांगली, महाराष्ट्र
- सिनर्जी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एलएलपी, सांगली, महाराष्ट्र
- सांगली अर्बन को–ऑप बैंक, सांगली

कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान दिनांक 28.06.2023, 21.08.2023, 27.09.2023, 09.01.2024 और 17.01.2024 को बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

iii. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची के मुद्दों की सूची की तैयारी और चयन :

बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन मिलने के उपरांत पूर्व सूचना देकर बैठकें आयोजित की जाती हैं। बोर्ड/समिति की बैठकों की तिथि और स्थान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशकगण निर्धारित करते हैं। बैठक के दौरान सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने के लिए विस्तृत एजेंडा नोट, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों को पहले से परिचालित किए जाते हैं। जब भी तत्काल मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठकें कम समय के नोटिस पर बुलाई जाती हैं अथवा अधिनियम या उसके अनुच्छेदों में उल्लिखित लागू प्रावधानों के अनुपालन में निर्दिश्ट प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

जहां कहीं भी गोपनीय प्रकृति के कारण कार्यसूची में कोई दस्तावेज संलग्न करना व्यावहारिक नहीं है, अथवा विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मद हैं, वहां ऐसे कागजात बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यात्मक निदेशक/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद एजेंडा पेपर परिचालित किए जाते हैं।

वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर बोर्ड/समितियों की बैठकों में प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं, ताकि सदस्य आवश्यकतानुसार सूचित निर्णय ले सकें।

बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचनाओं का अवलोकन करने की सुविधा है। बोर्ड किसी भी मुद्दे पर संस्तुति करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसे वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता है। वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को आवश्यकतानुसार बोर्ड द्वारा चर्चागत मुद्दों पर अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

iv. बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्यों को पुष्टि हेतु आगामी बोर्ड की बैठकों में परिचालित किया जाता है। बोर्ड की उप–समिति की बैठक का कार्यवृत्त भी बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

v. अनुवर्ती तंत्र

एटीआर एजेंडा प्राप्त होने पर बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह प्रभावी अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।
अपण ब्वउचसपंदबमरू

vi. अनुपालन

हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि एजेंडा नोट तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया जाए। सीसीआई कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के तहत अनेक अन्य वैधानिक अर्हताओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। बोर्ड को अपेक्षित जानकारी नियमित रूप से नीचे दिए गए विवरणानुसार प्रदान की



जाती है :

- समझौता ज्ञापन (एमओयू), बड़े अनुबंध कार्य सौंपना।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- भौतिक रूप से महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ।
- प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम और कार्यनीतिक गठबंधन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में अभिरुचि का प्रकटन।
- कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मदें।
- वैधानिक प्रावधानों का त्रैमासिक अनुपालन प्रमाणपत्र।
- बोर्ड द्वारा समय–समय पर अपेक्षित अन्य मुद्दे।

vii. गैर–कार्यकारी निदेशकों की क्षतिपूर्ति और प्रकटन

कंपनी सरकार द्वारा नामित निदेशकों को मानदेय नहीं देती है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) और समिति की बैठकों के लिए 12,000 रुपय (बारह हजार रुपये) की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है। निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के स्वतंत्र निदेशकों को खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल की समिति में निदेशक पद और सदस्यता (31.03.2024 तक)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशिकता /प्रकटन (2023–24)
कार्यात्मक निदेशक			
1.	श्री संजय बंगा सीएमडी	कार्यात्मक निदेशक	शून्य
2.	श्री प्रदीप कुमार चांद निदेशक (वित्त)	कार्यात्मक निदेशक	शून्य

सरकारी नामित निदेशक			
3.	सुश्री मुक्ता शेखर (12.04.2023 से प्रभावी)	सरकारी नामित निदेशक	1. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड 2. एचएमटी लिमिटेड 3. ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमि. 4. नेपा लिमि. 5. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टरुमेंट्स लिमि. 6. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड 7. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
		अतिरिक्त निदेशक	1. एचएमटी वॉच लिमिटेड
4.	श्री जोसेफ अतुल टी. बरला	सरकारी नामित निदेशक	1. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड 2. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
स्वतंत्र निदेशक			
5.	डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली	स्वतंत्र निदेशक	1. हेल्थ प्वाइंट मल्टीस्पेशियल्टी हॉस्पिटल एलएलपी 2. सिनर्जी मल्टी मल्टीस्पेशियल्टी हॉस्पिटल एलएलपी 3. सांगली अर्बन को–ऑप. बैंक, सांगली
6.	डॉ. मंजु बघेल	स्वतंत्र निदेशक	शून्य

ix. बोर्डसदस्यों के लिए प्रशिक्षण

सीसीआई अपने बोर्ड के सदस्यों को सीसीआई की रूपरेखा, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए पहल करता है। सीसीआई के कामकाज से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी समय–समय पर सीसीआई के प्रबंधन द्वारा निदेशकों को दी जाती है।

x. आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2023–24 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

xi. जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण हेतु नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक अभिन्न अंग है और निगमित तथा प्रचालन उद्दे यों के अनुरुप है। जोखिम प्रबंधन निश्चित समय में अलग कार्य न होकर इसे सामान्य व्यवसाय पद्धति के हिस्से के रूप में किया जाता है।

3 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित निदेशकगणों से गठित की जाती है:–

1) डॉ. रविन्द्र शिव शंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2) डॉ. मंजु बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3) श्री जोसेफ अतुल टी. बरला, निदेशक (सरकारी नामिती) – सदस्य

लेखापरीक्षा समिति के अधिकार, भूमिका और भार्तें कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा निगमित भाासन पर यथा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी गई हैं।

वर्श 2023–24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 15.06.2023, 26.06.2023, 26.09.2023, 14.12.2023, 15.01.2024 और 02.03.2024 को आयोजित की गई जिनमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति
1. डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली	6	6
2. डॉ. मंजु बघेल	6	6
3. श्री जोसेफ अतुल टी. बरला	6	6

4 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को देय पारिश्रमिक और भत्ते और उनकी नियुक्ति/अनुबंध की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, लोक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन नीति निर्धारित करेगी।

कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंरू.

1) डॉ. मंजु बघेल, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2) डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
3) श्री जोसेफ अतुल टी. बरला, निदे ाक (सरकारी नामिती) – सदस्य

वर्श 2023–24 के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठकें दिनांक 07.07.2023, 25.08.2023, 26.09.2023 और 11.12.2023 को आयोजित की गई जिनमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति
1. डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली	4	4
2. डॉ. मंजु बघेल	4	4
3. श्री जोसेफ अतुल टी. बरला	4	4

निदेशकगणों/केमपी को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण :

कंपनी के निदेशकगणों/केएमपी को वर्ष 2023–24 के लिए प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

(लाख / में)

क्रम सं.	नाम	डीए और एचआरए सहित वेतन	अन्य लाभ	निष्पादन प्रोत्साहन	अनुलाभ की राशि	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्य निधि मे अंशदान	कुल
1.	श्री संजय बंगा सीएमडी	31.84	6.77	0.00	8.89	0.39	3.82	51.71
2.	श्री प्रदीप कुमार चांद निदेशक (वित्त)	28.48	6.00	0.00	5.90	0.63	3.31	44.32
3.	श्री अजय कुमार शर्मा कंपनी सचिव	19.70	5.87	0.00	0.00	0.18	2.36	28.12
	कुल	**80.02**	**18.64**	**0.00**	**14.79**	**1.20**	**9.50**	**124.15**

5. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व समिति होनी आव यक है। कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति में निम्नलिखित निदेशकगण होते हैं:–

1) डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2) डॉ. मंजु बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3) श्री जोसेफ अतुल टी. बरला, निदेशक (सरकारी नामिती) – सदस्य

वर्ष 2023–24 के दौरान, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति की दो बैठकें दिनांक 27.12.2023 और 24.02.2024 को आयोजित की गईं जिनमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

नाम	निदेशकगणों के कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति
1. डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अराली	2	2
2. डॉ. मंजु बघेल	2	2
3. श्री जोसेफ अतुल टी. बरला	2	2



6 हितधारक संबंध समिति

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर–सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और इसकी समस्त शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास है। इसलिए, ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7 सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

8 वार्षिक सामान्य बैठक

पिछले तीन वर्षो की वार्षिक सामान्य बैठक के विवरण निम्नानुसार हैं:– .

एजीएम	57वीं एजीएम	58वीं एजीएम	59वीं एजीएम
तिथि और समय	25 फरवरी 2022 सांय 04.30 बजे	28 सितंबर 2022 प्रातः 11.30 बजे	28 सितंबर 2023 प्रातः 11.30 बजे
स्थान	स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003	स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003	स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
पारित विशेष संकल्प	नहीं	हां	नहीं

9 प्रकटन

I. संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन :

कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया प्रकटन) के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिनका कंपनी में संभावित निहित हित है।

II. कानून अनुपालन

कंपनी ने मई 2010 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि नियुक्ति की शर्तों के अनुसार संविदात्मक दायित्वों के रूप में हो।

III. लेखांकन उपचार

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार वित्तीय विवरण हेतु रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों और आपत्तियों के अधीन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन किया है।

IV. राष्ट्रपति के निर्देश

एमएचए ने दिनांक 01.09.2024 को वेतन संशोधन को 01.01.2017 से काल्पनिक रूप से प्रभावी और दिनांक 01.04.2023 से वास्तविक रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश (राष्ट्रपति के निर्देश) को लागू कर दिया गया है।

10. सतर्कता

सीसीआई सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कंपनी के रिकॉर्ड भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट के लिए और सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। सीसीआई में एक सतर्कता विभाग है जिसके अध्यक्ष सीवीओ हैं।

11. संचार के साधन

वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन कंपनी की वेबसाइट www.cciltd.in पर पोस्ट किया जाता है। कंपनी समय–समय पर सीसीआई की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों और गतिविधियों पर आधिकारिक समाचार भी अपलोड करती है।

12. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी या नीति के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारियों को सीएमडी तथा अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति की सीधी पहुँच है जो कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइटwww.cciltd.in पर अपलोड की गई है।

13. अनुपालन प्रमाणपत्र

मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव जो लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के साथ उनकी टिप्पणियों और आपत्तियों के अधीन अनुपालन की पुष्टि करता है, से प्रमाण पत्र और प्रबंधन का उत्तर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, जो इसके साथ संलग्न है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर : 09353339

दिनांक : 30.09.2024
स्थान : नई दिल्ली

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
कार्यालय : एच–63,विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, भारत
फोन : +91–11–49423788, 43019289, मोबाइलः +91–9811272307
ईमेल : amitagcs@gmail.com; amit2ks@yahoo.com

कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कॉरपारेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कोर–5, स्कोप काम्प्लेक्स 7,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
सीआईएन : यू74899डीएल 1965जीओआई004322

हमने **31 मार्च 2024** को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट शासन पर दिनांक 22.06.2007 को जारी अधिसूचना सं . 18(8)2005–जीएम के अंतर्गत 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश, 2010' में निर्दिश्ट शर्तों तथा लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 मई 2010 में यथा संशोधित दिशानिर्देशों एवं इसके अनुलग्नक ('दिशानिर्देश' संदर्भित) के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन पर शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा इनके कार्यान्यन से संबंधित कॉर्पोरेट शासन पर उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथा निर्दिश्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने तक सीमित थी। हमारी यह जांच कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा जानकारी और हमें प्रदान किए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त वर्णित डीपीई दिशानिर्देशों में यथा निर्दिश्ट कॉर्पोरेट शासन पर शर्तों का अनुपालन किया है।

इसके अतिरिक्त, हम उल्लिखित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता अथवा कार्यकुशलता के प्रति हमारा आश्वासन नहीं है जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी का व्यवसाय संचालित किया है।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सीएस अमित अग्रवाल
(पार्टनर)
एम नं. एफ5311, सी.पी. नं. 4647
यूडीआईएनः एफ005311एफ000561284

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.06.2024

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
कार्यालय : एच–63,विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, भारत
फोन : +91–11–49423788, 43019289, मोबाइलः +91–9811272307
ईमेल : amitagcs@gmail.com; amit2ks@yahoo.com

फार्म नं. एमआर–3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी नियम (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियमावली, 2014 के अनुसरण मे ।

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कॉरपारेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कोर–5, स्कोप काम्प्लेक्स 7,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
सीआईएन : यू74899डीएल 1965जीओआई004322

हम सूचित करते हैं कि :

हमने सीमेंट कॉरपोरे शन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी), जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–5, स्कोप कॉम्पलेक्स 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 पर स्थित है, के संबंध में लागू सांविधिक प्रावधानों तथा कंपनी द्वारा सर्वोत्तम कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है।सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है कि यह हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त कारणोचित आधार प्रदान करती है।

कंपनी का दायित्व

कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव और कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रबंधन तथा निदेशक मंडल लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की पहचान, निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरुप पर्याप्त प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की उपलब्धताके लिए भी उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व जांच आधार पर ऐसे अनुपालन का परीक्षण एवं सत्यापन करने तथा हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के प्रति कारणोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथा उपयुक्त लेखा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन परीक्षण जांच आधार पर किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं। हम ऐसा



मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया है, वे हमारी राय के लिए कारणोचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा बहीखातों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। जहां आवश्यक था, वहां हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटित घटनाओं से संबंधित प्रबंधन का उत्तर प्राप्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही इस बात का कि प्रबंधन ने कंपनी का व्यवसाय संचालन कितनी कुशलता से किया है।

सीमाएं

आंतरिक,वित्तीय और प्रचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, कुछ ऐसे अपरिहार्य जोखिम हैं जिनसे कुछ गलत विवरणों अथवा वस्तुगत अनुपालनहीनता का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा निर्दिष्ट सचिवीय लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

इसके अतिरिक्त, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कंपनी पर लागू कार्यवृत्त, दस्तावेज, रजिस्टर, अन्य रिकार्ड और रिटर्न सहित सचिवीय अभिलेखों की जांच की सचिवीय लेखापरीक्षा पूरी की है। प्रबंधन नुषुटि की है कि हमें प्रस्तुत किए गए रिकार्ड सत्य और सही हैं। कुछ ऐसे मामलों मे हमने कंपनी प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों पर क्विास किया है जिनका अन्यथा भौतिक जांच की जानी आवश्यक थी।

राय का आधार

हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के प्रति कारणोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथा उपयुक्त लेखा पद्धतियों, सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। कुछ मामलों में जांच परीक्षण आधार पर की गई है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय आंकड़ों में सही तथ्य दर्शाए जाएं। हमारा ऐसा विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रणालियों का अनुसरण किया है, वे हमारी राय के लिए कारणोचित आधार प्रदान करती हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

सचिवीय अभिलेखों पर रिपोर्ट तथा अनुपालन

कंपनी के बहीखातों, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म और फाइल की गई रिटर्न तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य रिकार्ड तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं तथा अनुपालन–तंत्र उपलब्ध है जो सूचना के अधीन है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **मैसर्स सीमेंट कॉरपोरेशान ऑफ इंडिया लिमिटेड**द्वारा उपलब्ध पुस्तकों, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म और फाइल की गई रिटर्न तथा अन्य रिकार्ड की जांच की है ÷

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके अधीन निर्मित नियम
(ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
(iii) कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित अन्य नियमः–

क) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
ख) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
ग) न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1948
घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
ड) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम), 2013
च) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
छ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
ज) कर्मचारियों के पीएफ प्रयोजनों के लिए गठित भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
झ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
ट) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011
ठ) कारखाना अधिनियम, 1948
ढ) अनिवार्य रिक्ति अधिसूचना अधिनियम, 1959
ण) मजदूरी भुगतान अधिनियम
त) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम
थ) उपदान अधिनियम
द) समान पारिश्रमिक अधिनियम
ध) औद्योगिक विवाद अधिनियम
न) बाल रोजगार अधिनियम
प) भारतीय स्टाम्प अधिनियम
फ) द लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइन्स लेबर वेल्फेयर फंड एक्ट, 1972

तथापि,समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी पर निम्नलिखित विनियम लागू नहीं होते हैं क्योंकि उपबंध (I) के अनुसार स्थापना के समय से कंपनी द्वारा किसी प्रकार का एफडीआई और ईसीबी नहीं लिया गया है तथा नीचे दिए गए उपबंध (II) और (III) गैर–सूचीबद्ध कंपनी के लिए हैं। इसलिए इन उपबंधों के संबंध में टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है:

I. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ डायरेक्ट इंवेस्टमेंट तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1972 तथा इसके अधीन निर्मित नियम और विनियम।
II. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम')के तहत निर्दिश्ट नियम, विनियम और दिशानिर्देश।
III. किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण समझौता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने नीचे दी गई टिप्पणियों को छोड़कर उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

क. दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की अवधि का अंतर 120 दिन से अधिक है।

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन गैर–कार्यकारी निदेशक और महिला निदेशक के उचित संतुलन में किया गया है।

सभी निदेशकगणों को बोर्ड की बैठक, कार्यसूची ओर कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियों के संबंध में कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त सूचना दी जाती है और बैठक से पहले कार्यसूची से संबंधित अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक सहभागिता करने के लिए प्रणाली विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी पर 4 आरोप हैं जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास फार्म 17 (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन फार्म सीएचजी–4) न भरने के कारण एमसीए पोर्टल पर दर्शाया गया है, तथापि, इन्हें संबंधित

बैंक/वित्तीय संस्थानों के साथ एकबारगी निपटान (ओटीएस)के अनुसार एक वर्ष पहले समाधान किया जा चुका है।

अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को नोट कर उन्हें कार्यवृत्त के सभी हिस्सों में रिकार्ड किया जाता है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरुप लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं और प्रणालियां विद्यमान हैं।

इसके अतिरिक्त, हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे वित्तीय कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाता है और वित्तीय रिकार्ड तथा इस लेखापरीक्षा में बहीखातों का रखरखाव की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इनकी समीक्षा अन्य सांविधिक विशेषज्ञों द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा के अधीन है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानक इत्यादि के अनुसरण में किसी प्रकार की कोई विशिष्ट घटना/कॉरपोरेट कार्य नहीं किए गए हैं जिनसे कंपनी का व्यवसाय प्रभावित हुआ हो।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सीएस अमित अग्रवाल
(पार्टनर)
एम नं. एफ5311, सी.पी. नं. 4647
यूडीआईएनः एफ005311एफ000561284

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2024

पीवीआरएन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
6772/2, ब्लॉक 10बी, स्पर्धा भवन,
डीबी गुप्ता रोड, देव नगर, करोल बाग,
नई दिल्ली – 110005
फ़ोन : 9811305334
ई–मेल : jindalrahul60@gmail.com

स्वतंत्र रिपोर्ट

सदस्यगण,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') सीआईएन नंबर – यू74899डीएल1965 जीओआई004322 के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि, नकदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां की गई हैं जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा चार इकाइयां (तंदूर वाईआरओ, बोकाजान और सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट) की लेखापरीक्षा तथा राजबन (हिमाचल प्रदेश), मंधार, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुरकुंटा, आदिलाबाद, भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट तथा निगमित कार्यालय की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई हैं।

योग्य राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योग्य राय के आधार पर पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक इकाई के कामकाज की स्थिति, लाभ या हानि, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रकट करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. कंपनी के नाम कुछ इकाइयों की भूमि के शीर्षक और लीज डीड का निष्पादन अभी भी लंबित है और भूमि विवरण सुलह के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने दिनांक 11.04.2017 को 14.20 एकड़ भूमि को एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दिया था, जिसकी लागत 'बाहरी पक्षों से वसूली योग्य' शीर्ष को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा, साइडिंग निर्माण के लिए रेलवे को दी गई 6.74 एकड़ भूमि का भौतिक कब्ज़ा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है। एमसीडी ने दिनांक 22.04.2024 को पत्र के माध्यम से 14.20 एकड़ भूमि के बदले फिरोजपुर कलां स्थित एमसीडी की 9 एकड़ भूमि को सीसीआई को सौंपने की सूचना दी है जिसका कब्ज़ा अभी तक लंबित है।

2. सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक सड़क के रूप में सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग से उत्पन्न देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके हस्तांतरण आदेश की प्रतीक्षा है।

3. 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाधान के कारण विचार नहीं किया गया है।

4. कुछ व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम व्यापारिक भुगतानों, पार्टियों को और पार्टियों से प्राप्त जमाराशियों तथा अन्य देनदारियों का संतुलन पुष्टि और समाधान के अधीन है। गैर–समाधान से उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. कंपनी की सात उत्पादन इकाइयाँ हैं और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग इकाई है, जहाँ 1996 से 1999 के बीच परिचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है जिसने उत्पादन शुरू नहीं किया।



प्रबंधन के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस–28 के तहत परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित प्राप्ति योग्य मूल्य आमतौर पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक होता है।

6. कंपनी ने दिनांक 22 मार्च 2007 को 7 (सात) वर्षों के लिए भारत सरकार को 3554325 रुपये की राशि के गैर–संचयी प्रीफ्रेन्शियल 1,000 रुपये प्रति की दर से 355. 43 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त प्रीफ्रेन्शियल शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले भुनाया जाना था, जो निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने सूचित किया कि कैबिनेट/बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्रीफ्रेन्शियल शेयर को पुनः जारी करने के लिए मंत्रालय से आगे की कार्रवाई की मांग की गई है।

7. 18,158.40 लाख रुपये की कुल इन्वेंट्री में से 2,258.82 लाख रुपये (कुल इन्वेंट्री का लगभग 12.44 प्रतिशत) की गैर–प्रचालन इकाइयों की इन्वेंट्री को पिछले कई वर्षों से पुस्तकों में दर्शाया गया है। शामिल इन्वेंट्री मदों की प्रकृति और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन्वेंट्री पर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इन्वेंट्री के मूल्य में काफी कमी हो सकती है, जिसका प्रभाव वित्तीय विवरणों में प्रबंधन द्वारा मात्रा दर्शायी नहीं गई है अथवा इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

8. विभिन्न इकाइयों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार योग्यता बिंदु निम्नानुसार हैं:

क) आदिलाबाद, अकालतारा, भंटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार और नयागांव इकाइयों में, प्रबंधन द्वारा हमें अचल संपत्ति सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई, जो वित्तीय विवरणों में सूचित ऐसी संपत्तियों की वास्तविक उपलब्धता पर प्रश्नचिन्ह है और इसके प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है।

ख) अकालतारा और चरखी दादरी में, हमारी लेखापरीक्षा अवधि से पहले इन्वेंट्री पर प्रावधान प्रदान किया गया था। यद्यपि, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा और मंधार इकाइयों में प्रबंधन भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और प्रावधान के लिए आधार प्रदान करने में विफल रहा, जिससे इन्वेंट्री के वास्तविक अस्तित्व के बारे में संदेह उत्पन्न होता है।

ग) तंदूर इकाई में, स्टोर और स्पेयर की सूची के अनुसार उपलब्धता और स्थिति वास्तविक सत्यापन करने में लेखापरीक्षक असमर्थ है क्योंकि इन्वेंट्री को पर्याप्त रूप से लेबल या टैग नहीं किया गया था। कुछ स्पेयर पार्ट्स खुले मैदान में बिखरे हुए थे, जिससे स्पेयर पार्ट्स में जंग लगने के कारण वे खराब हो गए। लेखापरीक्षक अस संदर्भ में टिप्पणी करने में असमर्थ है कि 31 मार्च 2024 तक उक्त इन्वेंट्री के मूल्य में हानि अथवा अप्रचलन है या नहीं।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के दायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अर्हताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अर्हताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

हम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं

क) कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96–बेंच IV एसओएल दिनांक 08.08.1996 के तहत बीमार घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21.03.2006 को आयोजित सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओ) द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना को मंजूरी दी है। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर ने 03. 05.2006 को परिचालित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों का निपटान तथा 3 संचालित संयंत्रों का विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर–संचालन संयंत्रों को बंद करना/बेचना शामिल था। स्वीकृत योजना के अनुसार 7 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। एमएचआई ने दिनांक 09.02.2022 के पत्र के माध्यम से इन गैर–संचालन इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी, स्टोर आदि को बेचने का निर्देश दिया। तदनुसार, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा और मंधार इकाइयों की संयंत्र, मशीनरी तथा अन्य परिसंपत्तियां

मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से बेची जा चुकी हैं जबकि अन्य संयंत्रों की बिक्री प्रगति पर है।

ख)

i) कुरकुंटा इकाई के संयंत्र और मशीनरी की 53.00 करोड़ रुपये में बिक्री मैसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से 'जहां है, जैसा है आधार पर' की गई है। इन परिसंपत्तियों की बिक्री से अर्जित लाभ को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 31एए में असाधारण आय के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मंधार इकाई के संयंत्र और मशीनरी की 55.64 करोड़ रुपये में बिक्री मैसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से 'जहां है, जैसा है आधार पर' की गई है। इन परिसंपत्तियों की बिक्री से अर्जित लाभ को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 31एए में असाधारण आय के रूप में दर्शाया गया है।

ग) दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 29.05.2017 को डीपीई द्वारा जारी आईडीए कर्मचारियों को तीसरे वेतन संशोधन जारी कर दिए गए हैं। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, 'निदेशक मंडल' की संस्तुतियों को अनुमोदन हेतु एमएचआई को भेज दिया गया है। डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन मिल गया है जिसे मौजूदा वित्तीय वर्ष में लागू किया जा चुका है।

घ) वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34.19 में यथा उल्लिखित के अनुसार कंपनी ने मैसर्स एसएआईएल के मामले में मंधार यूनिट के बहीखातों में 7.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। एसएआईएल को देय ऐसी राशि के विरुद्ध सीसीआई की अपील को दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सीएजी ने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भी टिप्पणी की थी।

ड़) टिप्पणी संख्या 11ए और 31बी जिसमें कंपनी ने 14.93 करोड़ की राशि के कुछ स्पेयर और स्टैंड–बाई उपकरणों पर पूंजीकरण तथा मूल्यह्रास की गणना की है जिन्हें मूल रूप से (वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2022–23 तक) की अवधि के दौरान लाभ–हानि के विवरण में उलट कर पूर्वावधि की वस्तुओं के तहत खुलासा करके चार्ज किया गया था। जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है, ऐसे स्पेयर और स्टैंड–बाई उपकरणों को संशोधित एएस–10–पीपीई (2016 से प्रभावी) पर विचार करते हुए चालू वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2016–17 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए पीपीई के घटकीकरण की आवश्यकता होती है। यद्यपि, हमारी राय में, कंपनी को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मौजूदा परिसंपत्तियों के घटकीकरण पर भी विचार करना चाहिए।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी भाामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के अनुसार भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। हम अपने निश्पादित कार्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमारे लिए उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति,



वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव, लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन, उपयोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, वर्तमान व्यवसाय से संबंधित मामलों का प्रकटन करने तथा लेखांकन के मौजूदा व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जब तक उत्तरदायी है जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, भले ही ऐसा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, साथ ही लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना भी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आ वासन उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, किंतु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संपन्न लेखापरीक्षा सदैव विद्यमान भौतिक गलतबयानी का पता लगा सके। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक तब माना जाता है जब इनसे व्यक्तिगत या समग्र तौर पर वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सके।

हमारा दायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम और इसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए ताकि इस बारे में उचित आ वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के विशय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। जोखिम आकलनों के लिए लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकगणों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 4 (चार) शाखाओं के वित्तीय विवरणोंकी लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2024 तक 350.71 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 359.99 करोड़ रुपये (कुल राजस्व का लगभग 74.57 प्रतिशत) का कुल राजस्व शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से इन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की जांच की है जैसे इन्वेंट्री होल्डिंग अनुपात, मॉजूदा अनुपात, बिक्री ग्राफ, लेखापरीक्षा मानक (एसए) 570 (संशोधित) (गोइंग कंसर्न) में निर्धारित मानव शक्ति में कमी इत्यादि और विदित हुआ कि इनसे वित्त वर्ष 2019–20 तक कंपनी के बारे में नकारात्मक आंकड़े प्रतीत नहीं हुए हैं, और सभी वित्तीय संकेतकों ने वित्त वर्ष 2020–21 से सकारात्मक छवि प्रकटल की है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अर्हता के अंतर्गत तथा कंपनी की बहीखातों एवं अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम 'अनुलग्नक क' में उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर कथन करते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी के बहीखातों तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उपनिर्देशों पर अनुलग्नक ;पद्ध में हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क. हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख. हमारी राय में, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी हैं जैसा कि इन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है तथा जिन शाखाओं में हमने दौरा नहीं किया है, वहां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रिटर्न प्राप्त हुए हैं।

   ग. कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है।

   घ. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ–हानि विवरण, तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों और रिटर्न के अनुरूप हैं।

   ड़. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   च. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   ज. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में ए कृपया 'अनुलग्नक ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   झ. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

   i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटन किया है (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें।

   ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके कारण



किसी प्रकार की पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत निर्मित नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में टिप्पणियों में सूचित के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यो) अथवा संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश अथवा उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओ) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पार्टी) शामिल हैं, कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगीय तथा

ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे उन्हें विश्वास हो कि उप–खण्ड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत कथन निहित है।

v वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान करने के लिए इकाई पात्र नहीं है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने बहीखातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला है।

कृते पीवीआरएन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन सं. : 004062एन

ह/–
सीए राहुल जिंदल
पार्टनर
एम. नं. 522355

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.08.2024
यूडीआईएन नं. 24522355बीकेईएआरयू1236

अनुलग्नक 'क'

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैरा 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा उचित समझी गई जाँच के आधार पर तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. क) अपनी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

A. कंपनी ने 7 गैर–प्रचालन इकाइयों (आदिलाबाद, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार, नयागांव और नयागांव विस्तार) के अतिरिक्त अन्य इकाइयों के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण द ार्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

एनओयू के संबंध में, हमें कोई अचल संपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, यद्यपि, आंतरिक लेखा परीक्षक के अनुसार यह इकाइयों में उपलब्ध है।

B. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

ख. जैसा हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है जिसमें सभी इकाइयों के लिए उचित अंतराल पर सभी संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान है।

ग. शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ इकाइयों को छोड़कर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी की भूमि और अन्य संपत्तियों के निम्नलिखित स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित होने बाकी हैं। विवरण निम्नानुसार है: .

क्रम सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	किसके नाम है	क्या प्रोमोटर, निदेशक अथवा उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम है?	अवधि–जहां उपयुक्त हो, रेंज दर्शाएं	कंपनी के नाम पर न होने के कारण
1.	मंधार, (1.06 एकड़)	–	–	–	–	–
2.	अकलतारा, (495.75 एकड़)	–	–	–	–	–
3.	भटिंडा, (10.12 एकड़)	5.57	पीएसईबी (गुरुनानक देव थर्मल पॉवर स्टेशन, भटिंडा)	नहीं	1995 से	सीसीआई के नाम समझा गया स्वामित्व



4.	नयागांव, एक मिलियन टन प्लांट तथा सीमेंट ग्राइंडिग यूनिट, दिल्ली (6.74 एकड़)	–	–	–	–	–
5.	नयागांव (0.146 हेक्टेयर)	–	–	–	–	–
6.	मुख्यालय भवन	266.58	लोक उद्यम की स्थायी कान्फ्रेंस	नहीं	1988 से	सीसीआई के नाम माना गया स्वामित्व

टिप्पणी संख्या 34.04 के अनुसार, 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) को छोड़कर भूमि का सकल वहन मूल्य, जहां स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं , आज तक निर्धारित नहीं किया गया है।

घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड़) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और इसके अंतर्गत नियमों के अधीन कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2. इसकी सूची के संबंध में:

(क) जैसा हमें बताया गया कि बोकाजन, सिलचर और टांडूर इकाइयों के लिए प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में तैयार माल, अर्ध–तैयार माल और स्टोर, स्पेयर पार्ट्स तथा कच्चे माल की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया था। हालांकि गैर–संचालन इकाइयों के लिए सूची की कोई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हमें प्रदान नहीं की गई है। गैर–संचालन इकाइयों के संबंध में इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति अनुचित है, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और कवरेज पर्याप्त और उचित नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

3. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, अथवा ऋण के रूप में कोई प्रतिभूतित अथवा अप्रतिभूति ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है और इसलिए आदेश के इस खंड ;पपपद्ध के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने तथा गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जमाराशि या जमाराशि मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए, आदेश के खंड ;अद्ध के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उन्हें बनाए रखा गया है, सिवाय उन इकाइयों के जो माननीय बीआईएफआर के अनुसार बंद/गैर–संचालन में हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए इन रिकॉर्डों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक अथवा पूर्ण हैं या नहीं।

7. सांविधिक बकाया के संबंध में:

(क) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी उपयुक्त प्राधिकरणों को निर्विवाद सांविधिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, स्रोत पर कर कटौती, स्रोतों पर कर संग्रह, व्यावसायिक कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य भौतिक

सांविधिक बकाया शामिल हैं। निम्नलिखित निर्विवाद मामलों में, भुगतान देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए तुलन पत्र की तिथि को बकाया है:

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक बकाया के संबंध में देय विवादित राशि 31 मार्च, 2024 तक बकाया थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

बकाया राशि की प्रकृति	कानून की प्रकृति	राशि (लाख रु.)
डूबा हुआ किराया	डूबा हुआ किराया	37.10
रोजगार/व्यावसायिक कर	रोजगार/व्यावसायिक कर	3.09
प्रवेश कर	प्रवेश कर	13.77
वस्तु एवं सेवा कर	वस्तु एवं सेवा कर	6.31
रॉयल्टी	रॉयल्टी	84.63
बिक्री कर	बिक्री कर	1565.53
अधिभार/अतिरिक्त कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	4.18
सीमेंट पर उपकर	सीमेंट पर उपकर	16.79
उपहार	उपहार	15.14
आयकर	आयकर	0.40

बकाया राशि की प्रकृति	कानून की प्रकृति	राशि (लाख रु.)
पंचायत कर	पंचायत कर	6.02
उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	349.02
गैर–कृषि कर (एनएएलए कर)	गैर–कृषि कर (एनएएलए कर)	51.13
सेवा कर	सेवा कर	140.36
संपत्ति कर प्रावधान	संपत्ति कर प्रावधान	290.04
देय रॉयल्टी	देय रॉयल्टी	56.32
रॉयल्टी और उपकर	रॉयल्टी और उपकर	0.553
उपहार	उपहार	220.7
जीएसटी	जीएसटी	24.59
बिक्री कर	बिक्री कर	598.35
आयकर	आयकर	6.81

8. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो बहीखाता में दर्ज न हो, और आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो, तदनुसार आदेश का खंड ;अपपपद्ध लागू नहीं होता है।

9. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,



ऋण प्रतिभूतियों सहित उधार की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	नियत तिथि पर राशि का भुगतान नहीं किया गया	मूलधन अथवा ब्याज	विलंबित अथवा अवैतनिक दिवसों की संख्या	टिप्पणी, यदि कोई है
ब्याज मुक्त ऋण	भारत सरकार	150.90 करोड़	मूलधन	2011 से अर्थात 4748 दिवस	-
अनियोजित ऋण	भारत सरकार	123.85 करोड़	ब्याज	2011 से अर्थात 4748 दिवस	-

(ख) कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं की गई है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के प्रारंभ में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं है, इसलिए आदेश के इस खंड ;पगद्ध ;ईद्ध के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के इस खंड ;पगद्ध के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ड़) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं था, इसलिए आदेश के खंड ;पगद्ध (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया हैए इसलिए आदेश के इस खंड ;पगद्ध (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

10.

(क) कंपनी कोई भी प्रतिभूति (ऋण उपकरणों सहित) जारी करने के लिए पात्र नहीं है और इसलिए आदेश के इस खंड ;गद्ध ;कद्ध के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट करने के लिए पात्र नहीं है और इसलिए आदेश के इस खंड ;गद्ध ;खद्ध के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

11.

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भी भौतिक धोखाधड़ी का मामला प्रका ा में नहीं आया है और इस बाबत कोई की गई है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के इस खंड ;गपद्ध ;कद्ध के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं भरी गई है।

(ग) जैसा प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश का यह खंड ;गपपद्ध लागू नहीं होता है।

13 हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और वित्तीय विवरण में उनका प्रकटन किया गया है, जैसा कि राज्य नियंत्रित संस्थाओं पर लागू सीमा तक कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के

तहत निर्दिष्ट लेखा मानक (एएस) 18, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के तहत अपेक्षित है।

14.

(क) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के तहत कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली रखना आवश्यक है, जो वर्ष के लिए उपलब्ध है और कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) प्रणाली के कार्यरत होने के कारण ही हम आंतरिक लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार कर सके।

15 कंपनी ने अपने निदेशकगणों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड ;गअद्ध के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16.

(क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (आईए) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश का यह खंड ;गअपद्ध (क) लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई भी गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, कंपनी पर आदेश का यह खंड ;गअपद्ध (ख) लागू नहीं होता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत निर्मित विनियमों में परिभाषित कंपनी, कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश का यह खंड ;गअपद्ध (ग) लागू नहीं होता है।

(घ) लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई सीआईसी नहीं है, तदनुसार कंपनी पर आदेश के इस खंड ;गअपद्ध (घ) की अर्हता लागू नहीं होती है।

17. कंपनी को चालू वित्त वर्ष अर्थात लेखापरीक्षा अवधि और पिछले वर्ष के दौरान कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

18. वर्ष के दौरान, किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है, तदनुसार, कंपनी पर आदेश का खंड ;xviii) लागू नहीं होता है।

19. वित्तीय अनुपातों, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति, वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं एवं निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार परए हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें यह वि वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को किसी भी तरह की कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी अपने दायित्वों को तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

तथापि, हम उल्लिखित करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आ वासन नहीं है। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आ वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा समय पर चुका दिया जाएगा।

20. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधि पर 42.98 लाख रुपये खर्च किए हैं।

21. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आदेश के उपरोक्त खण्डों ;पद्ध से ;गगद्ध में पहले से शामिल सूचना, अर्हताएं या प्रतिकूल टिप्पणियों के अतिरिक्त शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, इकाइयों की कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कोई अन्य अर्हताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

कृते पीवीआरएन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन सं. : 004062एन

ह/–
सीए राहुल जिंदल
पार्टनर
एम. नं. 522355

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 21.08.2024
यूडीआईएन नं. 24522355बीकेईएआरयू1236



अनुलग्नक 'ख'

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड ;पद्ध के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक **सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी')** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जो इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियां ('मार्गदर्शन टिप्पणी') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक वि वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियां ('मार्गदर्शन टिप्पणी') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित उन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है जिन्हें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणियों के लिए आवश्यक है कि हम अपने नैतिक दायित्वों का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आ वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं और वे प्रयोग में लाए जा रहे थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना और इस बाबत जोखिमों का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की वि वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आ वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

1. ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो निगम की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को उचित विवरण के साथ सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रद ित करते हैंय

2. इस बाबत उचित आ वासन प्रदान करना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है तथा निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकगणों के अनुमोदन के अनुसार ही किए जा रहे हैंय तथा

3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग

या निपटान की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आ वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना जैसी अंतर्निहित सीमाओं के कारण अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे जिन पर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

कृते पीवीआरएन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन सं. : 004062एन

ह/–
सीए राहुल जिंदल
पार्टनर
एम. नं. 522355

स्थान : नई दिल्ली
दिंनाक : 21.08.2024
यूडीआईएन नं. 24522355बीकेईएआरयू1236

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट।

अनुलग्नक–I

1. क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली लागू है, यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	ळां, कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। हमारे सामने लेखांकन लेनदेन का ऐसा कोई मामला दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया हो।
2. क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं, यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सूचित करें। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखाजोखा रखा जाता है ?(यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू है)।	वर्ष के दौरान किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन नहीं किया गया है या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है।
3. क्या केन्द्र /राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त /प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा /उपयोग किया गया था? विचलन के कारणों की सूची बनाएँ।	केन्द्र /राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त /प्राप्त होने वाली धनराशि का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा .जोखा रखा गया /उपयोग किया गया।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र **(₹ लाख में)**

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी और देयताएं			
शेयरधारक निधि			
(क) शेयर पूंजी	02	81,140.74	81,140.74
(ख) भंडार और अधिशेष	03	(58,979.37)	(68,484.62)
		22,161.37	**12,656.12**
गैर-मौजूदा देयताएं			
(क) दीर्घावधि उधार	04	15,090.0	15,090.07
(ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	05	26,161.17	25,411.94
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	06	4,132.48	4,239.75
		45,383.72	**44,741.76**
वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पकालिक उधार	07	-	-
(ख) व्यापार देय			
(i) व्यापार देयताएं-एमएसएमई	08	823.78	392.77
(ii) व्यापार देयताएं-अन्य	08	1,535.48	1,371.19
(ग) अन्य चालू देयताएं	09	7,074.01	7,757.79
(घ)अल्पकालिक प्रावधान	10	4,932.08	4,183.91
		14,365.35	**13,705.66**
कुल		**81,910.44**	**71,103.54**
परिसंपत्तियां			
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	11 क	16,198.21	12,579.84
(ii) अमूर्त आस्तियां	11 ख	1.11	0.30
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	12	4,577.74	6,242.83
(iv) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	13	12.81	12.81
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	14	227.98	227.98
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	15	4,455.01	1,965.50
(घ)अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	16	1,638.80	1,462.23
(ङ) गैर-परिशोधित व्यय	17	1,977.47	1,868.47
		29,089.13	**24,359.96**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	18	-	-
(ख) इन्वेंट्री	19	18,189.11	17,046.41
(ग) व्यापार प्राप्य	20	508.03	322.56
(घ) नकद और नकद समकक्ष	21	28,791.82	20,083.99
(ङ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	22	3,226.69	3,428.26
(च) अन्य चालू आस्तियां	23	2,105.66	5,862.36
		52,821.31	**46,743.58**
कुल योग		**81,910.44**	**71,103.54**

1 से 34

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों के
नोट
उपर्युक्त नोट तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।
यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित बैलेंस शीट है

पी वी आर एन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 004062एन

ह /-
(सीए राहुल जिंदल)
साझीदार
सदस्यता संख्या 522355
यूडीआईएन
2452235बीकेईआरयू1236

दिनांक: 21-08-2024
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह /-
(संजय बांग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09353339

ह /-
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह /-
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09711963

ह /-
(सैय्यद शरीक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
	राजस्व			
I	प्रचालनों से राजस्व			
	(क) उत्पादों की बिक्री (क्लिंकर सहित)		41,705.51	44,031.02
	(बी) अन्य प्रचालनरत राजस्व		98.76	41.06
	प्रचालनों से कुल राजस्व		**41,804.27**	**44,072.08**
II	**अन्य आय**	**24**	5,631.96	3,472.30
	कुल आय		**47,436.23**	**47,544.38**
	खर्च			
	(क) खपत सामग्री की लागत	**25**	5,662.58	5,940.54
	(बी) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य-प्रगति और व्यापार में स्टॉक	**26**	(2,586.32)	(614.58)
	(सी) कर्मचारी लाभ व्यय	**27**	5,609.92	5,395.78
	(डी) वित्त लागत	**28**	-	-
	(ई) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**29**	1,314.90	1,003.04
	(च) अन्य व्यय	**30**	37,872.03	34,465.04
	कुल व्यय		**47,873.11**	**46,189.82**
	असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि)		**(436.88)**	**1,354.56**
	अपवादात्मक मद आय / (व्यय)	**31A**	9,942.13	8,174.58
	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि)		**9,505.25**	**9,529.14**
	असाधारण मदें आय / (व्यय)		-	-
	कर से पहले लाभ/(हानि)		**9,505.25**	**9,529.14**
	कर व्यय			
	वर्तमान कर		1,660.76	369.17
	कम: मैट क्रेडिट पात्रता		(1,660.76)	(369.17)
	निरंतर परिचालन से लाभ / (हानि)		518.06	2,443.72
	परिचालन बंद करने से लाभ / हानि	**31C**	8,987.19	7,085.42
	परिचालन बंद करने का कर व्यय		-	-
	परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर के बाद)		8,987.19	7,085.42
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**9,505.25**	**9,529.14**
	प्रति इक्विटी शेयर आय (₹में)			
	(प्रति इक्विटी शेयर ₹ 1000/- का मूल्य)			
	बुनियादी		**(9.66)**	**29.63**
	पतला		**(9.66)**	**29.63**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों के नोट 1 से 34
उपरोक्त नोट लाभ और हानि के विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित लाभ और हानि का विवरण है

पी वी आर एन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 004062एन
ह /-
(सीए राहुल जिंदल)
साझीदार
सदस्यता संख्या 522355
यूडीआईएन 2452235बीकेईआरयू1236

दिनांक: 21-08-2024
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह /-
(संजय बांग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09353339

ह /-
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09711963

ह /-
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह /-
(सैय्यद शरीक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	सतत प्रचालन		परिचालन बंद करना		कुल योग	
	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023
क. **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**						
कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	518.06	2,443.72	8,987.19	7,085.42	9,505.25	9,529.14
के लिए समायोजित:						
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,757.08	932.00	82.70	83.31	1,839.78	1,015.31
वित्तीय लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज और अन्य आय	(4,008.41)	(2,731.81)	(621.80)	(246.47)	(4,630.21)	(2,978.28)
अचल संपत्तियों के निपटान पर लाभ	(18.30)	(6.95)	(188.78)	-	(207.08)	(6.95)
निवेश की बिक्री पर लाभ		-		-		-
प्रावधानों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	(192.43)	(363.40)	(35.50)	(25.53)	(227.93)	(388.93)
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाले गए अनारक्षित व्यय	338.18	370.91	-	-	338.18	370.91
अपवादात्मक (आय)/व्यय	-	-	(9,942.13)	(8,174.58)	(9,942.13)	(8,174.58)
असाधारण (आय)/व्यय	-	-	-	-	-	-
कार्यशील पूंजी से पहले परिचालन लाभ	**(1,605.82)**	**644.47**	**(1,718.32)**	**(1,277.85)**	**(3,324.14)**	**(633.38)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:						
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	595.30	115.53	-	(29.97)	595.30	85.56
अन्य देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(274.46)	347.42	567.84	1,422.13	293.38	1,769.55
प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(127.02)	1,059.72	767.92	53.88	640.90	1,113.60
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(185.47)	161.42	-	-	(185.47)	161.42
इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि)	(2,059.14)	(3,860.80)	916.44	920.57	(1,142.70)	(2,940.23)
ऋण और अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(1,247.01)	(135.22)	(1,040.93)	(57.39)	(2,287.94)	(192.61)
अन्य आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1,681.83)	(143.00)	692.63	(76.83)	(989.20)	(219.83)
किए गए अनारक्षित व्यय	(447.18)	(256.62)	-	-	(447.18)	(256.62)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (प्रयुक्त)	**(7,032.63)**	**(2,067.08)**	**185.58**	**954.54**	**(6,847.05)**	**(1,112.54)**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
अचल संपत्तियों की खरीद	(5,591.09)	(474.44)	(2.58)	2.54	(5,593.67)	(471.90)
ब्याज और अन्य आय	4,693.08	2,895.78	621.80	246.47	5,314.88	3,142.25
पूंजी कार्य प्रगति पर है	1,638.38	(249.59)	26.70	129.70	1,665.08	(119.89)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	24.34	8.26	14,144.25	4,516.94	14,168.59	4,525.20
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**764.71**	**2,180.01**	**14,790.17**	**4,895.65**	**15,554.88**	**7,075.66**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
लंबी अवधि के उधार से आय	-	-	-	-	-	-
दीर्घावधि उधार की चुकौती	-	-	-	-	-	-
अल्पकालिक उधार से आय	-	-	-	-	-	-
अल्पकालिक उधार की चुकौती	-	-	-	-	-	-
अन्य इकाइयों को हस्तांतरित निधि	-	-	-	-	-	-
सरकार से प्राप्त अनुदान भारत का	-	-	-	-	-	-
ब्याज और अन्य उधार लागत का भुगतान	-	-	-	-	-	-
यूनिटों के लिए अंतरित निधि	14,962.00	5,847.13	(14,962.00)	(5,847.13)	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी	**14,962.00**	**5,847.13**	**(14,962.00)**	**(5,847.13)**	**-**	**-**
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**8,694.08**	**5,960.06**	**13.75**	**3.06**	**8,707.83**	**5,963.12**
नकद और नकद समकक्ष खोलना	20,073.48	14,113.42	10.51	7.45	20,083.99	14,120.87
नकद और नकद समतुल्य बंद करना	**28,767.56**	**20,073.48**	**24.26**	**10.51**	**28,791.82**	**20,083.99**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	सतत प्रचालन		परिचालन बंद करना		कुल योग	
	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023
1. नकद और नकद समकक्षों को बंद करने में शामिल हैं:						
नकद	0.80	0.97	0.03	0.03	0.83	1.00
हाथ में चेक	-	-	-	-	-	-
बैंकों के पास शेष:						
- चालू खातों पर	996.93	792.46	24.23	10.48	1,021.16	
- जमा खातों पर	24,265.49	15,630.82	-	-	24,265.46	15,630.82
- ग्रहणाधिकार के तहत	3,504.34	3,649.23			3,504.34	3,649.23
कुल योग	**28,767.56**	**20,073.48**	**24.26**	**10.51**	**28,791.82**	**20,083.99**

2 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है जैसा कि कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 3 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित किया गया है।
3. बैंक जमाराशियों में ₹ 2222.92 लाख (पिछले वर्ष: ₹ 2261.04 लाख) की जमाराशियां शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक है।
4. जब भी आवश्यक हो, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी को स्वयं के नकद संसाधनों से पूरा करने का प्रस्ताव है।
5 वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

पी वी आर एन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 004062एन

ह /-
(सीए राहुल जिंदल)
साझीदार
सदस्यता संख्या 522355
यूडीआईएन 2452235बीकेईआरयू1236

दिनांक: 21-08-2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह /-
(संजय बांग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09353339

ह /-
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09711963

ह /-
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह /-
(सैय्यद शरीक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों से प्राप्त सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण को सत्यापित किया है और उसके अनुसार तैयार किया गया पाया है।

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

पी वी आर एन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 004062एन

ह /-
(सीए राहुल जिंदल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 522355

दिनांक: 21-08-2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन 2452235बीकेईआरयू1236



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

01.01 तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरणिकायें कंपनी अधिनियम, 2013निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें नकद आधार लेखाबद्ध किया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में, प्रोद्भवन आधार पर, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार की गई हैं।

(i) रेलवे और बीमा दावों से भिन्न किए गए परिसमाप्त हानि/अर्थदंड/दावे वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और विविध आय में शामिल किये जाते हैं।

(ii) भंडार और पुर्जों के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली/न चलने वाली वस्तुओं आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, उस वर्ष लेखाबद्ध की जाती है जिसमें उसका निपटान किया जाता है।

प्रचालन चक्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प् में निर्धारित कंपनी के प्रचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर,कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर–चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने प्रचालन चक्र का मूल्यांकन बारह मास के रूप में किया गया है।

01.02 राजस्व की मान्यता

(i) राजस्व को वापसियों, मितिकाटा (डिस्काउंट) एवं छूट आदि के अलावा वस्तु एवं सेवा कर के निवल को छोड़कर मान्यता दी जाती है।

(ii) ब्याज आय समय के आधार पर, मूल बकाया के संदर्भ में और प्रयोज्य प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है।

01.03 भूमि एवं परिशोधन

(i) राज्य सरकार द्वारा मुफ्त दी गई भूमि का मूल्य नाममात्र लागत पर या इसक अधिग्रहण पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ii) खदान में खनन पट्टे के अंतर्गत भूमि फ्री होल्ड और 99 वर्ष से कम पट्टे वाली भूमि का परिशोधन संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है।

01.04 निवेश

(i) दीर्घावधिक निवेश का उल्लेख लागत पर किया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी गई है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) चालू निवेश का उल्लेख लागत से कम और उद्धृत/उचित मूल्य पर किया गया है। गैर–उद्धृत चालू निवेश का उल्लेख लागत किया जाता है।

1.05 उधार लागत

उधार लागत जो अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन से उद्भूत होती है, को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है।

अन्य सभी उधार लागतें राजस्व में जोड़ी जाती हैं।

1.06 स्थायी परिसंपत्तियां

(i) मूर्त संपत्ति का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया गया है। अधिग्रहण लागत में परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए खरीद मूल्य और कोई अन्य लागत शामिल होती है।

(ii) अमूर्त संपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित



परिशोधन और संचित ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया गया है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई अन्य व्यय शामिल होता है।

01.07 मूल्यह्रास/परिशोधन

(i) परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान तब किया जाता है जब परिसंपत्तियां संपूरित हो जाती है और उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की संगणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प के अनुसार, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है और लागत का 95 प्रतिशत परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान नीचे (पअ) यथा उल्लिखित के अनुसार बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ii) वर्ष के दौरान परिवर्धित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उन्हें पूंजीकृत करने एवं उन्हें हटाने/बेचने/ध्वस्त/नष्ट होने की तारीख तक आनुपातिक रूप से दर्शाया जाता है।

(iii) कोई वैयक्तिक परिसंपत्ति जिसका वर्ष के आरंभ में अपलिखित मूल्य 5000/– या उससे कम है, उसका वर्ष के दौरान अवशिष्ट मूल्य को प्रतिधारित किये बिना पूरा मूल्यह्रास कर दिया जाता है चूंकि उसे नगण्य माना जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/– तक की लागत वाली कोई वैयक्तिक परिसंपत्ति को सकल ब्लॉक में लिया जाता है और उसका उसी वर्ष पूरा मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

(v) पट्टाकृत भूमि पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

(vi) अमूर्त परिसंपत्तियां उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान सीधी रेखा के आधार पर निम्नानुसार परिशोधित की जाती हैं: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन पांच वर्षों की अवधि में किया जाता है।

01.08 मालसूची

क) मूल्यांकन

(i) नीचे ;पपद्ध वर्णित मदों को छोड़कर, भंडार, कल पुर्जे और कच्चे माल भारित औसत लागत पर दर्शाए गए हैं। जब अप्रचलित/अनुपयोगी भंडार और कल पुर्जे अवधारित किये जाते हैं तो उसे कबाड़ (स्क्रैप) के रूप में माना जाता है और उसका मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ii) क्लिंकर और अन्य आधा तैयार माल वर्क बैक फॉर्मूला के आधार पर यूनिट की अल्पतर भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर बताया जाता है।

हालाँकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसे शून्य मान पर बताया गया है।

(iii) कारखानों/परियोजनाओं/डंप में या डंप बनाने के उद्देश्य से मार्गस्थ तैयार माल को भारित औसत लागत या वसूली योग्य मूल्य से अल्पतर इकाइयों पर बताया जाता है। बिक्री व्यय से डंप तक पहुंचाने से जुड़ा भाड़ा विभिन्न डंप पर पड़े तैयार माल के मूल्य में सम्मिलित किया जाता है।

(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कबाड़ की विभिन्न मदों की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित मदों की नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालाँकि, जहां कबाड़ पहली बार उत्पन्न होने या ऐसे कबाड़ का पहले कभी निस्तारण न होने के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध नहीं हैं तो वहां मूल्यांकन के प्रयोनार्थ ऐसे कबाड़ के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य अपनाया जाता है।

ख) खुले उपकरण और औजार

उपकरण और औजार तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं।

01.09 आस्थगित राजस्व व्यय

(i) प्रॉस्पेक्टिंग और बोरिंग पर होने वाला व्यय आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और उसे इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद तीन से पांच वर्षों में दर्शाया जाता है।

(ii) खानों पर अतिरिक्त बोझ आदि को हटाने पर किया गया

व्यय, जिसका उपयोग पूंजीगत कार्यों जैसे सड़क, स्टॉकयार्ड, क्रशर रैंप आदि बिछाने के लिए किया जाता है, को पूंजीकृत किया जाता है। अधिभार आदि को हटाने पर किए गए शेष व्यय को आरंभ्ज्ञ में 'आस्थगित राजस्व व्यय' के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान दर्शाया जाता है, जिसके लिए खदान के विकास से निकला चूना पत्थर उपयोग में लाने के लिए उपलब्ध हो।?

(iii) किराए के भवनों में आंतरिक पार्टीशन और अन्य फिक्स्चर की लागत सीधे अधिश्ठापित किये जाने वाले वर्ष में दर्शायी जाती है परंतु यदि लागत एक लाख रुपये से अधिक है तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और इसे तीन से पांच वर्षों में दर्शया जाता है।

(iv) इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के उपरांत हाई–क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया के प्रारंभिक पूर्ण प्रभार को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हालाँकि, बनाने का शुल्क लाभ और हानि के विवरणी में दर्शाया जाता है।

(v) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी नहीं है तो वीआरएस भुगतान पर सेवा समापन हितलाभ सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन या सेवा की शेष अवधि के लिए वेतन के बराबर, जो भी कम हो, दिया जाता है और नोटिस अवधि का वेतन आस्थगित कर दिया जाता है तथा व्यश्टियों की सेवा की शेष अवधि के दौरान या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। हालाँकि, 01/04/2003 को या उसके उपरांत वीआरएस/वीएसएस पर किया गया कोई व्यय को तब व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे खर्च किया जाता है और पूरा उसी वर्ष में ही दर्शा जाता है।

01.10 पूर्वावधि/असाधारण समायोजन

किसी विशेष वर्ष से संबंधित, लेखाबंदी के उपरांत अर्थात अंतिम तिथि के उपरांत संज्ञान में आने वाले व्यय/प्राप्तियां, यदि यह राशि 10,000/– रुपये से अधिक न हो, अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई जाती हैं। यदि यह राशि 10,000/– रुपये से अधिक है तो चालू वर्ष/पूर्वावधि/असाधारण व्यय/आय के लेखाओं के स्वाभाविक मद के अंतर्गत उसके लेखांकन के अवधारण के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक–5 में अंतर्विश्ट प्रावधान लागू किये जाते हैं।

01.11 विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखा–जोखा

विदेशी ऋण देनदारियों का रुपांतरण समापन बाजार विनिमय दरों पर किया जाता है। लेन–देन के निपटान पर लाभ या हानि (क) परियोजना अवधि के दौरान उस उपकरण की प्रासंगिक लागत में जमा/नामे की जाती है जो उन पुर्जे और सेवा से संबंधित हैं जिन्हें निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) में जमा/नामे किया जाता है, (ख) परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन हो जाने के उपरांत लाभ/हानि उपकरण की प्रासंगिक लागत में जमा/नामे की जाती है परंतु उसे पुर्जों और सेवाओं से संबंधित लाभ और हानि की विवरणिका में दर्शाया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों के ऐसे समायोजन पर मूल्यह्रास को संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

01.12 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी उनके बही मूल्य पर पहुंचने पर संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से घटा दी जाती है। जहां विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान परिसंपत्ति की संपूर्ण या वस्तुतः संपूर्ण लागत के बराबर होता है वहां परिसंपत्ति का मूल्यांकन नाममात्र मूल्य पर या उसके अर्जन/अधिश्ठापन पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अनुदान, परिवहन सब्सिडी और अन्य राजस्व अनुदान की संबंधित व्यय से कटौती की जाती है।

;iii) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से जुड़ी केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदान और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य इसी तरह के अनुदान, जहां आमतौर पर तत्संबंधी कोई चुकौती अपेक्षित नहीं है, पूंजी आरक्षिति
मानी जाती हैं।

(iv) उपरोक्त विनिर्दिष्ट से भिन्न पूंजीगत/राजस्व



अनुदान/सब्सिडी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक –12 के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है।

01.13 निगम के दावे

(i) बीमा दावे सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और/या दर्ज किए गए दावे जहां लेखा पर भुगतान प्राप्त हुआ है के आधार पर लेखाबद्ध किये जाते हैं। हालाँकि, ऐसे मामले में, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखाबंदी से पहले प्राप्त नहीं होती है, लेखाओं पर टिप्पणियां के स्वरूप में उस प्रभाव का प्रकटन किया जाता है।

(ii) दावे दर्ज करने पर रेलवे दावों को ध्यान में रखा जाता है।

01.14 जमा काय

प्रगति में जमा कार्यों के संबंध में, इसे निगम के पूंजीगत कार्य–प्रगति के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को स्वामित्व हस्तांतरित और पूंजीकृत होने पर आनुपातिक रूप से जमा कार्य में जोड़ा जाता है।

01.15 कर्मचारी हितलाभ

(i) सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में उपदान का प्रावधान, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 और कंपनी की स्वयं की उपदान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(ii) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश आदि का प्रावधान, जो किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भुनाया जा सकता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(iii) बोनस के लिए दायित्व बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर प्रदान किया जाता है, न कि संपूर्ण निगम के आधार पर। निगम कार्यालय के लिए बोनस की देयता उस दर पर प्रदान की जाती है जो अन्य इकाइयों के लिए बोनस प्रदान की जाने वाली दरों का औसत है।

01.16 डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम को लाभ और हानि विवरण/ आईईडीसी लेखा में उस वर्ष से आरंभ होने वाली डिबेंचर की अवधि के बराबर किश्तों में लिया जाता है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

01.17 पूर्वप्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में, अगले वर्ष के अग्रिम में किए गए 10,000/– रुपये या उससे कम के व्यय चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

01.18 अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्य/ऋण/अग्रिम आदि के लिए लेखांकन

संदिग्ध प्राप्य/ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब उसे वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है परंतु वसूली की संभावना बनी रहती है। ;पद्ध रकम बट्टे खाते में तब डाल दी जाती है, जब वसूली के प्रयास या तो विधिक प्रक्रिया के कारण विफल हो जाते हैं या जहां यह माना जाता है कि मुकदमेबाजी उपयोगी नहीं होगी और वसूली संभव नहीं है।

01.19 अंतर इकाई/जोन/निगम कार्यालय अंतरण

(i) इकाइयों द्वारा अंतरित तैयार माल का मूल्यांकन आरंभ में प्रेषण योजना दरों और बेची गई मात्रा पर किया जाता है, तब जोनों द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर उसका निपटान किया जाता है।

(ii) स्थायी परिसंपत्तियों आदि के अंतर इकाई/जोन/निगम कार्यालय अंतरण बही मूल्य पर लेखाबद्ध किये जाते हैं।

(iii) क्लिंकर के अंतर इकाई अंतरण उसकी वसूली योग्य दरों (सीमेंट से वर्क बैक विधि द्वारा) पर लेखाबद्ध किये जाते हैं और इसकी मार्गस्थ हानि प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में समायोजित की जाती है।

(iv) अंतर इकाई/जोन/निगम कार्यालय शेष का नियमित रूप से समाशोधन किया जाता है और शेष की संपुष्टि प्राप्त की जाती है।



01.20 व्यय का वर्गीकरण

(i) नीचे (पप) में यथा वर्णित को छोड़कर, भंडार और पुर्जे की लागत सहित स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय लाभ और हानि विवरणिका में दर्शाये जाते हैं।

(ii) भंडार और पुर्जे की लागत सहित स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किया गया व्यय, जो मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभों को उसके पहले मूल्यांकन किए गए कार्य निश्पादन मानक (उदाहरणार्थ क्षमता में वृद्धि) से परे बढ़ाता है, को पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) वेतन और मजदूरीः संयंत्र और मशीनरी, भवनों आदि की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च किये गये वेतन और मजदूरी सीधे वेतन और मजदूरी लेखा में दर्शाई जाती है।

(iv) अन्य विविध व्ययः पार्कों, वृक्षारोपण और तंबू और तिरपाल आदि की खरीद पर व्यय राजस्व व्यय के रूप में दर्शाये जाते हैं।

01.21 मौजूदा संयंत्र से सटे विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर किए गए सामान्य व्यय मौजूदा संयंत्रों से सटे विस्तार परियोजना/नई परियोजनाओं में नहीं दर्शाये जाते हैं।

01.22 निगम कार्यालय व्यय का आवंटन

निगम कार्यालय का निवल राजस्व व्यय/आय प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और बोध के अनुसार यथा विनिश्चित विभिन्न इकाइयों या परियोजनाओं से संबंधित संभावित लाभों के आधार पर प्राक्कलन के आधार पर सभी इकाइयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
02	**शेयर पूंजी**		
	अधिकृत		
	50,00,000 (31 मार्च 2023: 50,00,000) इक्विटी शेयर, ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य	50,000.00	50,000.00
	40,00,000 (31 मार्च 2023: 40,00,000) वरीयता शेयर, ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य	40,000.00	40,000.00
	कुल योग	**90,000.00**	**90,000.00**
	जारी, सब्सक्राइब और प्रदत्त		
	45,59,749 (31 मार्च 2023: 45,59,749) इक्विटी शेयर, ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य पूरी तरह से भुगतान किया गया	45,597.49	45,597.49
	35,54,325 (31 मार्च 2023: 35,54,325) वरीयता शेयर, ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य पूरी तरह से भुगतान किया गया	35,543.25	35,543.25
	कुल योग	**81,140.74**	**81,140.74**

02.1 शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों के दो वर्ग हैं जिन्हें इक्विटी शेयरों और वरीयता शेयरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिनका मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। वरीयता शेयरधारक केवल अपने वरीयता शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए पात्र है।

02.2 बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

	31 मार्च, 2024		31 मार्च 2023	
इक्विटि शेयर	**शेयरों की संख्या**	**राशि ₹ लाख**	**शेयरों की संख्या**	**राशि ₹ लाख**
वर्ष की शुरुआत में शेष	45,59,749	45,597.49	45,59,749	45,597.49
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	45,59,749	45,597.49	45,59,749	45,597.49
0.01% गैर संचयी मोचनीय वरीयता शेयर	**शेयरों की संख्या**	**राशि₹लाख**	**शेयरों की संख्या**	**राशि₹लाख**
वर्ष की शुरुआत में शेष	35,54,325	35,543.25	35,54,325	35,543.25
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	35,54,325	35,543.25	35,54,325	35,543.25

02.3 निगम में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

	31 मार्च, 2024		31 मार्च 2023	
इक्विटि शेयर	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का %**	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का %**
भारत सरकार	45,59,749	100%	45,59,749	100%
0.01% गैर संचयी मोचनीय वरीयता शेयर:				
भारत सरकार	35,54,325	100%	35,54,325	100%

02.4 निगम में प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरण:

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर।	31 मार्च, 2024			31 मार्च 2023		
प्रमोटर का नाम	**शेयरों की संख्या**	**शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**	**शेयरों की संख्या**	**शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**
इक्विटी शेयर:						
भारत सरकार	45,59,749	100%	0%	45,59,749	100%	0%
0.01% गैर संचयी मोचनीय वरीयता शेयर:						
भारत सरकार	35,54,325	100%	0%	35,54,325	100%	0%

*** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम में प्रमोटरों की % आयु शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं**



सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
03	**आरक्षित पूंजी**		
	लाभ और हानि विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
	वर्ष की शुरुआत में शेष	(68,484.62)	(78,013.76)
	जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	9,505.25	9,529.14
	वर्ष के अंत में शेष	**(58,979.37)**	**(68,484.62)**
04	**दीर्घावधि ऋण**		
	असुरक्षित:		
	सरकार ऋण	15,090.07	15,090.07
	कुल योग	**15,090.07**	**15,090.07**
05	**अन्य दीर्घकालिक देयताएं**		
	व्यापार देय		
	- एमएसएमई	101.21	98.31
	- अन्य	3,173.13	3,106.67
	प्राप्त प्रतिभूति और बयाना राशि	3,246.95	3,187.84
	ग्राहकों से अग्रिम	451.16	41.13
	जीएसटी/बिक्री कर देय	80.34	80.34
	बिजली देय	1,169.71	1,147.55
	देय रॉयल्टी	65.31	65.31
	उपचित ब्याज और उधार पर देय- सरकारी ऋण	12,385.27	12,385.27
	अन्य देय	5,488.09	5,299.52
	कुल योग	**26,161.17**	**25,411.94**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
06	**दीर्घावधि प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान :		
	- उपदान (ग्रेच्युटी)	1,871.45	1,984.82
	- अर्जित अवकाश	1,295.18	1,311.77
	पूंजीगत कार्य के लिए प्रावधान प्रगति पर है	10.57	10.57
	अन्य प्रावधान	955.28	932.59
	कुल योग	**4,132.48**	**4,239.75**
07	**अल्पावधि ऋण राशियां**		
	बैंकों से	-	-
	कुल योग	**-**	**-**
08	देय व्यापार		
	व्यापार देयताएं- एमएसएमई	823.78	392.77
	व्यापार देयताएं- अन्य	1,535.48	1,371.19
	कुल योग	**2,359.26**	**1,763.96**
09	**अन्य वर्तमान देयताएं**		
	ग्राहकों से अग्रिम	985.50	1,768.37
	प्राप्त प्रतिभूति और बयाना राशि	3,044.10	1,971.87
	जीएसटी/बिक्री कर देय	975.20	1,800.60
	बिजली देय	998.85	1,001.08
	कर्मचारियों की बकाया राशि	455.22	442.63
	देय रॉयल्टी	15.82	22.13
	अन्य देय	599.32	751.11
	कुल योग	**7,074.01**	**7,757.79**
10	**अल्पावधि प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान :		
	- उपदान (ग्रेच्युटी)	517.06	504.43
	- अर्जित अवकाश	328.99	238.23
	अन्य प्रावधान	3,804.29	3,249.75
	बक्शीश	7.96	7.96
	कराधान के लिए प्रावधान	273.78	183.54
	कम: मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
	कुल योग	**4,932.08**	**4,183.91**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

11 क: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

	विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लाक	
		01 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	01 अप्रैल2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i) = (d) - (h)	(j)=(a)-(e)
क)	कार्य										
1.	भूमि फ्रीहोल्ड	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2	पट्टे की भूमि	2,003.78	-	-	2,003.78	1,449.79	183.84	0.00	1,633.63	370.15	553.99
3.	सड़कें और पुलिया	903.79	-	-	903.79	769.00	39.24	-	808.24	95.55	134.79
4.	संयंत्र भवन	7,281.78	-	480.94	6,800.84	6,918.35	6.75	469.02	6,456.08	344.76	363.43
5	गैर-संयंत्र भवन	771.56	-	60.42	711.14	574.43	7.54	52.35	529.62	181.52	197.13
6	जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	1,033.85	-	39.52	994.33	904.25	1.76	37.69	868.32	126.01	129.60
7	रेल्वे साइडिंग	3,221.03	1,830.04	51.66	4,999.41	1,993.86	147.30	49.08	2,092.08	2,907.33	1,227.17
8	विद्युत स्थापना	2,393.12	222.52	165.41	2,450.23	1,753.27	124.46	157.73	1,720.00	730.23	639.85
9	ग) संयंत्र और मशीनरी	46,008.74	3,472.20	1,865.39	47,615.55	38,833.95	1,243.10	1,784.03	38,293.02	9,322.53	7,174.79
10	हवाई रोपवे	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71
11	रेलवे रोलिंग स्टॉक	399.66	-	51.25	348.41	383.63	-	49.64	333.99	14.42	16.03
12	खदान उपकरण	1,832.98	-	433.64	1,399.34	1,740.24	3.41	412.79	1,330.86	68.48	92.74
13	वाहनों	400.62	14.37	148.55	266.44	360.70	3.57	141.81	222.46	43.98	39.92
14.	कार्यालय उपकरण	515.69	23.85	44.41	495.13	474.20	16.33	43.15	447.38	47.75	41.49
15	फर्नीचर और फिक्स्चर	254.93	3.25	15.72	242.46	243.51	3.01	15.72	230.80	11.66	11.42
16	विविध उपकरण	890.29	65.99	104.52	851.76	734.05	39.14	74.20	698.99	152.77	156.24
17	संयंत्र एवं मशीन ₹ 5000 तक की लागत	60.63	1.35	2.34	59.64	60.63	1.35	2.34	59.64	-	-
	कुल कार्य	**70,015.41**	**5,633.57**	**3,463.77**	**72,185.21**	**58,012.26**	**1,820.80**	**3,289.55**	**56,543.51**	**15,641.70**	**12,003.15**



(₹ लाख में)

	विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लाक	
		01 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	01 अप्रैल2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i) = (d) - (h)	(j)=(a)-(e)
ख)	**टाउनशिप**										
1.	भूमि फ्रीहोल्ड	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2	पट्टे की भूमि	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3.	सड़कें और पुलिया	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02
4.	आवासीय और कल्याण भवन	1,743.45	-	-	1,743.45	1,255.34	17.89	-	1,273.23	470.22	488.11
5	जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	185.35	-	-	185.35	155.58	0.76	-	156.34	29.01	29.77
6	विद्युत स्थापना	39.96	-	-	39.96	38.96	-	-	38.96	1.00	1.00
7	वाहनों	117.14	-	20.49	96.65	112.52	-	19.51	93.01	3.64	4.62
8	कार्यालय उपकरण	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9	फर्नीचर और फिक्स्चर	17.59	-	1.11	16.48	16.31	-	1.11	15.20	1.28	1.28
10	विविध उपकरण	20.13	-	3.98	16.15	18.37	0.05	3.48	14.94	1.21	1.76
	कुल टाउनशिप	**2,214.83**	**-**	**25.58**	**2,189.25**	**1,638.14**	**18.70**	**24.10**	**1,632.74**	**556.51**	**576.69**
	कुल कार्य और टाउनशिप	**72,230.24**	**5,633.57**	**3,489.35**	**74,374.46**	**59,650.40**	**1,839.50**	**3,313.65**	**58,176.25**	**16,198.21**	**12,579.84**
	गत वर्ष	**76,506.17**	**473.20**	**4,749.13**	**72,230.24**	**63,154.84**	**1,015.06**	**4,519.50**	**59,650.40**	**12,579.84**	

11 ख: अमूर्त संपत्ति

	विविरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लाक	
		01 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	01 अप्रैल2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1.		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i) = (d) - (h)	(j)=(a)-(e)
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.81	1.09	-	1.90	0.51	0.28	-	0.79	1.11	0.30
	कुल योग	**0.81**	**1.09**	**-**	**1.90**	**0.51**	**0.28**	**-**	**0.79**	**1.11**	**0.30**
	गत वर्ष	**0.81**	**-**	**-**	**0.81**	**0.26**	**0.25**	**-**	**0.51**	**0.30**	

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीगत	31 मार्च 2024 तक
12	**चल रहे पूंजीगत कार्य**				
	यांत्रिक परामर्शी	131.37	22.79	-	154.16
	सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	2,029.60	12.87	-	2,042.47
	निर्माण की प्रतीक्षा सहित संयंत्र और मशीनरी	3,856.18	1,508.04	2,930.26	2,433.96
	संयंत्र और मशीनरी का निर्माण व्यय	354.48	273.61	550.30	77.79
	आबंटन हेतु लंबित आकस्मिक व्यय*	138.19	-	-	138.19
	पूंजी भण्डार	8.82	-	1.84	6.98
	अन्य	160.16	-	-	160.16
	उप योग	**6,678.80**	**1,817.31**	**3,482.40**	**5,013.71**
	प्रावधान	435.97	-	-	435.97
	कुल योग	**6,242.83**	**1,817.31**	**3,482.40**	**4,577.74**
*	**आबंटन हेतु लंबित आकस्मिक व्यय**				
	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ				
	वेतन, मजदूरी और भत्ते	-			-
	कुल योग	-			-
	बिजली	0.19			0.21
	विविध व्यय	0.33			0.68
	कानूनी खर्च	0.40			0.11
	सुरक्षा व्यय	12.28			10.78
	मूल्यह्रास	0.14			0.14
	कुल योग	**13.34**			**11.92**
	हस्तांतरित	13.33			11.92
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-			-
	कुल योग	**0.01**			-
13	**विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां**				
	सॉफ्टवेयर विकास	14.91	-	-	14.91
	उप कुल	**14.91**	-	-	**14.91**
	प्रावधान	2.10	-	-	2.10
	कुल योग	**12.81**	-	-	**12.81**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

विवरण	बाज़ार मूल्य के रूप में	बही मूल्य जैसा कि	बही मूल्य जैसा कि	बाज़ार मूल्य के रूप में	बही मूल्य जैसा कि	बही मूल्य जैसा कि
	31-03-24	31-03-24	31-03-24	31-03-23	31-03-23	31-03-23
14. गैर वर्तमान निवेश						
क इक्विटी शेयर (पूरी तरह से भुगतान) लागत पर: उद्धृत						
i) आंध्र सीमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक रु.10/- के 31 इक्विटी शेयर एनएसई पर बाजार मूल्य ₹ 78.04 प्रति शेयर (पिछला वर्ष: ₹ 4.95 प्रति शेयर)	0.02		*	*		*
ii) 280 इक्विटी शेयर (180 बोनस शेयरों सहित) ₹ 10/- प्रत्येक एसीसी लिमिटेड # एनएसई पर बाजार मूल्य @ ₹ 2491.70 प्रति शेयर (पिछला वर्ष: ₹ 1667.2 प्रति शेयर)	6.98		0.01	4.67		0.01
उप कुल			**0.01**			**0.01**
ख. इक्विटी शेयर (पूरी तरह से भुगतान) लागत पर: गैर-उद्धृत						
i) असम बंगाल में प्रत्येक के लिए रू. 10/- का इक्विटी शेयर सीमेंट कंपनी लिमिटेड (2)			*			*
iii) 79 जयपुर उद्योग के प्रत्येक रु.10/- का इक्विटी शेयर लिमिटेड			0.01			0.01
ii) सोन घाटी में प्रत्येक के लिए रू. 5/- का 40 इक्विटी शेयर सीमेंट कंपनी लिमिटेड			*			*
iii) 23,15,520 सहित एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में से प्रत्येक के रू. 10/- का 55,31,250 इक्विटी शेयर						
बोनस शेयर		322.00			322.00	
कम: 1,34,000 सहित 16,10,680 शेयर बेचे गए						
बोनस शेयर		94.04			94.04	
शेष राशि 39,20,840 शेयरों सहित 21,81,520 बोनस शेयर			227.96			227.96
उप कुल			**227.97**			**227.97**
कुल (क + ख)			**227.98**			**227.98**
उद्धृत निवेश का कुल योग						
लागत			0.02			0.02
बाजार मूल्य	7.00			4.67		
गैर-उद्धृत निवेश का कुल योग						
लागत			227.96			227.96
कुल योग			**227.98**			**227.98**

(1) प्रत्येक 100 के 28 शेयरों से परिवर्तित किया गया। नए शेयर प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।
(2) शेयरों को अभी निगम के नाम पर स्थानांतरित किया जाना है।

* राशि ₹ 0.01 लाख से कम है

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
15	**दीर्घावधि ऋण और अग्रिम**		
क)	**पूंजीगत अग्रिम**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-	-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	207.20	207.20
	संदिग्ध	18.59	18.59
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	18.59	18.59
	उप योग	**207.20**	**207.20**
ख)	**ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-	-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	84.27	131.21
	संदिग्ध	470.63	470.63
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	470.63	470.63
	उप योग	**84.27**	**131.21**
ग)	**सरकार की शेष राशि। विभाग**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	0.38	0.38
	असुरक्षित, अच्छा समझा	2,110.12	449.36
	संदिग्ध	151.20	151.20
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	151.20	151.20
	उप योग	**2,110.50**	**449.74**
घ)	**बीमा और अन्य दावे**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	7.52	-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	12.91	8.46
	संदिग्ध	133.84	133.84
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	133.84	133.84
	उप योग	**20.43**	**8.46**
ङ)	**कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	3.16	3.16
	असुरक्षित, अच्छा समझा	0.60	0.60
	संदिग्ध	0.37	0.37
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	0.37	0.37
	उप योग	**3.76**	**3.76**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
च)	**वसूली के दावे- रेलवे**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-	-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	13.44	13.44
	संदिग्ध	406.06	406.06
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	406.06	406.06
	उप योग	**13.44**	**13.44**
छ)	**वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-	-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	27.55	27.55
	संदिग्ध	80.21	80.21
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	80.21	80.21
	उप योग	**27.55**	**27.55**
ज)	**कर्मचारियों से वसूली योग्य**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	0.66	0.66
	असुरक्षित, अच्छा समझा	0.10	0.13
	संदिग्ध	7.51	7.51
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	7.51	7.51
	उप योग	**0.76**	**0.79**
झ)	**बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	0.41	-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	1,986.69	1,123.35
	संदिग्ध	673.94	673.94
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	673.94	673.94
	उप योग	**1,987.10**	**1,123.35**
ञ)	**कमी, जांच के लंबित नुकसान**		
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-	-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	-	-
	संदिग्ध	589.52	589.52
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	589.52	589.52
	उप योग	**-**	**-**
	योग	**4,455.01**	**1,965.50**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
16	**अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य राशि:				
	सुरक्षित-अच्छा माना जाता है		-		-
	असुरक्षित-माना अच्छा		-		-
	संदिग्ध	1,514.52		1,514.53	
	कम: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	1,514.52		1,514.53	
	उप योग		-		-
	जमा: केंद्रीय उत्पाद शुल्क		-		-
	सुरक्षित, अच्छा समझा	18.00		18.00	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	0.44		0.44	
	संदिग्ध	0.02		0.02	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	0.02		0.02	
	उप योग		**18.44**		**18.44**
	जमा: अन्य		-		-
	सुरक्षित, अच्छा समझा	384.89		158.16	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	1,233.38		1,246.13	
	संदिग्ध	53.66		53.66	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	53.66		53.66	
	उप योग		**1,618.27**		**1,404.29**
	ऋण और अग्रिम पर उपचित और देय ब्याज				
	सुरक्षित-अच्छा माना जाता है		-		-
	असुरक्षित-माना अच्छा	2.09		39.50	
	संदिग्ध		-		-
	कम: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते		-		-
	उप योग		**2.09**		**39.50**
	कुल योग		**1,638.80**		**1,462.23**
17	**गैर-परिशोधित व्यय**				
	खदान विकास व्यय				
	वर्ष के लिए उद्घाटन	1,868.47		1,982.76	
	परिवर्धन	447.18		256.62	
			2,315.65		2,239.38
	कम: पूंजीकृत/समायोजित		338.18		370.91
	कुल योग		**1,977.47**		**1,868.47**
18	**वर्तमान निवेश**				
	गैर-व्यापार निवेश		-		-
	कुल योग		-		-

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
19	**इन्वेंट्री (प्रबंधन द्वारा सत्यापित, मूल्यवान और प्रमाणित के रूप में)**				
क)	*भंडार और पुर्जे:*				
	स्टॉक में	7,219.82		8,136.62	
	मार्गस्थ	11.41	7,231.23	80.90	8,217.52
ख)	*कार्य प्रगति:*				
	स्टॉक में	7,129.33		4,950.94	
	मार्गस्थ	-	7,129.33	-	4,950.94
ग)	*तैयार माल:*				
	स्टॉक में	1,299.80		859.83	
	मार्गस्थ	26.07	1,325.87	77.96	937.79
घ)	*कच्चा माल:*				
	स्टॉक में	992.16		1,029.61	
	मार्गस्थ	-	992.16	-	1,029.61
ङ)	*ढीले उपकरण:*				
	स्टॉक में	0.88		1.24	
	मार्गस्थ	-	0.88	-	1.24
च)	*पैकिंग सामग्री:*				
	स्टॉक में	127.08		158.07	
	मार्गस्थ	-	127.08	-	158.07
छ)	*कोयला*				
	स्टॉक में	1,328.37		1,533.48	
	मार्गस्थ	308.29	1,636.66	259.66	1,793.14
ज)	*स्क्रैप:*				
	स्टॉक में	335.89		316.04	
	मार्गस्थ	-	335.89	-	316.04
	उप योग		**18,779.10**		**17,404.35**
	कम: अप्राप्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		589.99		357.94
	कुल योग		**18,189.11**		**17,046.41**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
20 ट्रेड प्राप्य राशियां				
क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया				
सुरक्षित, अच्छा समझा	-		1.81	
असुरक्षित, अच्छा समझा	140.56		131.52	
संदिग्ध	-		-	
कम: खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	-	140.56	-	133.33
ख) *दूसरों*				
सुरक्षित, अच्छा समझा	118.92		27.37	
असुरक्षित, अच्छा समझा	248.55		161.86	
संदिग्ध	-		-	
कम: खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	-	367.47	-	189.23
कुल योग		**508.03**		**322.56**
21 नकद और नकद समतुल्य				
मेरे पास नकदी है		0.83		1.00
हाथ में चेक		-		-
बैंकों के पास शेष:				
- चालू खाते में		1,021.16		802.94
- सावधि जमा		24,265.49		15,630.82
- बैंक के खिलाफ मार्जिन मनी के रूप में धारित सावधि जमा		3,504.34		3,649.23
गारंटी/साख पत्र				
कुल योग		**28,791.82**		**20,083.99**

टिप्पणी:
बैंक जमाराशियों में ₹ 2222.92 लाख (पिछले वर्ष: ₹ 2261.04 लाख) की जमाराशियां शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक है।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
22	**अल्पावधि ऋण और अग्रिम**				
क)	पूंजीगत अग्रिम				
	सुरक्षित, अच्छा समझा		-		-
	असुरक्षित, अच्छा समझा		-		-
	संदिग्ध		-		-
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		-		-
	उप योग		**-**		**-**
ख)	**जमा: केंद्रीय उत्पाद शुल्क**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा		-		-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	17.80		17.80	
	संदिग्ध		-		-
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		-		-
	उप योग		**17.80**		**17.80**
ग)	**जमा: अन्य**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा		-	220.70	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	927.05		417.68	
	संदिग्ध		-		-
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		-		-
	उप योग		**927.05**		**638.38**
घ)	**ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा		-		-
	असुरक्षित, अच्छा समझा	960.24		689.19	
	संदिग्ध		-		-
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		-		-
	उप योग		**960.24**		**689.19**
ङ)	**सरकार की शेष राशि। विभाग**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	569.56		730.14	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	31.95		564.91	
	संदिग्ध		-		-
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		-		-
	उप योग		**601.51**		**1,295.05**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2024 तक	
च)	**बीमा और अन्य दावे**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	8.61		14.38	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	242.57		332.70	
	संदिग्ध	-		-	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-		-	
	उप योग		**251.18**		**347.08**
छ)	**कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	4.93		4.75	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	-		-	
	संदिग्ध	-		-	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-		-	
	उप योग		**4.93**		**4.75**
ज)	**वसूली के दावे- रेलवे**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-		-	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	-		-	
	संदिग्ध	-		-	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-		-	
	उप योग		- -		
झ)	**वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-		-	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	52.17		52.17	
	संदिग्ध	-		-	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-		-	
	उप योग		**52.17**		**52.17**
ञ)	**कर्मचारियों से वसूली योग्य**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	12.60		11.23	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	8.36		4.84	
	संदिग्ध	-		-	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-		-	
	उप योग		**20.96**		**16.07**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
ट)	**बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-		-	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	390.85		367.77	
	संदिग्ध	-		-	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-		-	
	उप योग		**390.85**		**367.77**
ठ)	**कमी, जांच के लंबित नुकसान**				
	सुरक्षित, अच्छा समझा	-		-	
	असुरक्षित, अच्छा समझा	-		-	
	संदिग्ध	-		-	
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-		-	
	उप योग		**-**		**-**
	कुल योग		**3,226.69**		**3,428.26**
23	**अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	मीयादी जमाराशियों पर उपचित ब्याज		1,158.99		474.32
	बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य		946.67		5,388.04
	कुल योग		**2,105.66**		**5,862.36**
24	**अन्य आय**				
	संपत्ति से किराया		2,112.63		2,104.23
	पर ब्याज:				
	- बैंकों में सावधि जमा		1,915.21		693.29
	- अन्य		56.14		42.36
	टाउनशिप से प्राप्तियां		53.82		47.70
	अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया गया		227.93		388.93
	विविध आय		492.41		90.70
	पूर्व अवधि आय (निवल) (संदर्भ नोट -31 बी)		566.74		98.14
	परित्यक्त आस्तियों की बिक्री पर लाभ		207.08		6.95
	कुल योग		**5,631.96**		**3,472.30**
25	**उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत**				
	ओपनिंग बैलेंस	1,029.61		874.19	
	वर्ष के दौरान अर्जन:				
	चूना पत्थर उगाना, उत्खनन और परिवहन (1)	3,757.40		4,139.56	
	खरीदे गए अन्य कच्चे माल	1,867.73	6,654.74	1,956.40	6,970.15
	कम: क्लोजिंग स्टॉक		992.16		1,029.61
	कच्चे माल की खपत		**5,662.58**		**5,940.54**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
(1)	**चूना पत्थर उगाना, उत्खनन और परिवहन**				
	चूना पत्थर उगाना और ठेकेदारों को भुगतान		1,257.31		1,161.54
	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ				
	वेतन, मजदूरी और बोनस	338.43		272.35	
	ग्रेच्युटी का भुगतान	32.21		42.31	
	कर्मचारियों को लाभ	0.68		0.12	
	भविष्य निधि में अंशदान	26.23		21.91	
	पेंशन निधि में अंशदान	3.71		3.52	
	छुट्टी नकदीकरण	13.85		22.48	
	चिकित्सा व्यय	4.66		3.82	
	उपदान के लिए प्रावधान	-		7.25	
	अर्जित अवकाश का प्रावधान	4.69	424.46	5.02	378.78
	उपभोग किए गए स्टोर				
	सकल राशि	473.20		522.36	
	कम: मरम्मत के तहत शामिल राशि	219.59	253.61	213.75	308.61
	बिजली	81.95		67.08	
	ईंधन	34.24		69.93	
	दर और कर	16.35		21.89	
	ठेका श्रमिकों को भुगतान	386.47		340.10	
	रॉयल्टी और उपकर	1,149.11		1,426.58	
	खदान विकास व्यय बट्टे खाते में डाला गया	338.18		370.91	
	यात्रा खर्च	1.33		0.75	
	बीमा	0.80		0.63	
	अन्य व्यय	41.18	2,049.61	35.63	2,333.50
	मरम्मत				
	- मशीनरी	2.91		0.92	
	- भवन	1.41		-	
	-	215.27	219.59	212.83	213.75
	उप कुल		**4,204.58**		**4,396.18**
	कम: खदान देव। एक्स.		447.18		256.62
	कुल योग		**3,757.40**		**4,139.56**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
26	**तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य-प्रगति और व्यापार में स्टॉक**				
	अर्ध तैयार माल				
	- ओपनिंग स्टॉक	4,950.94		4,665.37	
	- क्लोजिंग स्टॉक	7,129.33	(2,178.39)	4,950.94	(285.57)
	- विदेशी Imported				
	- ओपनिंग स्टॉक	859.83		656.04	
	- क्लोजिंग स्टॉक	1,299.80	(439.97)	859.83	(203.79)
	पारगमन में तैयार माल				
	- ओपनिंग स्टॉक	77.96		2.72	
	- क्लोजिंग स्टॉक	26.07	51.89	77.96	(75.24)
	स्क्रैप स्टॉक				
	- ओपनिंग स्टॉक	316.04		266.06	
	- क्लोजिंग स्टॉक	335.89	(19.85)	316.04	(49.98)
	कुल योग		**(2,586.32)**		**(614.58)**
27	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी और बोनस		4,048.14		4,097.73
	ग्रेच्युटी का भुगतान		443.10		293.71
	कर्मचारियों को लाभ		10.81		2.72
	छुट्टी नकदीकरण		280.29		237.18
	भविष्य निधि में अंशदान		329.20		284.39
	पेंशन निधि में अंशदान		31.00		35.85
	चिकित्सा व्यय		258.72		244.93
	अर्जित अवकाश का प्रावधान		88.43		22.97
	उपदान के लिए प्रावधान		9.43		48.43
	कर्मचारी कल्याण व्यय		110.80		127.87
	उप कुल		**5,609.92**		**5,395.78**
	कम: आईईडीसी में स्थानांतरित कर्मचारी लाभ व्यय		-		-
	कुल योग		**5,609.92**		**5,395.78**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
28	**वित्तीय लागत**				
	अन्य उधार लेने की लागत				
	-		-		-
	कुल योग		-		-
29	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**				
	मूल्यह्रास/परिशोधन		1,839.78		1,015.31
	कम: पूर्व अवधि के लिए प्रभारित राशि		524.74		12.13
	उप कुल		**1,315.04**		**1,003.18**
	कम: आईईडीसी को हस्तांतरित मूल्यह्रास		0.14		0.14
	कुल योग		**1,314.90**		**1,003.04**
30	**अन्य व्यय**				
	बिजली	9,410.61		9,014.60	
	कोयला	16,165.93		13,862.50	
	ईंधन तेल	9.55		5.22	
	किराया	22.94		23.56	
	दरें एवं कर	328.66		156.78	
	बीमा	36.22	25,973.91	36.17	23,098.83
	मरम्मत और रखरखाव				
	संयंत्र और मशीनरी	1,796.08		1,625.04	
	- इमारतें	138.20		124.06	
	-	350.48	2,284.76	351.45	2,100.55
	अन्य उत्पादन व्यय		612.61		499.30
	उपकरण और टैक बट्टे खाते में डाले गए		0.45		0.82
	यात्रा खर्च		94.01		108.09
	बिक्री का खर्च				
	- सीमेंट पर माल भाड़ा	2,550.31		3,097.94	
	- हैंडलिंग प्रभार	161.73		169.18	
	- गोदाम प्रभार	14.90		32.98	
	बिक्री संवर्धन और प्रचार	42.95		36.56	
	- अन्य बिक्री व्यय	13.87	2,783.76	34.92	3,371.58
	वाहन चलाने का खर्च		26.56		28.42
	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				

- लेखा परीक्षा शुल्क	8.85		7.75	
- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.15		1.22	
- अन्य क्षमता में	1.86	10.86	2.25	11.22
लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
- लेखा परीक्षा शुल्क	0.95		0.95	
- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.99	0.04	0.99
सीआरआई और अन्य की सदस्यता		5.47		4.85
संचार व्यय		12.52		17.75
मुद्रण और स्टेशनरी		20.87		21.73
डेटा प्रोसेसिंग के लिए किराया प्रभार		-		0.17
कानूनी और व्यावसायिक व्यय		154.60		198.72
सुरक्षा व्यय		696.90		719.26
स्टॉकिस्ट/अन्य से जमा पर ब्याज		915.86		89.19
कामगारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण		-		-
विविध व्यय (1)		416.79		392.80
ठेका श्रमिकों को भुगतान		1,743.02		1,684.58
बंद परियोजना पर व्यय		11.92		13.33
संदिग्ध प्राप्तियों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		-		-
पूर्व अवधि व्यय (निवल) [नोट संख्या 31 बी देखें]		-		-
कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही		42.98		6.00
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत:				
- सकल राशि	2,538.80		2,108.53	
- कम: मरम्मत के तहत शामिल है और	1,643.08	895.72	1,441.44	667.09
रखरखाव				
पैकिंग सामग्री		1,179.25		1,442.97
उप योग		**37,883.81**		**34,478.24**
कम: आईईडीसी खाते में स्थानांतरित व्यय				
विद्युत व्यय		0.21		0.19
कानूनी और व्यावसायिक व्यय		0.11		0.40
सुरक्षा व्यय		10.78		12.28
विविध खर्चे		0.68		0.33
कुल योग		**37,872.03**		**34,465.04**
(1) शामिल:				
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर कमीशन (एनओयू)		108.64		115.10
- संपत्ति के त्याग पर हानि		6.56		-
- निदेशक बैठक शुल्क		5.70		4.20

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
31	**पिछले वर्षों से संबंधित असाधारण, असाधारण मदें और समायोजन**				
31A	**असाधारण मदें**				
	आय:				
	ब्याज की छूट आदि		96.63		-
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ		10,080.90		8,626.68
	उप योग		**10,177.53**		**8,626.68**
	खर्च:				
	संपत्ति की बिक्री/त्याग पर हानि		235.40		452.10
	उप योग		**235.40**		**452.10**
	निवल असाधारण मदें आय/(व्यय)		**9,942.13**		**8,174.58**
31AB	**असाधारण मदें**				
	आय:				
	-	-	-	-	-
	उप योग		-		-
	खर्च:				
	-	-	-	-	-
	उप योग		-		-
	निवल असाधारण मदें आय/(व्यय)		-		-
31B	**पूर्व अवधि की वस्तुएं**				
	आय:				
	दिलचस्पी	-		-	
	स्टोर और स्पेयर, सामग्री और अन्य	1,541.02	1,541.02	241.94	241.94
	कुल		**1,541.02**		**241.94**
	खर्च:				
	मरम्मत और रखरखाव	335.18		-	
	दरें एवं कर	15.05		51.00	
	दिलचस्पी	-		-	
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	524.74		12.13	
	स्टोर और स्पेयर, सामग्री और अन्य	99.31		80.67	
	कुल योग		**974.28**		**143.80**
	निवल पूर्व अवधि आय / (व्यय)		**566.74**		**98.14**

31C चालू रखने और बंद करने के राजस्व और व्यय का विवरण

	विवरण	सतत प्रचालन		परिचालन बंद करना		कुल योग	
		वर्ष समाप्त हो गया 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023	वर्ष समाप्त हो गया 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023	वर्ष समाप्त हो गया 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023
क	**आय:**						
	टर्नओवर	41,705.51	44,031.02	-	-	41,705.51	44,031.02
	अन्य परिचालन से राजस्व	98.76	41.06	-	-	98.76	41.06
	तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य-प्रगति और व्यापार में स्टॉक	2,803.08	709.94	(216.76)	(95.36)	2,586.32	614.58
	कुल योग	**44,607.35**	**44,782.02**	**(216.76)**	**(95.36)**	**44,390.59**	**44,686.66**
ख.	**खर्च:**						
	परिचालनिक व्यय	48,897.74	45,538.61	1,561.69	1,265.79	50,459.43	46,804.40
	कुल योग	**48,897.74**	**45,538.61**	**1,561.69**	**1,265.79**	**50,459.43**	**46,804.40**
ग	**परिचालन गतिविधियों से ब्याज और कर से पहले लाभ / (हानि)**	**(4,290.39)**	**(756.59)**	**(1,778.45)**	**(1,361.15)**	**(6,068.84)**	**(2,117.74)**
	ब्याज खर्चे	-	-	-	-	-	-
घ	**कर से पहले लाभ/हानि**	**(4,290.39)**	**(756.59)**	**(1,778.45)**	**(1,361.15)**	**(6,068.84)**	**(2,117.74)**
	आयकर	-	-	-	-	-	-
ङ	**कर के बाद परिचालन गतिविधियों से लाभ / (हानि)**	**(4,290.39)**	**(756.59)**	**(1,778.45)**	**(1,361.15)**	**(6,068.84)**	**(2,117.74)**
	अन्य आय	4,808.45	3,200.31	823.51	271.99	5,631.96	3,472.30
च	अपवादात्मक मदें: आय/(व्यय)	-	-	9,942.13	8,174.58	9,942.13	8,174.58
छ	असाधारण मदें- आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-
ज	**परिचालन गतिविधियों से निवल लाभ / हानि**	**518.06**	**2,443.72**	**8,987.19**	**7,085.42**	**9,505.25**	**9,529.14**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
32	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)**		
क)	**वर्तमान देयताएं**		
(i)	कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
क)	आयकर मांग	10.15	8.77
ख)	तंदूर और बोकाजान इकाई आदि की बिक्री कर की मांग।	546.13	659.61
ग)	बोकाजान विस्तार अनुबंध	11,513.00	12,060.00
घ)	मध्यस्थता मामला	595.23	971.99
ङ)	अकालतारा के संबंध में टैरिफ न्यूनतम शुल्क	1,151.50	1,151.50
च)	पावर व्हीलिंग शुल्क आदि। इकाइयों के संबंध में	38,724.06	35,017.36
छ)	अन्य- विविध मामले	5,005.84	6,114.18
(ii)	अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	-	-
	उप योग	**57,545.91**	**55,983.41**
ख)	**प्रतिबद्धताओं**		
क)	निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खातों पर और के लिए प्रदान नहीं किया गया	674.25	1,520.65
	उप योग	**674.25**	**1,520.65**
	कुल योग (क+ख)	**58,220.16**	**57,504.06**

टिप्पणी:

सेवा प्रदाताओं आदि के लिए कर्मचारियों के मुआवजे/पदोन्नति/दावों के लिए विभिन्न न्यायालयों में पड़े मामलों के लिए प्रभाव। खातों की पुस्तकों में नहीं दिया गया है क्योंकि इसकी राशि अनिश्चित है।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
33	**मात्रात्मक विवरण**				
1.	**वास्तविक उत्पादन**				
	पोर्टलैंड सीमेंट				
	- साधारण	4,68,247.00	एम टन	5,04,380.00	एम टन
	- पोजोलाना	3,81,423.00	एम टन	3,63,815.00	एम टन
		8,49,670.00	एम टन	**8,68,195.00**	एम टन
2	**क्लिंकर (एक पूर्व सीमेंट चरण सामग्री और एक अतिरिक्त उत्पाद नहीं)**				
	- स्वयं निर्मित	8,29,980.00	एम टन	7,93,985.00	एम टन
	- खरीदा	-	एम टन	-	एम टन
3.	**सीमेंट प्रेषण**	8,42,415.40	एम टन	8,64,558.71	एम टन

		मात्रा एम. टन में	मूल्य ₹ लाख में	मात्रा एम. टन में	मूल्य ₹ लाख में
4.	**आरंभिक स्टॉक**				
क)	सीमेंट				
iii)	कारखाने में स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	12,507.14	495.51	11,264.73	368.82
	- सीमेंट पीपीसी	8,331.65	316.00	6,066.23	188.75
ii)	डंप पर स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	663.30	34.41	1,045.90	42.05
	- सीमेंट पीपीसी	326.75	13.91	1,285.15	45.93
ii)	मार्गस्थ स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	948.60	43.40	-	-
	- सीमेंट पीपीसी	870.80	34.56	75.00	2.72
iii)	क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	- सीमेंट ओपीसी	2,515.95	-	4,888.25	-
	- सीमेंट पीपीसी	3,015.50	-	3,351.00	10.48
	उप योग	**29,179.69**	**937.79**	**27,976.26**	**658.75**
ख)	क्लिंकर (स्वयं विनिर्मित)	1,73,355.68	4,006.87	1,74,336.68	3,674.98
	क्लिंकर	-	-	-	-
	उप योग	**1,73,355.68**	**4,006.87**	**1,74,336.68**	**3,674.98**
5	**स्व-खपत/हस्तांतरण आदि सहित शुद्ध बिक्री।**				
i)	सीमेंट ओपीसी	4,64,430.50	41,699.61	5,02,374.86	44,026.61
ii)	सीमेंट पीपीसी	3,79,456.20		3,62,034.05	
	परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला				
ii)	सीमेंट	0.04	-	0.06	-
iii)	पारगमन के दौरान सीमेंट की कमी	19.92	-	-	-
iv)	स्वयं उपभोग ओपीसी	16.25	0.99	68.75	3.73
vi)	स्वयं उपभोग पीपीसी	78.24	4.91	13.10	0.68
		8,44,001.15	**41,705.51**	**8,64,490.82**	**44,031.02**
vii)	क्लिंकर	-	-	-	-

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
		मात्रा एम. टन में	मूल्य ₹ लाख में	मात्रा एम. टन में	मूल्य ₹ लाख में
6	**आखरी बचा हुआ माल**				
क)	सीमेंट				
i)	कारखाने में स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	17,208.92	790.47	12,507.14	495.51
	- सीमेंट पीपीसी	10,884.47	475.84	8,331.65	316.00
iii)	डंप पर स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	491.85	25.27	663.30	34.41
	- सीमेंट पीपीसी	178.85	8.22	326.75	13.91
ii)	मार्गस्थ स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	218.50	15.66	948.60	43.40
	- सीमेंट पीपीसी	334.50	10.41	870.80	34.56
iii)	क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	- सीमेंट ओपीसी	595.60	-	2,515.95	-
	- सीमेंट पीपीसी	-	-	3,015.50	-
	उप योग	**29,912.69**	**1,325.87**	**29,179.69**	**937.79**
ख)	क्लिंकर (स्वयं विनिर्मित)	2,12,215.33	6,328.71	1,73,355.68	4,006.87
	क्लिंकर	-	-	-	-
	उप योग	**2,12,215.33**	**6,328.71**	**1,73,355.68**	**4,006.87**
7	**दूसरों**				
i)	अन्य इकाइयों में / (From) में स्थानांतरित क्लिंकर	-	-	-	-
iii)	स्क्रैप/सीमेंट के रूप में बेचा गया सीमेंट त्याग दिया गया	4,935.85	-	2,500.75	-
ii)	क्लिंकर को स्क्रैप/क्लिंकर के रूप में बेचा गया	17,593.35	192.20	3.00	0.05
	कुल योग	**22,529.20**	**192.20**	**2,503.75**	**0.05**
8	**सीमेंट पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्लिंकर**	7,73,527.00	30,066.16	7,94,963.00	29,153.24
9	**कच्चे माल की खपत**				
i)	चूना पत्थर	12,05,548.92	3,760.28	11,93,941.00	3,921.00
iii)	लेटराइट	5,963.00	35.20	11,072.00	65.19
ii)	लौह अयस्क	22,885.00	597.76	21,386.00	566.82
iii)	जिप्सम	24,713.00	726.00	23,389.00	734.16
iv)	शेल	-	-	17,530.00	188.25
vi)	फ्लाई ऐश	60,935.00	528.67	59,035.00	452.94
vii)	क्लिंकर	-	-	-	-
viii)	जली हुई मिट्टी	653.00	5.85	1,105.00	10.69
ix)	दूसरों	17,203.00	8.82	5,978.00	1.49
	कुल योग		**5,662.58**		**5,940.54**

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
		मात्रा एम. टन में	मूल्य ₹ लाख में	मात्रा एम. टन में	मूल्य ₹ लाख में
10	**के संबंध में सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य:**				
i)	कच्चा माल	-	-	-	-
ii)	कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स	-	-	-	-
ii)	पूंजीगत माल	-	-	-	-
	कुल		-		-
11	**प्रत्यक्ष रूप से आयातित और स्वदेशी रूप से उपलब्ध कच्चे मेटियरल, उपभोग किए गए स्पेयर पार्ट्स और कुल खपत में प्रत्येक का प्रतिशत:**				
	प्रत्यक्ष रूप से आयातित	0.75%	61.61	0.84%	67.55
	स्वदेशी रूप में उपलब्ध	99.25%	8,139.77	99.16%	7,981.40
		100.00%	**8,201.38**	100.00%	**8,048.95**



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

34 वित्तीय विवरणिका का भाग बनने वाली टिप्पणियां

34.01 निगम द्वारा दर्ज 99,634.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99,956.14 लाख रुपये) के दावे/प्रतिदावे विभिन्न न्यायालयों आदि में मध्यस्थता के अंतर्गत/लंबित हैं और इसके परिणाम केवल अधिनिर्णय/डिक्री आदि पर ही ज्ञात होंगे। इस प्रकार लेखाओं में इसका प्रभाव नहीं दिया गया है।

34.02 आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत क्रमशः 88,500.88 लाख रुपये और 8,798.64 लाख रुपये की आय का आकलन किया और उसे आगे ले जाये गए घाटे के साथ समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी का आकलित हानि कम होकर 97,299.52 लाख रुपये हो गया। कंपनी ने अपील दायर की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने मामला कर निर्धारण अधिकारी के पास वापस भेज दिया था। इसके फलस्वरूप, कर निर्धारण अधिकारी ने गैर–प्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास की अस्वीकृति के कारण कुल आय की पुनर्गणना 8,852.22 लाख रुपये की। इस प्रकार, कंपनी की आकलित हानि अब 53.58 लाख कम हो गई है जिससे आगे ले जाया गया संचयी घाटा 97,353.09 लाख हो गया है। कंपनी ने 53.58 लाख रुपये की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की है और सीआईटी (अपील) ने सीसीआई के पक्ष में इसका निपटारा किया है। इसके अलावा, ए.वाई. के लिए धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन के दौरान। 2018–19, निर्धारण अधिकारी ने निगम की लौटाई गई आय में 183.14 लाख की बढ़ोतरी की है, जिससे 73.36 लाख की मांग बढ़ गई है। मूल्यांकन के उक्त आदेश से व्यथित होकर, निगम ने धारा 246ए के तहत अपील दायर की है।

34.03 सिल्वर यूनिट सहित बोकाजन विस्तार का ठेका मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंगलोर (ठेकेदार) को वर्ष 2010 में 18,208 लाख में दिया गया था। मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्य आदेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। सीसीआई ने ठेकेदार के 12,060.00 लाख के दावे के मुकाबले 93,013.28 लाख के लिए सिलचर सहित बोकाजन विस्तार कार्य के गैर–निष्पादन के कारण हुए नुकसानध्क्षति के लिए प्रतिदावा भी दर्ज किया। पार्टी को जारी वर्क ऑर्डर रद्द कर दिया गया है. सिलचर यूनिट मामले में विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सीसीआई के खिलाफ दिनांक 13.12.23 को फैसला सुनाया है, सीसीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले को चुनौती दी है, मामला प्रवेश चरण में है और बोकाजन यूनिट मामले में बहस प्रगति पर है।

34.04 1.06 एकड़ (मंधार), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 (अकलतरा), 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्रांइडिंग यूनिट) की भूमि के स्वामित्व विलेख और 155.83 एकड़ (नयागांव) और 58.81 एकड़ (आदिलाबाद) के पट्टा विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने गैर–प्रचालनरत इकाइयों के विनिवेश का निदेश दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग यूनिट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ पट्टा धृत भूमि आवंटित की।

डीडीए ने अपने दिनांक 11–04–2017 के पत्र के माध्यम से स्वतः संज्ञान लेते हुए ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सीसीआई की 14.20 एकड़ पट्टा धृत भूमि दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को हस्तांतरित कर दी। 14.20 एकड़ भूमि की कीमत अब 'बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य' में अंतरित कर दी गई है क्योंकि यह एसडीएमसी/डीडीए से वसूली योग्य है। इसके अलावा, एमसीडी ने पत्र दिनांक 22.04.2024 के माध्यम से 14.20 एकड़ भूमि के बदले फिरोजपुर कलां (फरीदाबाद) में स्थित 9 एकड़ एमसीडी भूमि सीसीआई को सौंपने की सूचना दी है। इस संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है।

सीसीआई के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए आवंटित शेष 6.74 एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दे दी गई थी। रेलवे साइडिंग कार्य के लंबित रहने के कारण साइडिंग सहित जमीन अभी तक सीसीआई को नहीं सौंपी गई है। उत्तर रेलवे ने दिनांक 23.03.2023 को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि सीसीआई से समाशोधन के लिए संपर्क किया जा रहा है।

34.05 कंपनी खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 दिनांक 03–12–2015 के अनुसार खनन पट्टा सभी सरकारी विभागों के लिए अनुदत्त माना जाता है। तदनुसार, सीसीआई के खनन पट्टे अनुदत्त माने गये हैं और अभी भी वैध हैं।

34.06 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक सड़क के रूप में उपयोग किया गया, जिसकी माप 32 गुंटा है, जिसके लिए राजस्व विभाग से हस्तांरण आदेशों की प्रतीक्षा है, इस प्रतिफल के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, लेखाओं में नहीं किया गया है।

34.07 स्वर्गीय श्री आर. के. डालमिया द्वारा धारित एवं उनके द्वारा लिये गये 214.00 लाख रुपये ऋण के सापेक्ष पूर्व में डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में रखे विभिन्न कंपनियों के शेयर (अंकित मूल्य 37.79 लाखरुपये) पूर्व वर्शों में कब्जे में ले लिये गये हैं। हालाँकि इन शेयरों का मूल्य 2.80 लाख रुपये (वसूली योग्य मूल्य पर) था परंतु इन्हें संदिग्ध माना गया और तदनुसार पिछले वर्षों में इसका प्रावधान किया गया।

34.08 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय भवन, जिसकी लागत 5.70 लाख रुपये की विद्युत स्थापना को छोड़कर 266.58 लाख रुपये है, का मानद स्वामी मानकर, मूल्यह्रास का रीति से अनंतिम रूप से परिशोधन किया जा रहा है। हालाँकि, निगम के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

34.09 बीमारु औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अंतर्गत पत्र संख्या एसईसी/84/96/513 दिनांक 25.04.1996 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को प्रतिनिर्देश दिया गया था। कंपनी को माननीय बीआईएफआर पत्र संख्या 501/96–बेंच प्ट एसओएल दिनांक 08–08–1996 के अंतर्गत बीमारु घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21–03–2006 को हुई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार पुनरुद्धार योजना अनुमोदित कर दी है। माननीय बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना दिनांक 03–05–2006 को परिचालित की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं के निपटान और 3 प्रचालनरत संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर–प्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बिक्री की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार सात इकाइयों को बंद कर दिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 09.02.2022 के पत्र द्वारा इन गैर–प्रचालन इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी, भंडार आदि की बिक्री करने का निदेश दिया। तदनुसार, अकलतरा और चरखी दादरी इकाइयों की अन्य परिसंपत्तियों के साथ संयंत्र और मशीनरी की बिक्री मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से की गई। अन्य संयत्रों की बिक्री कार्य प्रगति पर है।

34.10 (i) लेनदारों, राज्य सरकारों, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के संबंध में राहत और रियायतें युक्तियुक्त रूप से तभी मानी जाएंगी जब ऐसा भुगतान किया जाता है और ऐसी रियायतें/राहतें यथास्थिति इससे जुड़ी बिना किसी आकस्मिकता के निश्चित हो जाएंगी या उसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है।

; ii) वर्ष 1975 से भारत सरकार से योजनागत ऋण (ब्याज मुक्त) के 15,090.07 लाख रुपये (पिछला वर्ष 15,090.07 लाख रुपये) माननीय बी.आई.एफ.आर.स्वीकृत योजना दिनांक 03–05–2006 के अनुसार सात गैर–प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री आय से चुकाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर योजनागत ऋण पर 12,385.27 लाख रुपये का उपचित ब्याज पर दिनांक 01–04–2011 से रोक लगा दी गई है। कंपनी इस सीमा तक चुकौती में चूक कर रही है। इस ब्याज का भुगतान गैर–प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री आय से किया जाएगा।

34.11 प्रत्येक इकाई के सामने उल्लिखित तिथियों सेनिम्नलिखित इकाइयों में उत्पादन बंद कर दिया गया है:

क्रम.	इकाई का नाम	राज्य	बंद होने की तिथि
i)	मंधार	छत्तीसगढ	06 June 1996
ii)	चरखी दादरी	हरयाणा	14 August 1996
iii)	अकालतारा	छत्तीसगढ	09 December 1996
iv)	नयागोन और नयागांव विस्तार	मध्य प्रदेश	30 June 1997
v)	कुर्कुण्टे	कर्नाटक	01 November 1998
vi)	आदिलाबाद	तेलंगाना	05 November 1998
vii) क	दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	दिल्ली	08 February 1999
vii) ख	भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट	पंजाब	कमीशन नहीं किया गया

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार ड्राफ्ट पुनर्वास योजना (डीआरएस) को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 21–03–2006 को हुइ अपनी सुनवाई में मंजूरी दे दी गई थी और प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत लेनदारों के निपटान और उपरोक्त 7 गैर–प्रचालनरत इकाइयों को बंद करने/बिक्री पर परिकल्पित स्वीकृत योजना दिनांक 03–05–2006 को परिचालित की गई थी। उक्त योजना में उल्लिखित उपरोक्त 7 इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसी प्रकार, बोकाजन, राजबन और तंदूर इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कहीं अधिक होने की उम्मीद है। इस प्रकार, किसी संभावित ह्रासित हानि का कोई संकेत नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार, लेखाओं में ह्रासित हानि के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

34.12 येरागुंटला इकाई के संबंध में एमओयू/बिक्री करार की शर्तों के अनुसार, एसबीआई कैप्स, मर्चेंट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड से समाशोधन और संपुष्टि लंबित है अतः बिक्री की तारीख पर उपचित होने वाली आवश्यक देनदारियां लेखाओं में पहले ही मान ली गई हैं।

34.13 पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के दौरान, 35,543.25 लाख के गैर–संचयी अधिमानी शेयर 22–03–2007 को सात वर्षों के लिए जारी किये गये थे, कैबिनेट/बीआईएफआर के निदेशानुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर को पुनः जारी करने के लिए और विस्तार मांगा गया है।

34.14 आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवधि के भीतर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता के अभाव में आस्थगित कर परिसंपत्तियों /देनदारियों को मान्यता नहीं दी गई है।

34.15 देनदारियों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के लिए, स्वीकृत योजना की प्रकृति के अलावा इसमें निहित शर्तों को भी ध्यान में रखा गया है।

34.16 कारोबार की प्रकृति और निगम की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखांकन मानक–17 के अंतर्गत रिपोर्टिंग खंड कंपनी पर लागू नहीं होते।

34.17 (i) कुरकुंटा इकाई की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए निविदा मेसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार का उद्यम) के माध्यम से प्लांट और मशीनरी की बिक्री के साथ–साथ डिस्मेंटलिंग, स्टोर और स्पेयर्स के लिए ''जैसा है जहां है और क्लीन स्वीप के आधार पर'' जारी की गई थी। इस प्रभाव को देने के लिए 5,300 लाख की कुल बिक्री, 43.80 लाख की अचल परिसंपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक, 372.24 लाख के स्टोर और स्पेयर्स और 3.29 लाख के कच्चे माल को त्याग दिया गया और आय और व्यय (शुद्ध) 4,880.67 लाख के प्रभाव को नोट संख्या 31ए में असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है।

(ii) मंधार इकाई की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए निविदा मेसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार का उद्यम) के माध्यम से प्लांट और मशीनरी की बिक्री के साथ–साथ डिस्मेंटलिंग, स्टोर और स्पेयर्स के लिए ''जैसा है जहां है और क्लीन स्वीप के आधार पर'' जारी की गई थी। इस

आशय को दर्शाने के लिए 5,564 लाख की कुल बिक्री, 84.88 लाख की अचल संपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक, 247.24 लाख के स्टोर और स्पेयर्स, 26.70 लाख के सीडब्ल्यूआईपी और 4.95 लाख के कच्चे माल को त्याग दिया गया और आय और व्यय (शुद्ध) 5,200.23 लाख के प्रभाव को नोट संख्या 31ए में असाधारण मद के रूप में दिखाया गया।

34.18 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी उसमें दिए गए कुछ समायोजनों के अधीन बुक प्रॉफिट पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बुक प्रॉफिट की गणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। परिणामस्वरूप चालू वर्ष का बुक प्रॉफिट 9,505.25 लाख केवल MAT राशि 1,660.76 लाख के लिए उत्तरदायी है। उक्त राशि को वर्तमान कर व्यय और MAT क्रेडिट पात्रता के तहत भी दिखाया गया है। ड ।ज क्रेडिट एक आस्थगित कर संपत्ति होने के कारण इसकी राशि नोट संख्या 15 में दिखाई गई है।

34.19 मेसर्स सेल के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंधार इकाई की पुस्तकों में 7.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है, कंपनी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। (डायरी क्रमांक ई–1766219/2024 दिनांक 30.05.24)।

34.20 दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन एमएचआई द्वारा 29.05.2017 को जारी किया गया है। प्रथा के अनुसार, शनिदेशक मंडलश की सिफारिश अनुमोदन के लिए एमएचआई को भेजी गई थी। एमएचआई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया है और इसे चालू वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया गया है।

34.21 लेखांकन मानक–29 के अनुसार प्रावधान का विवरण, टिप्पणी 6 और 10 देखें।

(लाख रुपये में)

विवरण	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान समायोजन/प्रदत्त		वर्ष के दौरान परिवर्धन		अंत शेष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
उपदान	2489.25	2485.80	136.22	132.22	35.48	135.67	2388.51	2489.25
बोनस	7.96	8.36	-	0.40	-	-	7.96	7.96
प्रगति में पूंजीगत कार्य	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
ई.एल. देनदारी	1550.00	1599.31	67.33	154.66	141.50	105.35	1624.17	1550.00
अन्य एमएटी सहित	4365.88	3206.02	616.26	480.91	1283.73	1640.77	5033.35	4365.88

34.22 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय/प्रदत्तब्याज का विवरण

₹ लाख में

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि	924.99	491.08
2	लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	405.24	391.83
3	धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशिए साथ में वर्ष के दौरान नियत दिन से अधिक आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि ;जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परेद्ध लेकिन बिना अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ना।	-	-
5	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और के अंत में बकाया लेखा वर्ष।	13.41	13.41
6	अगले वर्षों में भी देय और देय अतिरिक्त ब्याज की राशिए जब तक कि ऊपर के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में एक कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती है अधिनियम की धारा 23ण	405.24	391.83

34.23 लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ

निगम ने लेखांकन मानक 15 –कर्मचारी हितलाभ नीचे दिए गए विवरणानुसार अपनाया है:

i) भविष्य निधि

निगम एक अलग न्यास को पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि (पीएफ) का निश्चित अंशदान देता है जो
अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। न्यास को न्यास के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम
ब्याज दर का भुगतान करना अपेक्षित है। पी.एफ न्यास ही हानि, यदि कोई हो, का वहन निगम द्वारा किया जाता है।

ii) उपदान

निगम में परिभाषित उपदान योजना है। उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उपदान पाने का हकदार है। उपदान के दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण उन पात्र कर्मचारियों को देय है जिन्होंने अर्जित छुट्टी (ईएल), अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) आदि जमा किया है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ

निगम में अधिवर्शिता के समय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में भुगतान की योजना है। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ–हानि विवरणिका और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों का सारांश इस प्रकार है:

क. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय ₹ लाख में

क्रम.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान सेवा लागत	102.76	104.27	110.93	106.76	0.72	0.71
ख)	ब्याजगत लागत	175.10	168.68	113.15	112.66	0.98	0.89
ग)	वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	83.25	50.53	67.24	(45.28)	(0.07)	3.54
घ)	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	361.11	323.48	291.32	174.14	1.63	5.14

ख. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि ₹ लाख में

क्रम.	विविरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
क)	के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य अवधि	2,275.16	2,375.91	1,609.43	1,535.26	13.00	13.16
ख)	वित्त पोषित स्थिति/अंतर	(2,275.16)	(2,375.91)	(1,609.43)	(1,535.26)	(13.00)	(13.16)
ग)	निवल परिसंपत्ति/(देयता) को शेष राशि में मान्यता दी गई है पत्रक	(2,275.16)	(2,375.91)	(1,609.43)	(1,535.26)	(13.00)	(13.16)

ग. वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन ₹ लाख में

क्रम.	विविरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान मूल्य वर्ष की शुरुआत में दायित्व	2,375.91	2,372.45	1,535.26	1,584.56	13.16	12.51
ख)	वर्तमान सेवा लागत	102.76	104.27	110.93	106.76	0.72	0.71
ग)	ब्याजगत लागत	175.10	168.68	113.15	112.66	0.98	0.89
घ)	लाभ का भुगतान	(461.86)	(320.03)	(217.15)	(223.44)	(1.79)	(4.49)
ङ)	बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्व	83.25	50.53	67.24	(45.28)	(0.07)	3.54
च)	वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में दायित्व	2275.16	2375.91	1609.43	1535.26	13.00	13.16

घ. वर्तमान अवधि के लिए राशि ₹ लाख में

क्रम.	विविरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
क)	वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में दायित्व	2,275.16	2,375.91	1,609.43	1,535.26	13.00	13.16
ख)	अधिशेष/(कमी)	(2,275.16)	(2,375.91)	(1,609.43)	(1,535.26)	(13.00)	(13.16)

ङ. बीमांकिक धारणाएं

क्रम.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	
i)	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	
ii)	आयु	*आहरण दर*	*% आयु*
		30 वर्ष तक	0%
		31 से 44 वर्ष तक	1%
		44 वर्ष से अधिक	1%
ii)	छूट दर	7.21%	
iii)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6.00%	
v)	योजना पर अपेक्षित रिटर्न संपत्ति	शून्य	

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

34.24 भुगतान के लिए देय व्यापार देय की उम्र बढ़ने की अनुसूची (संदर्भ) I नोट सं. 05 और 08 से बैलेंस शीट: ₹ लाख में

क्र.सं	विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक साल	कुल योग
I	**एमएसएमई**					
	-चालू वर्ष	792.93	1.73	-	99.48	894.14
	-पिछले वर्ष	392.77	-	15.02	82.36	490.15
ii	**अन्य**					
	-चालू वर्ष	1,535.48	127.60	53.24	2,988.75	4,705.07
	-पिछले वर्ष	1,371.19	98.31	12.95	2,991.87	4,474.32
iii	**विवादित बकाया राशि: एमएसएमई**					
	-चालू वर्ष	30.85	-	-	-	30.85
	-पिछले वर्ष	-	0.18	0.75	-	0.93
iv	**विवादित देय राशि - अन्य**					
	-चालू वर्ष	-	-	-	3.54	3.54
	-पिछले वर्ष	-	-	-	3.54	3.54

34.25 बकाया व्यापार प्राप्य की उम्र बढ़ने की अनुसूची (संदर्भ नोट सं. 16 से तुलन पत्र तक:

₹ लाख में

क्र. सं	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल योग
		6 महीने से कम	6 महीने-1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	**निर्विवाद व्यापार प्राप्य -माना अच्छा**						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-
ii	**निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां-संदिग्ध माना जाता है**						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	**विवादित व्यापार प्राप्तियां-माना अच्छा**						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-
iv	**विवादित व्यापार प्राप्तियां-संदिग्ध माना जाता है**						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

34.26 बकाया व्यापार प्राप्य की उम्र बढ़ने की अनुसूची (संदर्भ नोट सं. 20 से तुलन पत्र तक:

₹ लाख में

क्र.सं	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने-1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
I	**निर्विवाद व्यापार प्राप्य -माना अच्छा**						
	-चालू वर्ष	367.47	1.40	20.32	7.83	63.95	460.97
	-पिछले वर्ष	189.23	4.53	17.46	10.84	54.05	276.10
ii	**निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां-संदिग्ध माना जाता है**						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	**विवादित व्यापार प्राप्तियां-माना अच्छा**						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	47.06	47.06
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	46.46	46.46
iv	**विवादित व्यापार प्राप्तियां-संदिग्ध माना जाता है**						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-

34.27 31.03.2024 को निगम के नाम पर अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख:

क्र.सं	बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर धारित स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड होल्डर प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर / निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर / निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
i	PPE	भूमि	5.57	पीएसईबी (गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन भटिंडा)	नहीं	1995 से	सीसीआई के साथ डीम्ड स्वामित्व
		भवन :					
		कार्यालय भवन	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नहीं	1988 से	सीसीआई के साथ डीम्ड स्वामित्व
ii	निवेश संपत्ति	भूमि					
		भवन					
iii	पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए आयोजित	भूमि					
		भवन					
iv	अन्य						

भूमि का सकल वहन मूल्य जहां शीर्षक विलेखों को नोट 34.04 (पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए धारित) के अनुसार निष्पादित किया जाना बाकी है, 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) को छोड़कर।



34.28 क) 31.03.2024 को पूंजी-कार्य-प्रगति की वृद्धावस्था अनुसूची:

सीडब्ल्यूआईपी		पूंजीगत कार्य प्रगति में राशि से संबंधित अवधि				कुल*
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक साल	
-चालू वर्ष						
प्रगति पर परियोजनाएं:						
i	भंडारण साइलो	612.95	-	-	4.20	617.15
ii	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	156.22	34.30	-	-	190.52
iii	ऊर्जा कुशल मोटर और अन्य	77.26	45.40	-	-	122.66
iv	हॉट एयर डक्ट	22.79	-	-	-	22.79
v	बायोमेट्रिक मशीन	-	-	-	0.12	0.12
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:						
i	संयंत्र क्षमता विस्तार सहित पीसते हुए	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	संयंत्र और उपकरण	-	-	-	483.51	483.51
-पिछले वर्ष						
प्रगति पर परियोजनाएं:						
i	रेलवे लाइन	-	-	-	1,830.04	1,830.04
ii	बाल्टी एलिवेटर	-	-	-	323.14	323.14
iii	भंडारण साइलो	-	-	4.20	-	4.20
iv	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	320.15	68.09	-	-	388.24
v	ऊर्जा कुशल मोटर और अन्य	45.89	-	-	-	45.89
vi	बायोमेट्रिक मशीन	-	-	0.12	-	0.12
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:						
i	संयंत्र क्षमता विस्तार सहित पीसते हुए	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	संयंत्र और उपकरण	-	-	-	510.21	510.21

ख) पूंजी-कार्य-प्रगति के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची, जिसका पूरा होना अतिदेय है या 31.03.2024 को इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है:

क्र.सं	सीडब्ल्यूआईपी	पूरा होने के लिए			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	परियोजना 1				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-
	Project 2				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

34.29 क) 31.03.2024 को विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों की वृद्धावस्था अनुसूची:

₹ लाख में

क्र.सं	विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां	पूंजीगत कार्य प्रगति में राशि से संबंधित अवधि				कुल योग
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	प्रगति पर परियोजनाएं:					
i	सॉफ्टवेयर विकास					
	-चालू वर्ष	-	-	0.87	11.94	12.81
	-पिछले वर्ष	-	-	12.61	0.20	12.81
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	-पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

ख) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए पूर्णता अनुसूची, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है, 31.03.2024:

क्र.सं सीडब्ल्यूआईपी	पूरा होने के लिए			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक साल
परियोजना 1				
-चालू वर्ष	-	-	-	-
-पिछले वर्ष	-	-	-	-
परियोजना 2				
-चालू वर्ष	-	-	-	-
-पिछले वर्ष	-	-	-	-

34.30 आयोजित बेनामी संपत्ति का विवरण अर्थात। अधिग्रहण का वर्ष, राशि, लाभार्थी, कार्यवाही यदि कोई हो: शून्य

34.31 वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के मामले में वैधानिक रिटर्न की समय पर फाइलिंग। लागू नहीं

34.32 किसी बैंक या वित्तीय अंतर्दृष्टि द्वारा निगम की विलफुल डिफॉल्ट की घोषणा का विवरण। लागू नहीं अन्य अनुसूची III प्रारूप जो लागू नहीं हैं या शून्य का अलग से खुलासा नहीं किया गया है।

34.33 विवरण और शुल्क या संतुष्टि के कारण वैधानिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

₹ लाख में

क्र.सं	प्रभार धारक का नाम	मात्रा	कारण
i	सिंडिकेट बैंक	460.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
ii	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,230.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
iii	भारतीय जीवन बीमा निगम	300.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
iv	भारतीय साधारण बीमा निगम	300.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

34.34 प्रमुख वित्तीय अनुपात:

क्र.सं	वित्तीय अनुपात	अंकक/भाजक	वर्ष समाप्त 31.03.2024	31.03.2023 को अंतिम	% परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक के किसी भी परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण।
i	वर्तमान अनुपात	चालू आस्तियां/चालू देयताएं	3.68	3.41	7.92%	-
Ii	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल देयताएं/शेयरधारक इक्विटी	2.70	4.62	-41.56%	वर्ष के दौरान निवल लाभ के कारण शेयरधारक इक्विटी में परिवर्तन।
Iii	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	निवल परिचालन आय/कुल ऋण सेवा	-	-	-	-
Iv	इक्विटी अनुपात पर वापसी	निवल आय/शेयरधारक इक्विटी	0.43	0.75	-42.67%	वर्ष के दौरान निवल लाभ के कारण शेयरधारक इक्विटी में परिवर्तन।
V	इन्वेंट्री कारोबार अनुपात	सीओजीएस/औसत इन्वेंट्री	2.72	2.97	-8.42%	-
Vi	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल सीआरआर बिक्री/औसत एसीएस प्राप्य	0.96	0.62	54.84%	पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार प्राप्य में वृद्धि।
Vii	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	करोड़। खरीद/औसत लेनदार	2.85	3.42	-16.67%	-
Viii	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	बिक्री/औसत कार्यशील पूंजी	1.17	1.59	-26.42%	पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक औसत कार्यशील पूंजी में वृद्धि।
ix	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ/निवल बिक्री	0.23	0.22	4.55%	-
x	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	पीबीआईटी / कुल नियोजित पूंजी	0.14	0.17	-17.65%	-
xi	निवेश पर प्रतिफल	पीबीआईटी / कुल निवेश	0.46	0.51	-9.80%	-

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

34.35 अग्रिम, व्यापार देय और व्यापार प्राप्य, पार्टियों को और से जमा और अन्य देनदारियों आदि के तहत दिखाए गए शेष। पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। इनमें समायोजन के लिए जांच के लिए लंबित कुछ पुराने शेष शामिल हैं। इसके पूरा होने पर आवश्यक प्रभाव दिया जाएगा।

34.36 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गया व्यय नीचे दिया गया है। खर्च की गई कुल राशि नोट संख्या में दिखाई गई है। 30.

₹ लाख में

क्रम.	विवरण	वर्ष को समाप्त वर्ष 31-03-2024	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
i)	पिछले तीन वर्षों के लिए निगम का औसत निवल लाभ	2230.06	80.51
ii)	निर्धारित सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उपरोक्त का 2%)	44.60	1.61
iii)	नीचे दिए गए अनुसार वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि	42.98	6.00
iv)	अव्ययित राशि (ii - iii)	1.62	-

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण

₹ लाख में

क्रम.	विवरण	पहले से भुगतान किया गया		अभी तक भुगतान किया जाना है		कुल	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
ख)	उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए						
	(i) शिक्षा को बढ़ावा देना	8.43	6.00	-	-	8.43	6.00
	(i) स्वास्थ्य देखभाल	34.55	-	-	-	34.55	-
	कुल	42.98	6.00	-	-	42.98	6.00

34.37 कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के लेखांकन मानक-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार, प्रबंधन द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है। प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है

₹ लाख में

क्रम.	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का नाम	पद का नाम	वर्ष को समाप्त 31-03-2024	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
i)	श्री श्री. संजय बंगा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	51.71	44.40
iii)	श्री श्री. प्रदीप कुमार चंद	निदेशक (वित्त)	44.32	22.08
ii)	श्री श्री. अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	28.12	21.04

12 अक्टूबर, 2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक में के रूप नियुक्त किया गया।

25 अगस्त 2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को भी 1,000 किलोमीटर तक की गैर-ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी वाहन का उपयोग करने की अनुमति है। प्रति माह ₹2,000/- प्रति माह के भुगतान पर।

34.38 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-20 के अनुसार कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) निम्नानुसार है:

क्रम.	विविरण	वर्ष समाप्त 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ (₹ लाख)	9,505.25	9,529.14
ख)	कम: असाधारण / असाधारण मदें (₹ लाख)	9,942.13	8,174.58
ग)	कम: गैर-संचयी वरीयता शेयरों पर लाभांश (₹ लाख)	3.55	3.55
घ)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ लाख)	(440.43)	1,351.01
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	45,59,749	45,59,749
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹)	1,000.00	1,000.00
छ)	प्रति शेयर मूल आय (₹)	(9.66)	29.63
ज)	प्रति शेयर पतला अर्जन (₹)	(9.66)	29.63

पिछले वर्ष के आंकड़ों को विभाजित किया गया है और जहां भी आवश्यक हो, फिर से तैयार किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो।

पी वी आर एन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 004062एन

ह /-
(सीए राहुल जिंदल)
साझीदार
सदस्यता संख्या 522355
यूडीआईएन

तारीख:21-08-2024
स्थान : नई दिल्ली
यूडीआईएन 2452235बीकेईआरयू1236

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह /-
(संजय बांग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09353339

ह /-
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह /-
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09711963

ह /-
(सैय्यद शरीक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDI
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(39)/वार्षिक लेखे/
सीसीआई(2023-24)/(2024-25)/298-299

दिनाँक: 23 OCT 2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. आ. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अधीन, अधिनियम की 143(10) धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं के मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा तैयार दिनांक 21अगस्त 2024 लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक

ह/-
(एस. अलाहादीनी पाण्डा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा`
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 23. 10.2024

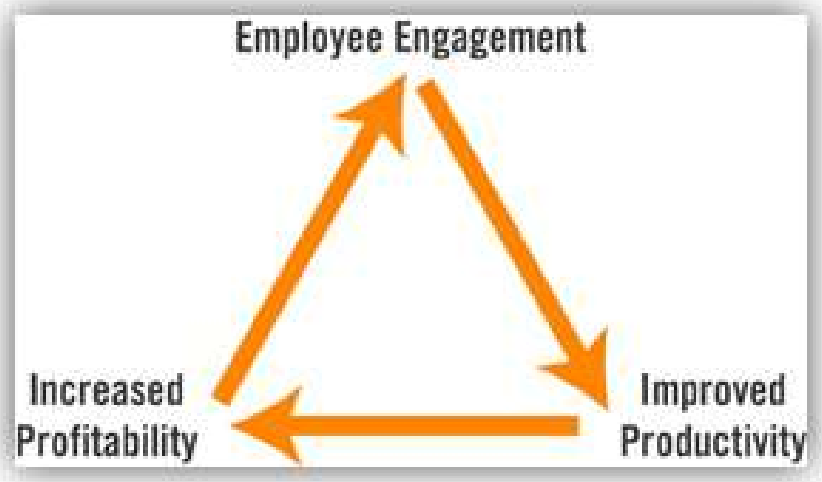
हमारे कर्मचारी–हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति

एक प्रतिस्पर्धी बाजार में, प्रतिभा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अस्तित्व के पिछले गौरवशाली 58 वर्षों में, कंपनी ने लगातार कर्मचारियों के विकास और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो एक उत्पादक और व्यस्त कार्यबल और वातावरण बनाने के लिए इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है।

सीसीआई के पास एक कुशल और प्रेरित कार्यबल है, जो वर्षों से सीसीआई की यात्रा के पीछे प्रेरणा शक्ति हैं। पिछले वर्षों की तुलना में जनशक्ति की ताकत में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, कंपनी की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। सीसीआई कर्मचारियों के मूल्य प्रस्ताव के अनुकूल होने और कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मानव संसाधन नीतियों को लगातार पुनः मान्य और नवीनीकृत कर रहा है। मजबूत कंपनी संस्कृति और मूल्य प्रणाली ने कर्मचारियों और निगम के समग्र व्यवसाय दोनों को आकार दिया है। वे संगठन के दिल की धड़कन बनाते हैं, प्रदर्शन को चलाते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और अतुलनीय उपलब्धि को आगे बढ़ाते हैं। कर्मचारी अपने काम के लिए हितधारक हैं और उनके द्वारा किए गए हर प्रयास कंपनी की लाभप्रदता को जोड़ते हैं।

हमारे कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ हैं। सीसीआई का मानना है कि लोगों में मूल्यांकन और निवेश करने से सफलता, सकारात्मक लाभ, उत्पादकता और वफादारी में वृद्धि होती है। निगम ने ज्ञान साझा करने के सत्रों की संस्कृति को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता, नवाचार और क्रॉस फंक्शनल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। सीसीआई अंतर इकाई और अंतर–विभागीय तालमेल के साथ–साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्चुअल रूप से ज्ञान साझा करण सत्र आयोजित करता है, ताकि बेहतर अनुसंधान के लिए संगठन में हर कार्य किया जा सके, जिसकी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जाती है ताकि सभी स्तरों पर कौशल हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बार–बार संयंत्र के दौरे ने कर्मचारियों की गति विकसित की है, इस प्रकार जुड़ाव को प्रोत्साहित किया है। सीसीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि एक संलग्न कार्यबल बनाने के लिए, प्रतिभा प्रबंधन, संचार रणनीति, कार्यबल योजना, कर्मचारी मान्यता और सहभागी प्रबंधन जैसे कर्मचारी जुड़ाव के प्रमुख चालक हैं।

निगम ने मानव संसाधन के माध्यम से उत्कृष्टता के अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त किया है, जिसका मूल्यांकन तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य डिग्री/डिप्लोमा धारकों और प्रबंधन स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल कर्मचारी संख्या के लगभग 69% के रूप में जनशक्ति शक्ति पेशे की मौजूदा प्रोफाइल के माध्यम से किया जा सकता है। कुल कर्मचारी संख्या 25.50 वर्ष की आयु वर्ग में संभावित रूप से 58% की गिरावट से तीव्र उत्पादकता को अच्छी तरह से समझा जा सकता है



पेशेवर प्रोफाइल			
क्र.सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी धारक	1	1
2	स्नातकोत्तर अभियंता	1	1
3	स्नातक अभियंता	68	68
4	एमबीए	23	18
5	पेशेवर डिप्लोमा धारक	15	15
6	स्नातकोत्तर	19	19
7	सीए/आईसीडब्ल्यूए/एसएएस/एसीएस	7	6
8	इंजीनियर डिप्लोमा धारक	38	34
9	स्नातक	47	37
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	86	78
11	अन्य	81	69
	योग	**386**	**346**

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों का आयु वर्ग और श्रेणी–वार वितरण								
पंक्तिबद्ध सूचक	**<30**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**	**50-54**	**55-60**	**Grand Total**
कार्यपालक अधिकारी	0	5	25	21	7	14	34	**106**
पर्यवेक्षक	1	12	15	7	1	5	37	**78**
कर्मकार	8	18	41	29	12	15	39	**162**
कुल योग	**9**	**35**	**81**	**57**	**20**	**34**	**110**	**346**



यूनिट का नाम	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

01/01/2024 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की शक्ति

01/01/2024 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूह–वार शक्ति

समूह	कर्मचारी की संख्या (AS ON 01/01/2024)				सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की स ंख्या			रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)			
	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	वीएच	एच एच	ओ एच	कुल	वीएच	एच एच	ओ एच	वीएच	एच एच	ओ एच	कुल	वीएच	एच एच	ओ एच
समूह क	**107**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	**80**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	**150**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ	**17**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**354**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

नोटः वीएच का अर्थ है दृष्टिहीन विकलांग (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)

iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलागं (चलने में अक्षमता या सरेब्रेल पाल्सी से पीडित व्यक्ति)

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड														
	अजा/अनुजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (AS ON 01/01/2024)				कैलेंडर वर्ष (नियमित) के दौरान की गई नियुक्तियां									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा		
समूह	कुल कर्मचारी	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	कुल	अजा	अनुजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क–टीओटी	108	13	2	22	0	0	0	0	37	4	0	0	0	0
समूह ख–टीओटी	80	9	6	18	0	0	0	0	21	5	2	0	0	0
समूह ग–टीओटी	151	27	19	46	0	0	0	0	22	6	5	0	0	0
समूह घ–टीओटी	17	3	3	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
योग	356	52	30	90	0	0	0	0	80	17	7	0	0	0

Quality With No Compromise

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की मनाल चूना पत्थर खदान, राजबन सीमेंट फैक्ट्री ने खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वावधान में खान सुरक्षा सप्ताह–2024 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते।





श्री वी. एल. कांथा राव, माननीय सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली ने 21 दिसंबर, 2023 को तंदूर सीमेंट फैक्ट्री में सीसीआई करनकोट चूना पत्थर खदानों का दौरा किया और श्री संजय बंगा, सीएमडी सीसीआई। द्वारा उनका स्वागत किया गया। खनन पट्टा क्षेत्र, खनन भंडार, उत्पादन पर विभिन्न मुद्दे







हमारी यूनिट की प्रमुख विशेषताएं:

मंधार (जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह निगम की पहली इकाई है, जिसमें जुलाई, 1970 में उत्पादन आरंभ हुआ, इस इकाई में उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया अपनाई गई और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमटें का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इस इकाई में स्लैग की मांग भिलाई स्टील संयत्र से पूरी की जाती है।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**4064**	**(131)**	**(103)**

एमएचआई के निर्देशों के अनुसार, प्लांट और मशीनरी और अन्य संपत्तियां वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बेची गईं।

कुरकुंटा (जिला–गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की निगम की दूसरी इकाई है, जहां वर्ष 1972 से उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**4703**	**(157)**	**(109)**

एमएचआई के निर्देशों के अनुसार, प्लांट और मशीनरी और अन्य संपत्तियां वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बेची गईं।

बोकाजन (जिला–कारबी अंगलोंग, असम)

यह इकाई असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज केवल सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई अपितु आसपास के क्षेत्रेा को सीमेंट उपलब्ध कराने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी की गई थी। इस इकाई में दुर्गम क्षेत्र से गुजरने वाले 18 किलोमीटर लम्बे रोपवे से चुना–पत्थर लाया जाता है। इस इकाई में 1 अप्रैल, 1977 से उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**1.98**	**1.98**	**1.98**
उत्पादन (लाख टन में)	**1.18**	**1.30**	**1.08**
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	**8391**	**8671**	**7234**
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**503**	**431**	**(184)**

राजबन (जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह निगम की पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दूसरी इकाई है। सामान्य आवागमन कठिन होने के अलावा इस इकाई में बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद की ढुलाई सडक मार्ग से की जाती है चूंकि इस इकाई के निकट कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप–वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। इस इकाई में अप्रैल, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**2.48**	**2.48**	**2.48**
उत्पादन (लाख टन में)	**1.41**	**1.57**	**1.30**
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	**8474**	**9145**	**7485**
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**109**	**605**	**(262)**

नयागांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**(49)**	**(195)**	**(163)**

स्थल विभाजन अर्थात नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की अवधारण के साथ इस इकाई की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ा कर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागावं में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिगं इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.05.1990 से आरंभ हुआ।

नयागांव एक्स . जिसमें डीजीयू और बीजीयू शामिल हैं			
विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**(62)**	**(89)**	**(81)**

अकलतरा (जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से आरंभ हुआ।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**504**	**4896**	**125**

एमएचआई के निर्देशों के अनुसार, प्लांट और मशीनरी और अन्य संपत्तियां वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बेची गईं।

चरखी दादरी (जिला–भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत एक रुग्ण इकाई थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियत्रंणाधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरूद्धार के उपरांत इकाई में सीमेंट की ग्राइंडिगं का कार्य सितम्बर, 1981 में आरंभ हुआ गया और तत्पश्चात क्लिंकर का उत्पादन आरंभ हुआ। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**(43)**	**3017**	**(102)**

एमएचआई के निर्देशों के अनुसार, प्लांट और मशीनरी और अन्य संपत्तियां वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बेची गईं।

आदिलाबाद (जिला–आदिलाबाद, तेलंगाना)

इस इकाई में अप्रैल, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**(130)**	**(256)**	**(245)**

तांदूर (जिला–के .वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस इकाई में 1 जुलाई, 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**10.00**	**10.00**	**10.00**
उत्पादन (लाख टन में)	**5.90**	**5.82**	**6.34**
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	**27642**	**26925**	**29343**
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**(94)**	**1408**	**5144**



NOTES



NOTES

Vision & Mission



VISION

To Emerge as Sustainable Cement Company



Committed to Contribute to the Economy



To enhance value for the stakeholders



MISSION

To augment the Wealth Creation for the Company



Inspiring Employee in delivering an Improved Product



Aim for diversification in related fields



Registered & Corporate Office
Cement Corporation of India Ltd.
CORE-5, Scope Complex, 7,
CIN No. : U74899DL1965GOI1004322
Lodhi Road, New Delhi-110003
e-Mail: mktg_co@cciltd.in

Cement Manufacturing Units

Bokajan Cement Plant
Disstt.- Karbi Anglong
State- Assam
e-mail: mktg_bko@cciltd.in

Rajban Cement Plant
Distt. - Sirmaur
State- Himachal Pradesh
e-mail: mktg_rjo@cciltd.in

Tandur Cement Plant
Distt.- K.V. Rangareddy
State- Telangana
e-mail: mktg_tdo@cciltd.in

CCI MARKETING OFFICES

DEHRADUN | HYDERABAD | SHOLAPUR | BIJAPUR | GULBARGA | HUBLI | YADGIR | RAICHUR | KOPPAL | YAMUNA NAGAR | HERBETPUR | RISHIKESH | HARIDWAR | ROORKEE | SAHARANPUR | MEHBOOBNAGAR